

 सत्यमेव जयते	राजस्थान राजपत्र विशेषांक	RAJASTHAN GAZETTE Extraordinary
	साधिकार प्रकाशित	Published by Authority
	चैत्र 13, गुरुवार, शाके 1947- अप्रेल 03, 2025 Chaitra 13, Thursday, Saka 1947- April 03, 2025	

भाग-4(क)

राजस्थान विधान मण्डल के अधिनियम।

विधि (विधायी प्रारूपण) विभाग

(ग्रुप-2)

अधिसूचना

जयपुर, अप्रेल 1, 2025

संख्या प.2(7)विधि/2/2025.- राजस्थान राज्य विधान-मण्डल का निम्नांकित अधिनियम, जिसे राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई, एतद्वारा सर्वसाधारण की सूचनार्थ प्रकाशित किया जाता है:-

बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025

(2025 का अधिनियम संख्यांक 8)

(राज्यपाल महोदय की अनुमति दिनांक 27 मार्च, 2025 को प्राप्त हुई)

बीकानेर शहर तथा उसके निकटवर्ती कतिपय क्षेत्रों को मिलाकर बीकानेर रीजन बनाने, बीकानेर रीजन के समुचित, सुव्यवस्थित तथा सत्वर विकास के लिए योजना बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने और उसका पर्यवेक्षण करने और ऐसे विकास के लिए योजनाओं, परियोजनाओं तथा स्कीमों को निष्पादित करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण की स्थापना और उससे संबंधित मामलों का उपबन्ध करने हेतु अधिनियम।

यतः, बीकानेर शहर, नापासर और देशनोक और उसके निकटवर्ती क्षेत्र क्रमिक रूप से विकसित और आबाद होते जा रहे हैं और इस बात की पर्याप्त आवश्यकता महसूस की जा रही है कि ऐसे क्षेत्रों को बीकानेर रीजन का रूप दे दिया जाये और इन क्षेत्रों के समुचित, सुव्यवस्थित और सत्वर विकास के लिए योजनाएं बनाने, उनमें समन्वय स्थापित करने तथा उनका पर्यवेक्षण करने के लिए, जिसके लिए, वर्तमान में अनेक सरकारी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी और अन्य संगठन अपनी-अपनी अधिकारिताओं के भीतर कार्यशील हैं, एक ऐसे प्राधिकरण की स्थापना की जाये; और यह उपबन्ध भी किया जाये कि ऐसा प्राधिकरण स्वयं या किसी अन्य प्राधिकारी के माध्यम से बीकानेर रीजन के विकास से संबंधित योजनाएं, परियोजनाएं और स्कीमें बनाने और उनका निष्पादन करने में समर्थ हो सके ताकि आगामी 2040 ईस्वी तक या उसके पश्चात् की अवधि के लिए भी, जिसमें मध्यवर्ती चरण भी सम्मिलित होंगे, बीकानेर रीजन की जनसंख्या के लिए आवासन, सामुदायिक सुविधाएं, नागरिक सुविधाएं और अन्य अवस्थापनों की सुचारु रूप से व्यवस्था हो सके और यह कि उपर्युक्त प्रयोजनों से संबंधित मामलों के लिए उपबन्ध किया जाये।

भारत गणराज्य के छिहत्तरवें वर्ष में राजस्थान राज्य विधान-मण्डल निम्नलिखित अधिनियम बनाता है:-

अध्याय 1

प्रारम्भिक

1. संक्षिप्त नाम, प्रसार और प्रारम्भ.- (1) इस अधिनियम का नाम बीकानेर विकास प्राधिकरण अधिनियम, 2025 है।

(2) इसका प्रसार बीकानेर रीजन क्षेत्र पर होगा।

(3) यह 11 दिसम्बर, 2024 को और से प्रवृत्त समझा जायेगा।

2. परिभाषाएं.- इस अधिनियम में, जब तक संदर्भ से अन्यथा अपेक्षित न हो,-

(1) "कृषि" में उद्यान कृषि, फल-कृषि, बीज-कृषि, दुग्ध-उद्योग, उद्यान-कर्म, वनोद्योग, पशु-प्रजनन अथवा भूमि का पौधशाला या गोचर भूमि के रूप में उपयोग अथवा भूमि का ऐसा कोई अन्य उपयोग सम्मिलित है जो उस पर खेती के या अन्य कृषिक प्रयोजनों का अनुषंगी हो, तथा शब्द "कृषिक" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(2) "सुख-सुविधाएं" में सड़कें, पुल, संचार के कोई अन्य साधन, यातायात, गलियां, खुले स्थान, पार्क, आमोद-प्रमोद के स्थल, खेलकूद के मैदान, जल, गैस तथा विद्युत् प्रदाय, और ऊर्जा का कोई स्रोत, गली प्रकाश व्यवस्था, मल-वहन, जल-निकास, मल-सफाई, सार्वजनिक निर्माण कार्य और ऐसी अन्य उपयोगिताएं, सेवाएं एवं सुविधाएं आती हैं जिनका इस इस अधिनियम में के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार प्राधिकरण के परामर्श से, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, सुख-सुविधा होना विनिर्दिष्ट करे;

(3) "प्राधिकरण" से धारा 3 के अधीन गठित बीकानेर विकास प्राधिकरण अभिप्रेत है;

(4) "बीकानेर रीजन" से अनुसूची में विनिर्दिष्ट शहर, नगरों और गांवों की सीमाओं में के क्षेत्र अभिप्रेत हैं। राज्य सरकार समय-समय पर राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा, उस अनुसूची को ऐसी अधिसूचना में विनिर्दिष्ट किसी क्षेत्र को जोड़कर या उसमें से हटाकर संशोधित कर सकेगी और तदुपरान्त उपान्तरित क्षेत्र बीकानेर रीजन होगा;

(5) "भवन-संक्रिया" में भवनों के पुनर्निर्माण-संक्रिया, भवनों के संरचनात्मक परिवर्तन या उनमें परिवर्धन और भवनों के निर्माण के संबंध में हाथ में ली गयी अन्य संक्रिया सम्मिलित हैं;

(6) "विकास" से, इसके व्याकरणिक रूप भेदों सहित, भूमि (जिसमें नदी, झील या अन्य कोई जल के नीचे की भूमि सम्मिलित है) में, उस पर या उसके नीचे की जाने वाली कोई भी भवन संक्रियाएं, इंजीनियरी, खनन या अन्य संक्रियाएं या किसी भवन या भूमि के उपयोग में कोई तात्विक परिवर्तन करना और किसी भूमि का पुनर्विकास और अभिन्यास, और उप-विभाजन तथा कृषि, उद्यान-कृषि, फूलों की खेती, वन लगाना, डेयरी विकास, कुक्कुट पालन, सूअर पालन, पशु प्रजनन, मत्स्य पालन और अन्य ऐसे ही क्रियाकलाप अभिप्रेत हैं; और "विकास करना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(7) "विकास क्षेत्र" से धारा 29 की उप-धारा (1) के अधीन इस रूप में घोषित क्षेत्र अभिप्रेत है जिसमें स्कीमों, परियोजनाओं द्वारा या अन्यथा, किसी समुचित कालावधि के भीतर विकास का किया जाना प्रस्तावित है;

(8) "सरकार" से राजस्थान राज्य की सरकार अभिप्रेत है;

(9) "भूमि" में भूमि से उत्पन्न फायदे, और जमीन से संलग्न वस्तुएं या जमीन से स्थायी रूप से जुड़ी हुई वस्तुएं सम्मिलित हैं;

(10) "स्थानीय प्राधिकारी" से नगरपालिका या पंचायत अभिप्रेत है;

(11) "नगरपालिका" से राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) के अधीन बीकानेर रीजन में स्थापित कोई नगरपालिका अभिप्रेत है;

(12) "अधिभोगी" के अन्तर्गत आता है,-

- (क) स्वामी अथवा कोई व्यक्ति जो, अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के सिवाय, किसी भवन या भूमि के स्वामी को किराया संदत्त कर रहा हो या संदाय करने का दायी हो; या
- (ख) कोई भी व्यक्ति जो किसी भूमि या भवन के स्वामी को ऐसे किसी संपूर्ण भवन या भूमि का या उसके किसी भाग का सदोष अधिभोग करने के लिए नुकसानी का संदाय करने का दायी हो; और
- (ग) किसी भवन या भूमि का किराया-मुक्त अधिभोगी;

(13) "स्वामी" के अन्तर्गत ऐसा व्यक्ति आता है जो किसी अभिव्यक्त या विवक्षित संविदा के सिवाय, चाहे अपने स्वयं के लिए अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए या किसी धार्मिक अथवा पूर्ण संस्था के लिए एक अभिकर्ता, न्यासी, संरक्षक, प्रबन्धक अथवा रिसीवर के रूप में किसी भवन या भूमि का किराया या लाभ प्राप्त कर रहा है या प्राप्त करने का हकदार है;

(14) "पंचायत" से राजस्थान पंचायती राज अधिनियम, 1994 (1994 का अधिनियम सं.13) के अधीन बीकानेर रीजन में स्थापित कोई पंचायत अभिप्रेत है;

(15) "योजना" से इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी अथवा तैयार की हुई समझी गयी कोई मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना अभिप्रेत है और अभिव्यक्ति "कोई योजना" का तदनुसार अर्थ लगाया जायेगा;

(16) "विहित" से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों द्वारा विहित अभिप्रेत है;

(17) "लोक प्रयोजन" में ऐसा कोई भी प्रयोजन सम्मिलित है जो जनता या जनता के किसी वर्ग या प्रवर्ग और इस अधिनियम के अधीन किसी योजना, परियोजना अथवा स्कीम में आरक्षित या अभिहित भूमि की अपेक्षा अथवा किसी अन्य प्रयोजन के लिए उपयोगी है;

(18) "विनियम" से इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया विनियम अभिप्रेत है;

(19) "नियम" से इस अधिनियम के अधीन सरकार द्वारा बनाया गया नियम अभिप्रेत है;

(20) "अधिकरण" से इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन गठित अधिकरण अभिप्रेत है;

(21) "जोन" से उन खण्डों में से कोई खण्ड अभिप्रेत है जिनमें बीकानेर रीजन को इस अधिनियम के अधीन विकास के प्रयोजन के लिए विभाजित किया जाये; और

(22) उन शब्दों और अभिव्यक्तियों का, जिनका इस अधिनियम में प्रयोग किया गया है किन्तु जिन्हें इसमें परिभाषित नहीं किया गया है, वही अर्थ लगाया जायेगा जो उनको राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) और राजस्थान नगरपालिका अधिनियम, 2009 (2009 का अधिनियम सं.18) में दिया गया है।

अध्याय 2

प्राधिकरण की स्थापना और गठन

3. **बीकानेर विकास प्राधिकरण की स्थापना.**- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम के प्रारम्भ के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए एक प्राधिकरण की स्थापना करेगी, जो "बीकानेर विकास प्राधिकरण" कहलायेगा (जिसे इसमें इसके पश्चात् "प्राधिकरण" कहा गया है)।

(2) उक्त प्राधिकरण पूर्वोक्त नाम से एक निगमित निकाय होगा जिसे शाश्वत उत्तराधिकार प्राप्त होगा और जिसकी सामान्य मुहर होगी और जिसे इस अधिनियम के उपबन्धों के अध्याधीन जंगम तथा स्थावर

दोनों प्रकार की संपत्तियों का अर्जन, धारण एवं व्ययन करने और संविदा करने की शक्ति होगी और अपने निगमित नाम से वह वाद ला सकेगा या उसके विरुद्ध वाद लाया जा सकेगा।

(3) राजस्थान साधारण खण्ड अधिनियम, 1955 (1955 का अधिनियम सं. 8) में यथापरिभाषित पद "स्थानीय प्राधिकारी" के अर्थान्तर्गत प्राधिकारी को स्थानीय प्राधिकारी समझा जायेगा।

4. बीकानेर विकास प्राधिकरण की संरचना.- (1) प्राधिकरण में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) अध्यक्ष, जो राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किया जायेगा;
- (ii) बीकानेर विकास आयुक्त, बीकानेर जो उपाध्यक्ष होगा;
- (iii) शासन सचिव, नगरीय शासन (विकास और आवासन विभाग); या उसका प्रतिनिधि जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;

स्पष्टीकरण:- इस खण्ड के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव जब वह उस विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

- (iv) उप आवासन आयुक्त, राजस्थान आवासन बोर्ड, जयपुर (बीकानेर रीजन);
- (v) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, जन स्वास्थ्य अभियान्त्रिकी विभाग, बीकानेर;
- (vi) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर;
- (vii) जिला कलक्टर, बीकानेर;
- (viii) पुलिस अधीक्षक, बीकानेर शहर;
- (ix) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उसका प्रति निधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (x) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम (रा.रा.प.प.नि.) या उसका प्रतिनिधि जो मुख्य आगार प्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (xi) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो;
- (xii) महापौर/प्रशासक, नगर निगम, बीकानेर;
- (xiii) अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पालिका बोर्ड, नापासर;
- (xiv) अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पालिका बोर्ड, देशनोक;
- (xv) जिला प्रमुख, जिला परिषद्, बीकानेर;
- (xvi) वरिष्ठ नगर नियोजक, बीकानेर जोन, बीकानेर;
- (xvii) प्रबंध निदेशक, बीकानेर डेयरी, बीकानेर;
- (xviii) सात से अनधिक गैर-सरकारी सदस्य, राज्य सरकार द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले; और
- (xix) सचिव, बीकानेर विकास प्राधिकरण- जो सदस्य-सचिव होगा।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट सदस्यों के अतिरिक्त, राज्य सरकार, यदि उचित समझे तो किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष को भी प्राधिकरण का सदस्य नियुक्त कर सकेगी।

(3) प्राधिकरण का अध्यक्ष, प्राधिकरण की ओर से समस्त क्रियाकलापों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो इस अधिनियम के अधीन उसको प्रदत्त किये गये हों और ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कर्तव्यों का पालन करेगा

जो प्राधिकरण, विनियमों द्वारा, समय-समय पर अवधारित करे। वह प्राधिकरण के अधिकारियों और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन गठित समितियों के विनिश्चयों का, प्राधिकरण द्वारा उसकी अगली बैठक में पुष्टिकरण के अध्यक्षीन रहते हुए, उपांतरण भी कर सकेगा।

(4) उपाध्यक्ष ऐसी शक्तियों का प्रयोग और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण का अध्यक्ष, आदेश द्वारा, उसे प्रत्यायोजित करे और अध्यक्ष की अनुपस्थिति में वह अध्यक्ष के कृत्यों का पालन और शक्तियों का प्रयोग करेगा।

(5) सदस्य, प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या निकाय की बैठकों में हाजिर होने या सदस्य के रूप में किन्हीं अन्य कृत्यों का सम्पादन करने में किये गये व्यक्तिगत व्यय को पूरा करने के लिए ऐसे भत्ते प्राप्त करेंगे जो विहित किये जायें।

(6) जहां कोई व्यक्ति किसी पद को धारण करने के आधार पर या संसद् या राज्य विधान-मण्डल या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी, निगम, परिषद्, बोर्ड या निकाय का, चाहे वह निगमित हो या नहीं, सदस्य होने के कारण प्राधिकरण का सदस्य हो जाता है या नामनिर्देशित किया जाता है वहां वह, यथास्थिति, ऐसे पद का धारक या सदस्य न रहने पर प्राधिकरण का सदस्य भी नहीं रहेगा।

(7) पदेन सदस्यों से भिन्न, प्राधिकरण का कोई भी सदस्य किसी भी समय अध्यक्ष को स्वयं द्वारा लिखित संबोधन द्वारा अपने पद से त्यागपत्र दे सकेगा किन्तु वह तब तक सदस्य बना रहेगा जब तक अध्यक्ष द्वारा उसका त्यागपत्र स्वीकार न कर लिया जाये।

(8) उप-धारा (1) के खण्ड (xviii) के अधीन नामनिर्देशित प्राधिकरण के गैर-सरकारी सदस्यों की पदावधि दो वर्ष की कालावधि के लिए होगी:

परन्तु उस दशा में जब उपर्युक्त किसी सदस्य का पद मृत्यु हो जाने, हटाये जाने, त्यागपत्र दे देने के कारण या अन्यथा रिक्त हो गया हो तो उस रिक्ति को उप-धारा (1) के खण्ड (xviii) के उपबंधों के अनुसार नये नामनिर्देशन द्वारा भरा जायेगा।

(9) प्राधिकरण, या उसके किसी बोर्ड, समिति या अन्य निकाय का कोई कार्य या कार्यवाही किसी भी समय केवल इस आधार पर अविधिमान्य नहीं समझी जायेगी कि प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किसी सदस्य का नामनिर्देशन या नियुक्ति नहीं की गयी है या किसी अन्य कारणवश प्राधिकरण या ऐसे निकाय के गठन के या बैठक के समय वह अपना पद संभालने के लिए उपलब्ध नहीं है या कोई व्यक्ति एक से अधिक हैसियत से सदस्य है या प्राधिकरण या ऐसे निकाय के किन्हीं सदस्यों के पदों की एक या अधिक रिक्तियां हैं।

5. प्राधिकरण की बैठकें.- (1) प्राधिकरण की छह मास में कम से कम एक बार बैठक ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होगी जो अध्यक्ष विनिश्चित करे, और धारा 6 के उपबंधों के अध्यक्षीन रहते हुए उसकी बैठक के कार्य संचालन (उसमें गणपूर्ति को सम्मिलित करते हुए) संबंधी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का अनुपालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अधिकथित किये जायें।

(2) अध्यक्ष या उसकी अनुपस्थिति में उपाध्यक्ष, प्राधिकरण की प्रत्येक बैठक की अध्यक्षता करेगा। यदि किसी कारणवश अध्यक्ष और उपाध्यक्ष दोनों किसी बैठक में उपस्थित होने में असमर्थ हों तो प्राधिकरण का कोई अन्य सदस्य, जिसे बैठक में उपस्थित उसके सदस्यों द्वारा निर्वाचित किया जाये, बैठक की अध्यक्षता करेगा।

6. सदस्यता की समाप्ति.- (1) प्राधिकरण का कोई सदस्य, जो प्राधिकरण द्वारा उसके निमित्त की गयी या किये जाने के लिए प्रस्तावित किसी संविदा, उधार, प्रबन्ध या प्रस्ताव में प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से कोई शेयर अथवा धन संबंधी अन्य हित रखता है या अर्जित करता है, प्राधिकरण का सदस्य नहीं रहेगा:

परन्तु किसी सदस्य को केवल इसी कारण ऐसा शेयरधारी या हितधारी नहीं समझा जायेगा कि वह ऐसी किसी संविदा, उधार, प्रबन्ध या प्रस्ताव में किसी पब्लिक लिमिटेड कम्पनी/समुत्थान का शेयरधारी है या कि वह स्वयं या उसका कोई संबंधी प्राधिकरण द्वारा उसके निमित्त नियोजित है या कि प्राधिकरण के सदस्य की हैसियत से उसका ऐसा कोई शेयर या हित है या कि उसकी सम्पत्ति या ऐसी कोई सम्पत्ति जिसमें उसका शेयर या हित है, करार द्वारा या तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अनुसार प्राधिकरण द्वारा उसके निमित्त अर्जित की या पट्टे पर ली जाती है अथवा की या ली जा रही है।

(2) यदि कोई ऐसा प्रश्न उत्पन्न हो जाये कि क्या प्राधिकरण का कोई सदस्य उप-धारा (1) में उल्लिखित निरर्हताओं के अधीन आ गया है तो यह प्रश्न राज्य सरकार को विनिश्चय के लिए भेजा जायेगा और उसका विनिश्चय अन्तिम होगा।

7. कार्यकारी समिति का गठन और शक्तियां.- (1) प्राधिकरण की एक कार्यकारी समिति होगी, जिसमें निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) बीकानेर विकास आयुक्त, जो अध्यक्ष होगा;
- (ii) सचिव, नगरीय शासन (विकास तथा आवासन) का प्रति निधि, जो उप सचिव की रैंक से नीचे का न हो;

स्पष्टीकरण.- इस उप-धारा के प्रयोजन के लिए अभिव्यक्ति "सचिव" से विभाग का प्रभारी शासन सचिव अभिप्रेत है और इसमें कोई अतिरिक्त मुख्य सचिव और प्रमुख सचिव, जब वह उस विभाग का/की प्रभारी हो, सम्मिलित है।

- (iii) जिला कलेक्टर, बीकानेर;
- (iv) पुलिस अधीक्षक, बीकानेर शहर;
- (v) सचिव, बीकानेर विकास प्राधिकरण, जो समिति का सदस्य-सचिव होगा;
- (vi) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर रीजन, बीकानेर, राजस्थान;
- (vii) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर रीजन, बीकानेर, राजस्थान;
- (viii) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो;
- (ix) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य औद्योगिक विकास एवं विनियोजन निगम लिमिटेड या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (x) प्रबंध निदेशक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम या उसका प्रतिनिधि जो महाप्रबंधक की रैंक से नीचे का न हो;
- (xi) उप निदेशक, पर्यटन, बीकानेर;
- (xii) प्राधिकरण का निदेशक, अभियांत्रिकी;
- (xiii) प्राधिकरण का निदेशक, नगर नियोजन;
- (xiv) प्राधिकरण का निदेशक, वित्त;
- (xv) प्राधिकरण का निदेशक, विधि;
- (xvi) आयुक्त, नगर निगम, बीकानेर;
- (xvii) कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड, नापासर; और

(xviii) कार्यपालक अधिकारी, नगर पालिका बोर्ड, देशनोक।

(2) कार्यकारी समिति निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगी, अर्थात्:-

- (i) प्राधिकरण के डिवीजनों और क्रियाशील इकाइयों का संगठन;
- (ii) विनियमों के प्रारूप तैयार करना और प्राधिकरण को उनके बनाने की सिफारिश करना;
- (iii) बीकानेर रीजन विकास निधियों का प्रचालन;
- (iv) परियोजनाएं और स्कीमें तैयार करना;
- (v) परियोजनाओं और स्कीमों के लिए निविदाएं स्वीकार या अस्वीकार करना;
- (vi) सरकार के पूर्व अनुमोदन से प्राधिकरण के अधीन पदों का सृजन ऐसे स्तर तक करना जो विनियमों द्वारा अवधारित हो;
- (vii) प्राधिकरण द्वारा अपेक्षित धनराशि उधार लेना और पुनः उधार लेना;
- (viii) बीकानेर रीजन विकास निधि की अधिशेष राशि का विनियोजन;
- (ix) परियोजनाओं और स्कीमों के लिए किसी स्थानीय अथवा अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को अनुदान, धन संबंधी सहायता, उधार या अग्रिम देना या उसके खर्चों में हिस्सा देना;
- (x) प्राधिकरण के निमित्त विधिक कार्यवाहियां संस्थित करना या प्रत्याहृत करना; और
- (xi) अपने अध्यक्ष या प्राधिकरण के किसी अधिकारी को अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी का प्रत्यायोजन करना।

(3) कार्यकारी समिति इस अधिनियम के अन्य उपबन्धों के अधीन अपने को प्रदत्त शक्तियों और कृत्यों के अतिरिक्त ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग और ऐसे अन्य कृत्यों का पालन करेगी जो प्राधिकरण द्वारा उसे समय-समय पर प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) कार्यकारी समिति की बैठक ऐसे स्थान और ऐसे समय पर होगी जैसाकि उसके अध्यक्ष द्वारा नियत किया जाये और वह कार्य संचालन संबंधी प्रक्रिया के ऐसे नियमों का पालन करेगी जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

8. बीकानेर विकास आयुक्त, निदेशकों, सचिव आदि की नियुक्ति.- (1) राज्य सरकार अपने अधिकारियों में से किसी अधिकारी को बीकानेर विकास आयुक्त के रूप में ऐसे वेतन और भत्तों पर और सेवा के ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर नियुक्त करेगी, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें। वह प्राधिकरण का मुख्य कार्यपालक अधिकारी होगा और प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड या उसके किसी निकाय में प्रतिनियुक्ति पर समय-समय पर नियुक्त सरकारी अधिकारियों सहित प्राधिकरण के समस्त अधिकारियों और कर्मचारियों के कार्यों का पर्यवेक्षण करेगा और उन पर नियंत्रण रखेगा। वह प्राधिकरण को देय समस्त राशियों के संग्रह और उसके द्वारा संदेय समस्त राशियों के संदाय के लिए उत्तरदायी होगा। वह प्राधिकरण की नकद शेष राशि सहित समस्त आस्तियों की पर्याप्त सुरक्षा सुनिश्चित करेगा। उपर्युक्त शक्तियों और कर्तव्यों तथा प्राधिकरण या कार्यकारी समिति या किसी अन्य समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड या उसके किसी निकाय द्वारा प्रत्यायोजित शक्तियों तथा कर्तव्यों के अलावा

वह निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग, निम्नलिखित कृत्यों का पालन और निम्नलिखित कर्तव्यों का निर्वहन करेगा, अर्थात्:-

- (i) प्राधिकरण की प्रवर्तन इकाइयों का प्रबन्ध और पर्यवेक्षण करना;
- (ii) अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, प्राधिकरण या, यथास्थिति, कार्यकारी समिति द्वारा स्वीकृत संख्या के अनुसार कर्मचारियों की नियुक्ति, जिसमें प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियमों के अनुसार उनको हटाया जाना, पदच्युत किया जाना या अन्यथा दण्ड देना भी सम्मिलित है;
- (iii) प्राधिकरण के प्रबन्ध के लिए आन्तरिक प्रक्रिया प्रख्यापित करना;
- (iv) प्राधिकरण की परियोजनाओं एवं स्कीमों का प्रशासन;
- (v) प्राधिकरण की ओर से इस अधिनियम के अधीन दी जाने के लिए अपेक्षित कोई अनुज्ञा देना या उसे देने से इन्कार करना;
- (vi) निविदाएं आमंत्रित करना, उनकी संवीक्षा करना और यदि उनका मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक न हो तो उनका अनुमोदन करना या उनको रद्द करना और जब मूल्य एक करोड़ रुपये से अधिक हो तो कार्यकारी समिति को सिफारिश करना;
- (vii) प्राधिकरण के लिए और उसकी ओर से करार करना और संविदा करना; और
- (viii) अन्य सभी शक्तियां, कृत्य और कर्तव्य, जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) बीकानेर विकास आयुक्त को सहयोग और सलाह देने के लिए राज्य सरकार निम्नलिखित निदेशकों की नियुक्ति करेगी:-

- (i) निदेशक, अभियांत्रिकी, जो सिविल संनिर्माण के मुख्य अभियंता की रैंक से नीचे का नहीं होगा;
- (ii) निदेशक, नगर नियोजन, जो वरिष्ठ नगर नियोजक और स्थापत्य सलाहकार की रैंक से नीचे का नहीं होगा;
- (iii) निदेशक, वित्त, जो वरिष्ठ लेखाधिकारी की रैंक से नीचे का नहीं होगा; और
- (iv) निदेशक, विधि, जो राजस्थान राज्य विधिक सेवा के संयुक्त विधि परामर्शी की रैंक से नीचे का नहीं होगा।

(3) राज्य सरकार, प्राधिकरण के लिए सचिव की नियुक्ति करेगी जो कार्यकारी समिति, अन्य समितियों, यदि कोई हों और समस्त कृत्यकारी बोर्डों के सचिव के रूप में भी कार्य करेगा। वह बीकानेर विकास आयुक्त के नियंत्रण एवं पर्यवेक्षणाधीन रहते हुए प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, समस्त कृत्यकारी बोर्डों, प्राधिकरण की समितियों या किसी निकाय का कार्यवृत्त अभिलिखित करेगा और उससे सुसंगत समस्त अभिलेखों के साथ कार्यवृत्त पुस्तिका रखेगा और ऐसी शक्तियों का प्रयोग, ऐसे कृत्यों का निर्वहन और ऐसे कर्तव्यों का पालन करेगा जो प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, बीकानेर विकास आयुक्त या किसी कृत्यकारी बोर्ड द्वारा उसे प्रत्यायोजित किये जायें।

(4) राज्य सरकार बीकानेर विकास आयुक्त की सहायता के लिए एक या अधिक अतिरिक्त आयुक्त और अतिरिक्त सचिव भी नियुक्त कर सकेगी जो ऐसे कृत्यों का पालन और ऐसे कर्तव्यों का निर्वहन करेंगे जो उनको बीकानेर विकास आयुक्त द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें।

(5) उप-धारा (2), (3) और (4) के अधीन नियुक्त अधिकारी प्राधिकरण के अधिकारी समझे जायेंगे और उनके वेतन और भत्ते तथा उनके सेवा संबंधी निबंधन और शर्तें ऐसी होंगी जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित की जायें।

9. प्राधिकरण के लिए पृथक् सामान्य सेवा सृजित करने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी बात के होते हुए भी, राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्रशासन और शासन में एकरूपता सुनिश्चित करते हुए, प्राधिकरण के लिए कोई पृथक् सामान्य सेवा सृजित कर सकेगी।

(2) राज्य सरकार को उप-धारा (1) के अधीन सृजित सेवा की नाम पद्धति, संरचना और काडर सदस्य-संख्या अवधारित करने की शक्ति होगी और वह समय-समय पर उसे, जैसा वह समुचित समझे, उपांतरित या पुनरीक्षित कर सकेगी।

(3) राज्य सरकार, इस धारा के अधीन सृजित सेवा के संबंध में,-

(क) पदों के सृजन, उनके वर्गीकरण, नियंत्रण और भर्ती, पदोन्नति तथा सेवानिवृत्ति सहित सेवा के निबंधनों और शर्तों को मंजूर कर सकेगी; और

(ख) सेवाओं में नियुक्त किये जाने वाले व्यक्तियों की अर्हताएं, नियुक्ति की रीतियां और कर्तव्य आदि विहित करते हुए इस धारा के अधीन सृजित सेवाओं पर लागू सामान्य सेवा नियमों को विरचित और प्रवर्तित कर सकेगी।

10. समितियों का गठन.- (1) प्राधिकरण, ऐसी रीति से और ऐसे प्रयोजनों और कृत्यों के लिए, जो प्राधिकरण के द्वारा विनियमों द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें, ऐसी समितियों का गठन कर सकेगा जिनमें समस्त सदस्य उक्त प्राधिकरण के या कुछ सदस्य प्राधिकरण के और कुछ अन्य व्यक्ति होंगे।

(2) इस धारा के अधीन गठित समितियों की बैठकें ऐसे स्थान और समय पर होंगी और ऐसी बैठकों में कार्य संचालन संबंधी ऐसे प्रक्रिया-नियमों का पालन होगा जो विनियमों द्वारा उपबन्धित किये जायें।

(3) समितियों के सदस्यों को बैठकों में उपस्थित होने या समिति के अन्य कार्य करते समय किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऐसे भत्ते दिये जायेंगे, जो विहित किये जायें।

11. आदेशों आदि का अधिप्रमाणन.- प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, अन्य समितियों और कृत्यकारी बोर्डों की समस्त कार्यवाहियों का अधिप्रमाणन, प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, अन्य समिति या, यथास्थिति, कृत्यकारी बोर्डों के अध्यक्ष या, इस निमित्त अध्यक्ष द्वारा प्राधिकृत उसके किसी सदस्य के हस्ताक्षरों द्वारा होगा और प्राधिकरण के समस्त अन्य आदेशों एवं लिखतों को, बीकानेर विकास आयुक्त या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत, प्राधिकरण के किसी अन्य सदस्य द्वारा अधिप्रमाणित किया जायेगा।

12. सहायता करने या सलाह देने के लिए सरकारी और स्थानीय प्राधिकारी के अधिकारियों को आमंत्रित करने के लिए उपबन्ध.- प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, बीकानेर विकास आयुक्त या कृत्यकारी बोर्ड अपनी बैठक या बैठकों में हाजिर होने के लिए राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी के किसी भी अधिकारी या किसी अन्य व्यक्ति को किसी मामले या मामलों में सहायता करने या सलाह देने के प्रयोजन के लिए विशिष्ट या स्थायी आमंत्रिणी के रूप में आमंत्रित कर सकेगा। इस प्रकार आमंत्रित अधिकारी या व्यक्ति बैठक की कार्यवाहियों में भाग ले सकेंगे किन्तु उन्हें मत देने का अधिकार नहीं होगा।

अध्याय 3

कृत्यकारी बोर्डों का गठन

13. बीकानेर यातायात नियन्त्रण बोर्ड की स्थापना.- (1) धारा 3 की उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण की स्थापना के तुरन्त पश्चात् राज्य सरकार, आदेश द्वारा, प्राधिकरण के अधीन एक कृत्यकारी बोर्ड का गठन करेगी जिसका नाम "बीकानेर यातायात नियन्त्रण बोर्ड" होगा।

(2) बीकानेर यातायात नियन्त्रण बोर्ड में निम्नलिखित सदस्य होंगे, अर्थात्:-

- (i) बीकानेर विकास आयुक्त, जो अध्यक्ष होगा;
- (ii) जिला मजिस्ट्रेट, बीकानेर;
- (iii) पुलिस अधीक्षक, बीकानेर शहर;
- (iv) सचिव, बीकानेर विकास प्राधिकरण;
- (v) क्षेत्रीय परिवहन अधिकारी, बीकानेर, राजस्थान;
- (vi) मुख्य प्रबन्धक, राजस्थान राज्य पथ परिवहन निगम, बीकानेर;
- (vii) अतिरिक्त मुख्य अभियंता, सार्वजनिक निर्माण विभाग, बीकानेर;
- (viii) अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता, जन स्वास्थ्य अभियांत्रिकी विभाग, बीकानेर;
- (ix) जोधपुर विद्युत् वितरण निगम लिमिटेड का प्रतिनिधि, जो अतिरिक्त मुख्य अभियन्ता की रैंक से नीचे का न हो;
- (x) प्राधिकरण का निदेशक, अभियांत्रिकी;
- (xi) प्राधिकरण का निदेशक, नगर नियोजन;
- (xii) प्राधिकरण का निदेशक, वित्त;
- (xiii) महापौर/प्रशासक, नगर निगम, बीकानेर;
- (xiv) अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पालिका बोर्ड, नापासर;
- (xv) अध्यक्ष/प्रशासक, नगर पालिका बोर्ड, देशनोक; और
- (xvi) प्राधिकरण के अध्यक्ष द्वारा नामनिर्देशित किये जाने वाले दो व्यक्ति।

(3) बीकानेर यातायात नियंत्रण बोर्ड निम्नलिखित शक्तियों का प्रयोग और निम्नलिखित कर्तव्यों का पालन करेगा, अर्थात्:-

- (i) बीकानेर शहर में यातायात नियंत्रण के लिए मास्टर योजना तैयार करना और उसके कार्यान्वयन के लिए क्रमबद्ध रीति से कदम उठाना;
- (ii) यातायात नियंत्रण व्यवस्था के आधुनिकीकरण के लिए कदम उठाना;
- (iii) हल्के और भारी यानों के यातायात लाईसेंस जारी करने के लिए नीति अधिकथित करना;
- (iv) एकतरफा यातायात की नीति अवधारित करना, कुछ सड़कों पर कतिपय प्रकार के यातायात कतिपय समय के लिए निर्बन्धन अधिरोपित करना, कतिपय सड़कों पर कतिपय यानों को वर्जित करना, पार्किंग स्थानों, स्टैण्डों, रुकने के स्थानों और साईकिल मार्गों और उनसे सम्बद्ध अन्य मामलों का अवधारण करना;
- (v) संकेत-चिह्न, रोध और गतिरोधक लगाने के लिए दिशा-निर्देश अधिकथित करना;
- (vi) विभिन्न प्रयोजनों के लिए किसी व्यक्ति, सरकारी विभाग (केन्द्रीय या राज्य) किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य निकाय को सड़क काटने के लिए अनुज्ञा देना और उसके लिए शर्तें अधिरोपित करना;
- (vii) यातायात के परिसंकटों, अवरोधों को तोड़ना और ऐसे मामलों में विनियमों के अनुसार प्रतिकर अवधारित करना;

- (viii) यातायात नियंत्रण और यातायात शिक्षा के लिए नागरिकों और ख्यातिप्राप्त संस्थाओं से, सलाह देने और निधि इकट्ठी करने के लिए नियमों के अनुसार सहायता मांगना;
- (ix) यातायात शिक्षा की व्यवस्था करना; और
- (x) यातायात के सुधार और नियंत्रण से सम्बन्धित अन्य समस्त क्रियाकलाप और ऐसे कृत्य करना जो प्राधिकरण द्वारा निदेशित किये जायें।

14. अन्य कृत्यकारी बोर्डों का गठन और शक्तियाँ.- (1) प्राधिकरण के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए प्राधिकरण की सलाह पर राज्य सरकार, राजपत्र में प्रकाशित आदेश द्वारा (i) परिवहन तथा संचार बोर्ड (ii) जल-संसाधन प्रबन्ध बोर्ड (iii) आवासन, नगरीय नवीकरण और पारिस्थितिकी बोर्ड और ऐसे नामों से, जिन्हें विनिर्दिष्ट करना वह ठीक समझे, समय-समय पर अन्य कृत्यकारी बोर्डों का गठन करेगी जिनमें प्रत्येक में, उप-धारा (2) में यथा उपबन्धित सदस्य होंगे।

(2) उप-धारा (1) के अधीन राज्य सरकार द्वारा गठित प्रत्येक कृत्यकारी बोर्ड में अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्य (पांच से अनधिक) होंगे जितने राज्य सरकार द्वारा नियुक्त किये जायें। सदस्यों में से कम से कम दो ऐसे होंगे जो कृत्यकारी बोर्ड द्वारा सम्पादित किये जाने वाले विषय के बारे में विशेष ज्ञान और अनुभव रखते हों।

(3) राज्य सरकार, यदि वह लोकहित में ऐसा करना ठीक समझे तो, उप-धारा (1) के अधीन गठित किसी कृत्यकारी बोर्ड के अध्यक्ष या किसी सदस्य की नियुक्ति समाप्त कर सकेगी या किसी भी समय उसका पुनर्गठन कर सकेगी।

(4) प्रत्येक कृत्यकारी बोर्ड अपने कार्य क्षेत्र के भीतर के क्षेत्रों के विषयों के संबंध में,—

- (क) परियोजनाओं और स्कीमों की आयोजना करेगा, उन्हें परिलक्षित करेगा, सर्वेक्षण प्रारम्भ करेगा और अन्वेषणों का संचालन करेगा (स्वयं या किन्हीं अन्य समुचित एजेन्सियों को लगाकर) तथा प्राधिकरण के विचारार्थ विनिधान प्रयोजनों के लिए कार्यक्रम एवं प्रस्ताव तैयार करेगा जिसमें उसके निष्पादन के लिए लगाये जाने वाले प्राधिकारी और एजेन्सियां भी उपदर्शित की जायेंगी;
- (ख) प्राधिकरण, कार्यकारी समिति या बीकानेर विकास आयुक्त को सलाह देगा;
- (ग) प्राधिकरण या कार्यकारी समिति द्वारा उसे सौंपी गयी किसी परियोजना या स्कीम को कार्यान्वित करेगा; और
- (घ) ऐसी अन्य शक्तियों का प्रयोग तथा ऐसे कृत्यों और कर्तव्यों का पालन करेगा जो उसे प्राधिकरण द्वारा प्रत्यायोजित किये जायें या जो कार्यकारी समिति या बीकानेर विकास आयुक्त द्वारा समय-समय पर उसे समनुदेशित किये जायें।

15. कृत्यकारी बोर्ड की बैठकें.- (1) इस अध्याय के अधीन गठित समस्त कृत्यकारी बोर्डों की बैठकें ऐसे स्थान पर और ऐसे समय पर होंगी जैसाकि उसके अध्यक्ष द्वारा अवधारित किया जाये और उसकी बैठक में कार्य संचालन संबंधी ऐसे प्रक्रिया नियमों का पालन किया जायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित किये जायें।

(2) कृत्यकारी बोर्डों के सदस्यों को बोर्ड की बैठकों में उपस्थित होने और बोर्ड के अन्य कार्य करते समय किये जाने वाले व्यक्तिगत खर्चों के लिए ऐसे भत्ते दिये जायेंगे जो विहित किये जायें।

अध्याय 4

प्राधिकरण की शक्तियाँ और कृत्य

16. प्राधिकरण के कृत्य.- प्राधिकरण का मुख्य उद्देश्य बीकानेर रीजन का एकीकृत विकास करना होगा और उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के निम्नलिखित कृत्य होंगे:-

- (क) नगर आयोजना जिसके अन्तर्गत मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजनाएं तैयार करना और इस प्रयोजन के लिए सर्वेक्षण करवाना और उनमें ऐसे परिवर्तन भी करना, जो आवश्यक समझे जायें;
- (ख) बीकानेर रीजन या उसके किसी भाग के विकास के लिए परियोजनाएं बनाना और उनको स्वीकृत करना;
- (ग) परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन सीधे ही स्वयं करना या किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य एजेंसी द्वारा करवाना;
- (घ) बीकानेर रीजन के सम्पूर्ण विकास के लिए ऐसे किसी मामले या किसी प्रस्ताव के सम्बन्ध में राज्य सरकार को सिफारिश करना जिसमें राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार, किसी स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित हो;
- (ङ) बीकानेर रीजन के विकास के लिए किसी अन्य प्राधिकारी के साथ भागीदारी करना;
- (च) बीकानेर रीजन के विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों के निष्पादन में समन्वय स्थापित करना;
- (छ) ऐसी किसी परियोजना या स्कीम की, जिसका खर्चा सम्पूर्णतः या भागतः बीकानेर रीजन विकास निधि में से किया जाना है, आयोजना और निष्पादन का पर्यवेक्षण या उस पर अन्यथा यथोचित पर्यवेक्षण सुनिश्चित करना;
- (ज) स्कीमें तैयार करना और कृषि, उद्यान कृषि, फूलों की खेती, वन लगाना, डेयरी विकास, परिवहन, संचार, स्कूल खोलना, सांस्कृतिक क्रियाकलापों, खेलकूद, चिकित्सा, पर्यटन, मनोरंजन और ऐसे अन्य क्रियाकलापों के विस्तार के लिए स्कीमें बनाने और उन्हें हाथ में लिये जाने के संबंध में संबंधित प्राधिकारियों, विभागों और एजेंसियों को सलाह देना;
- (झ) राज्य सरकार के निदेशानुसार परियोजनाओं और स्कीमों का निष्पादन कराना;
- (ञ) बीकानेर रीजन में आवासीय कार्य हाथ में लेना:
परन्तु राजस्थान आवासन बोर्ड और प्राधिकरण के बीच आवासन के उत्तरदायित्व का उल्लेख राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा, जो उसके द्वारा नियत की जाने वाली तारीख से प्रभावित हो;
- (ट) जंगम या स्थावर सम्पत्ति का, जैसाकि वह आवश्यक समझे, अर्जन, धारण, प्रबन्ध और व्ययन करना;
- (ठ) प्राधिकरण द्वारा अपने कृत्यों के निष्पादन के लिए आवश्यक समझा जाने पर किसी व्यक्ति या से गठन के साथ संविदा, करार या व्यवस्था करना;
- (ड) यातायात नियंत्रण और प्रबन्ध के लिए मास्टर योजना तैयार करना, यातायात को सुगम बनाने और उससे संबंधित मामलों के लिए नीति और कार्यवाही के कार्यक्रम बनाना;
- (ढ) नगर नवीनीकरण, पर्यावरण और पारिस्थितिकी, परिवहन एवं संचार और जल शक्ति संसाधनों के प्रबन्ध के लिए राज्य सरकार द्वारा सीधे ही या अन्य विभागों/एजेंसियों के, जो राज्य सरकार विनिर्दिष्ट करे, माध्यम से उसे प्रत्यायोजित किये गये कृत्य करना;
- (ण) बीकानेर रीजन में या प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट उसके किसी भाग में बिलों, विज्ञापन-पट्टों, मार्गपट्टों और नाम बोर्डों के लगाये जाने का विनियमन करना;

- (त) प्राधिकरण द्वारा यथाविनिर्दिष्ट बीकानेर रीजन या उसके किसी भाग में भवनों या भवनों के निकले हुए भागों के निर्माण या पुनर्निर्माण, उसमें किये जाने वाले तात्विक परिवर्तन, और खुले स्थानों की व्यवस्था करने के कार्यों को विनियमित करना;
- (थ) सार्वजनिक मार्गों, खुले स्थानों और सरकार या प्राधिकरण में निहित सम्पत्तियों से बाधाओं एवं अतिक्रमणों को हटाना;
- (द) ऐसे अन्य कृत्य और बातें करना जो उन मामलों के लिए आवश्यक या आनुषंगिक या साधक हों, जो इसके क्रियाकलापों के कारण उत्पन्न हुए हों और जो उन उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए आवश्यक हों जिनके लिए प्राधिकरण की स्थापना की गयी है; और
- (ध) ऐसे अन्य कृत्य करना जो इस अधिनियम के उद्देश्यों की पूर्ति के लिए राज्य सरकार द्वारा अभिहित किये जायें।

17. प्राधिकरण की अनुज्ञा के बिना कोई अन्य प्राधिकारी या व व्यक्ति विकास कार्य नहीं करवायेगा.-

(1) तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में कोई बात होने पर भी कोई प्राधिकारी या व्यक्ति प्राधिकरण की पूर्व अनुज्ञा के बिना बीकानेर रीजन के भीतर उस प्रकार का विकास कार्य नहीं करवायेगा जैसा कि प्राधिकरण द्वारा राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा समय-समय पर विनिर्दिष्ट किया जाये और जिसके कारण बीकानेर रीजन के समग्र विकास पर प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की संभावना हो।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट विकास कार्य करने का इच्छुक कोई भी प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा विकास कार्य करने के लिए अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण को लिखित आवेदन करेगा:

परन्तु ऐसा व्यक्ति संबंधित स्थानीय प्राधिकारी के जरिये ऐसी अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा और ऐसा स्थानीय प्राधिकारी उसके आवेदन को अपनी सिफारिशों, यदि कोई हों, के साथ प्राधिकरण को भेजेगा।

(3) प्राधिकरण ऐसी जांच, जो वह आवश्यक समझे, करने के पश्चात् और उप-धारा (2) के अधीन आवेदन प्राप्त होने के साठ दिन के भीतर किन्हीं शर्तों के बिना या ऐसी किन्हीं शर्तों के साथ, जिन्हें अधिरोपित करना वह उचित समझे, ऐसी अनुज्ञा दे देगा या ऐसी अनुज्ञा देने से इन्कार कर देगा। यदि ऐसी अनुज्ञा यथापूर्वोक्त साठ दिन के भीतर नहीं दी जाती है या उससे इन्कार नहीं किया जाता है तो आवेदक, प्राधिकरण के सचिव या इस निमित्त उसके द्वारा नामनिर्दिष्ट किसी भी अन्य अधिकारी को वैयक्तिक रूप से या अपने प्राधिकृत प्रतिनिधि के माध्यम से प्रस्तुत लिखित संसूचना के द्वारा, अनुज्ञा देने या उसे देने से इन्कार करने में हो रहे लोप या उपेक्षा की ओर प्राधिकरण का ध्यान आकर्षित कर सकेगा, और यदि ऐसा लोप या उपेक्षा, ऐसी संसूचना के प्राप्त होने से तीस दिन की और कालावधि तक जारी रहती है तो यह समझा जायेगा कि प्राधिकरण ने प्रस्तावित विकास की अनुज्ञा दे दी है और ऐसे विकास को, आवेदन में विनिर्दिष्ट रीति से, अग्रसर किया जा सकेगा:

परन्तु इसमें अन्तर्विष्ट किसी भी बात का यह अर्थ नहीं लगाया जायेगा कि वह किसी भी व्यक्ति को इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों, विनियमों या किये गये आदेश के किन्हीं भी उन उपबन्धों के उल्लंघन में कार्य करने के लिए प्राधिकृत करती है जो इस अधिनियम के अधीन किसी भी सुधार का जिम्मा लेने या उसे कार्यान्वित करने से पहले प्राधिकरण की अनुज्ञा प्राप्त करने की अपेक्षा से भिन्न किसी भी मामले से सम्बन्धित हैं।

(4) उप-धारा (3) के अधीन प्राधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे विनिश्चय के विरुद्ध राज्य सरकार को तीस दिन के भीतर अपील कर सकेगा जिसका विनिश्चय अंतिम होगा:

परन्तु ऐसी अपील प्रस्तुत करने वाला व्यथित प्राधिकारी यदि केन्द्रीय सरकार के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन हो तो अपील केन्द्रीय सरकार से परामर्श करने के पश्चात् राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित की जायेगी।

(5) उस दशा में जब कि कोई व्यक्ति या प्राधिकारी इस धारा के अधीन किये गये विनिश्चय के प्रतिकूल कोई कार्य करे तो प्राधिकरण को ऐसे विनिश्चय के प्रतिकूल किये गये किसी विकास कार्य को गिराने, तोड़ने या हटाने और इस प्रकार गिराने, तोड़ने या हटाने का खर्चा संबंधित व्यक्ति या प्राधिकारी से वसूल करने की शक्ति होगी।

18. प्राधिकरण की निदेश देने की शक्ति.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में कोई बात होने पर भी प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को ऐसी किसी परियोजना या स्कीम की, जिसे धारा 16 के अधीन वित्तीय सहायता दी गयी है, कार्यान्विति के संबंध में ऐसे निदेश दे सकेगा जो वह उचित समझे और ऐसा कोई स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसे निदेशों का पालन करने को आबद्ध होगा।

(2) जब उप-धारा (1) के अधीन किसी स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति को कोई निदेश दिया जाता है तो ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसा निदेश प्राप्त होने की तारीख से पन्द्रह दिन के भीतर ऐसे निदेश के विरुद्ध राज्य सरकार को अपील कर सकेगा और उस पर राज्य सरकार का विनिश्चय अंतिम होगा।

(3) प्राधिकरण धारा 16 के खण्ड (छ) में निर्दिष्ट पर्यवेक्षण की शक्तियों का प्रयोग इस प्रकार करेगा जो यह सुनिश्चित करने के लिए आवश्यक हो कि प्रत्येक परियोजना या स्कीम का निष्पादन बीकानेर रीजन के समग्र विकास के हित में और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि के अधीन अनुमोदित या राज्य सरकार द्वारा सम्यक् रूप से अनुमोदित किसी योजना, परियोजना या स्कीम के अनुसार किया जा रहा है।

19. कतिपय मामलों में स्थानीय प्राधिकारी से उत्तरदायित्व लेने की अपेक्षा करने की प्राधिकरण की शक्ति.- (1) जहां प्राधिकरण द्वारा कोई सुविधाएं उपलब्ध करायी गयी हों वहां प्राधिकरण उन सुविधाओं के रख-रखाव का उत्तरदायित्व संभाल लेगा जो उसके द्वारा उपलब्ध करायी गयी हों या वह स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से जिसकी अधिकारिता के भीतर इस प्रकार विकसित क्षेत्र आता है, ऐसा उत्तरदायित्व सम्भाल लेने की अपेक्षा कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण स्थानीय प्राधिकारी या किसी अन्य प्राधिकारी से ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जिन पर सहमति हो जाये, और जहां ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर सहमति नहीं हो सके वहां स्थानीय प्राधिकारी या, यथास्थिति, किसी अन्य प्राधिकारी और प्राधिकरण के साथ परामर्श करके ऐसे निबन्धनों और शर्तों पर जो कि राज्य सरकार द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें ऐसी अन्य सुविधाओं के लिए उपबन्ध करने की अपेक्षा भी कर सकेगा जो उसके द्वारा विनिर्दिष्ट की जायें और जिनके लिए प्राधिकरण द्वारा उपबन्ध नहीं किया गया है।

20. प्राधिकरण की किसी योजना को निष्पादित करने की शक्ति.- (1) जब प्राधिकरण का यह समाधान हो जाये कि धारा 18 की उप-धारा (1) के अधीन उसके द्वारा किसी परियोजना या स्कीम के संबंध में दिये गये किसी निदेश को उसमें निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा विनिर्दिष्ट समय के भीतर कार्यान्वित नहीं किया गया है या ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति बीकानेर रीजन के किसी भाग के विकास के लिए अपने द्वारा हाथ में ली गयी किसी परियोजना या स्कीम का कार्यान्वयन पूरी तौर से करने में असमर्थ है तो प्राधिकरण राज्य सरकार की मंजूरी से ऐसे निर्माण कार्यों को स्वयं करवायेगा और ऐसी परियोजनाओं के निष्पादन या, यथास्थिति, ऐसी स्कीमों की कार्यान्विति के लिए कोई खर्चा उपगत कर सकेगा।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के निदेशानुसार बीकानेर रीजन में मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना या किसी अन्य परियोजना या, यथास्थिति, स्कीम के अनुसार कोई कार्य हाथ में ले सकेगा और ऐसा व्यय कर सकेगा जो निर्माण कार्य के निष्पादन के लिए आवश्यक हो। ऐसा निदेश प्राधिकरण को केवल तब ही जारी किया जायेगा जब राज्य सरकार की राय में –

- (क) ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने वाला कोई अन्य उपयुक्त प्राधिकरण नहीं हो, या
- (ख) ऐसा प्राधिकरण हो किन्तु वह ऐसे कार्य का उत्तरदायित्व लेने में अनिच्छुक या असमर्थ हो, या
- (ग) जब प्राधिकरण ने ऐसा कार्य उसे सौंपने के लिए राज्य सरकार से विशेष रूप से निवेदन किया हो।

(3) जब उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा किसी कार्य का उत्तरदायित्व लिया गया हो तो उसे ऐसे कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए वे समस्त शक्तियां होंगी जो उप-धारा (1) में निर्दिष्ट स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी या व्यक्ति द्वारा तत्समय प्रवृत्त किसी विधि या उसके अधीन प्रयुक्त की जा सकती हैं।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (1) और (2) के प्रयोजन के लिए बीकानेर रीजन के भीतर किसी क्षेत्र के सर्वेक्षण का उत्तरदायित्व ले सकेगा और उस प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी के लिए निम्नलिखित कार्य करना विधिपूर्ण होगा:-

- (क) ऐसी भूमि के तल मापन के लिए किसी भूमि में या उस पर प्रवेश करना;
- (ख) अधोमृदा की खुदाई या बेधन;
- (ग) चिह्न लगाकर और खाई खोदकर तल माप और सीमाओं के चिह्न लगाना; और
- (घ) जब अन्यथा सर्वेक्षण पूर्ण नहीं हो सकता हो या तल माप और सीमाएं चिह्नित नहीं की जा सकती हों, तो बाड़ या जंगल काटना या साफ करना:

परन्तु किसी भूमि पर प्रवेश करने से पूर्व प्राधिकरण ऐसा करने के अपने आशय का नोटिस ऐसी रीति में देगा जो विनियमों में विनिर्दिष्ट की जाये।

अध्याय 5

मास्टर विकास योजना और जोनल विकास योजनाएं

21. नागरिक सर्वेक्षण और मास्टर योजना तैयार करना.- (1) प्राधिकरण भूमि के योजनाबद्ध एकीकृत विकास और उपयोग को सुनिश्चित करने के लिए बीकानेर रीजन का नागरिक सर्वेक्षण करेगा और उसके लिए मास्टर विकास योजना तैयार करेगा।

(2) मास्टर विकास योजना में बीकानेर रीजन के नागरिकों के उस जीवन को जिसके निर्वाह की इच्छा वे (i) वर्ष 2031 ई. में मध्यम श्रेणी के परिप्रेक्ष्य में (ii) वर्ष 2040 ई. में और उसके पश्चात् दीर्घकालीन परिप्रेक्ष्य में, तथा (iii) राज्य सरकार के निदेशानुसार ऐसे अन्य अन्तर्वर्ती चरणों में रखते हैं, बीकानेर नगर और बीकानेर रीजन के अन्य विकासोन्मुख क्षेत्रों की आवश्यकताओं की पूर्ति के लिए संतुलित और समयबद्ध विकास को, लोक उपयोगिताओं, नागरिक सुविधाओं, सामुदायिक प्रसुविधाओं, आवासीय, संचार और परिवहन के जाल बिछाने को, प्राकृतिक संसाधनों के परिरक्षण और विकास के लिए परियोजनाओं और स्कीमों को और बीकानेर रीजन के एकीकृत विकास पर प्रभाव डालने वाली ऐसी अन्य बातों को स्पष्टतः परिभाषित किया जायेगा और उसमें निम्नलिखित के लिए विशेष उपबन्ध किया जा सकेगा:-

- (i) परिवहन और संचार जैसे सड़कें, राजमार्ग, रेलवे, नहरें, अन्तरराष्ट्रीय हवाई अड्डे, एयर कार्गो कॉम्प्लेक्स और बस-सेवा तथा उनका विकास सम्मिलित हैं;
- (ii) जल-प्रदाय, जल-निकास, मल-नाली, मल-निकास और अन्य लोक उपयोगिताएं, सुविधाएं और सेवाएं जिनमें विद्युत् और गैस भी सम्मिलित हैं;
- (iii) प्राकृतिक दृश्यावली, शहर के वनों, वन्य प्राणियों, प्राकृतिक संसाधनों और स्थल दृश्यों के क्षेत्रों का परिरक्षण, संरक्षण और विकास;
- (iv) ऐतिहासिक, प्राकृतिक, स्थापत्य या वैज्ञानिक रुचि और शैक्षिक मूल्यों की वस्तुओं, आकृतियों, इमारतों या स्थानों का परिरक्षण;
- (v) भूमि कटाव रोकना, वनरोपण या पुनः वनरोपण की व्यवस्था करना, जलप्लावित क्षेत्रों, नदियों, नालों, झीलों और तालाबों का सुधार करना;
- (vi) सिंचाई, जल-प्रदाय एवं जल विद्युत् संकर्म, बाढ़ नियंत्रण और जल और वायु प्रदूषण को रोकना;
- (vii) शैक्षिक और चिकित्सा सुविधाएं;
- (viii) जिला व्यावसायिक केन्द्र, अन्य शापिंग कॉम्प्लेक्स, निर्यातान्मुख औद्योगिक क्षेत्र, निकास गृह, स्थायी प्रदर्शनी केन्द्र, पशु मेले और बाजार;
- (ix) खेलकूद कॉम्प्लेक्स जो अन्तरराष्ट्रीय खेलों का आयोजन करने योग्य हों;
- (x) आमोद-प्रमोद के लिए उद्यान जिनमें डिज्नीलैण्ड शैली के कॉम्प्लेक्स, सफारी उद्यान और अन्य बाग और उद्यान, पिकनिक स्थान और दिन के आमोद-प्रमोद जिनमें कृत्रिम झीलें और जलाशय सम्मिलित हैं;
- (xi) सांस्कृतिक कॉम्प्लेक्स जिनमें नाट्य गृह, सिनेमा, रंगमंच, स्टूडियो, मनोरंजन केन्द्र, सम्मेलन हाल कॉम्प्लेक्स, कन्सर्ट हाल, टाउन हाल और सभा भवन सम्मिलित हैं;
- (xii) पर्यटन कॉम्प्लेक्स जिनमें होटल और मोटल, कार किराये पर लेने की सेवाएं, पर्यटन और यात्राएं आयोजित करना सम्मिलित हैं;
- (xiii) नये कस्बों के विकास के साथ-साथ बीकानेर रीजन में उपनगरों का विकास और बीकानेर शहर के साथ उनका समुचित एकीकरण;
- (xiv) विभिन्न उपयोगों के लिए भूमि का आबंटन करना, भूमि का सामान्य वितरण करना और वह सामान्य स्थिति और सीमा बतलाना जिस तक आवासीय, वाणिज्यिक, औद्योगिक, कृषि या वन के रूप में या खनिज समुपयोजन के लिए या अन्य प्रयोजनों के लिए भूमि का उपयोग किया जा सके;
- (xv) खुले स्थानों, बागों, मनोरंजन स्थानों, चिड़ियाघरों, प्राकृतिक आरक्षितियों, पशु अभयारण्य, दुग्धशालाओं तथा स्वास्थ्य स्थलों और अन्य प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का आरक्षण करना;
- (xvi) अधिक जनसंख्या वाले और औद्योगिक रूप से संकुलित क्षेत्रों से जनसंख्या या उद्योग को पुनः स्थापित करना और बीकानेर रीजन के किसी भी क्षेत्र में मंजूर किये जाने वाले जनसंख्या के घनत्व या उद्योगों के केन्द्रीकरण को इंगित करना;
- (xvii) आवासन, जिसमें ग्रामीण आवासन भी सम्मिलित है;
- (xviii) नीचे, दलदली या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों को भरना या ठीक करना या भूमियों को समतल करना;

- (xix) विद्यमान निर्मित क्षेत्रों का पुनः विकास और सुधार करना;
- (xx) "आबादी" के विकास को सम्मिलित करते हुए भिन्न-भिन्न जोनों के लिए योजना मानक और जोनिंग विनियम बनाना; और
- (xxi) नगरीय विकास प्रबंध के लिए बीकानेर रीजन की योजना बनाना और उससे संबंधित समस्त मामलों और इस अधिनियम के उद्देश्यों से संगत अन्य मामलों के लिए योजना बनाना।

(3) मास्टर विकास योजना में वे विभिन्न जोन भी परिनिश्चित किये जायेंगे जिनमें विकास के प्रयोजनों के लिए बीकानेर रीजन को विभाजित किया जायेगा और उसमें वह रीति जिसमें विकास किया जाना है, और प्रत्येक जोन की भूमि, जिसका उपयोग किया जाना प्रस्तावित है (चाहे उसमें विकास कार्य करके अथवा अन्यथा), और वे चरण जिनमें ऐसा विकास किया जायेगा, बतलाये जायेंगे और वह उस ढांचे का आधारभूत नमूना होगी, जिसके भीतर विभिन्न जोनों की जोनल विकास योजना तैयार की जा सकेगी:

परन्तु प्राधिकरण, यदि लोकहित में ऐसा आवश्यक समझे तो, किसी भी जोन के क्षेत्र को बदल सकेगा।

22. जोनल विकास योजना.- (1) मास्टर विकास योजना तैयार करने के साथ-साथ या उसके तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण प्रत्येक उस जोन के लिए, जिसमें बीकानेर रीजन को विभाजित किया जाये, जोनल विकास योजना तैयार करने की कार्यवाही करेगा।

(2) जोनल विकास योजना में,-

- (क) धारा 21 की उप-धारा (2) में यथा-उल्लिखित विकास क्रियाकलापों के लिए उपबन्ध होगा;
- (ख) जोन के विकास का एक स्थल रेखांक होगा और ऐसी बातें जैसे कि सार्वजनिक भवन और अन्य सार्वजनिक निर्माण कार्य और उपयोगिताएं, सड़कें, आवासन, आमोद-प्रमोद, उद्योग, व्यवसाय, बाजार, स्कूल, अस्पताल, सार्वजनिक एवं निजी खुले स्थान, और अन्य सार्वजनिक और निजी उपयोग की सीमावर्ती स्थितियों और जोन में प्रस्तावित भूमि के उपयोग की सीमा दिखायी जायेगी;
- (ग) आबादी की सघनता और भवनों की सघनता के स्तरमान विनिर्दिष्ट किये जायेंगे;
- (घ) जोन का ऐसा प्रत्येक क्षेत्र दिखाया जायेगा, जो प्राधिकरण की राय में विकास या पुनर्विकास के लिए अपेक्षित हो या घोषित किया जा सकता हो; और
- (ङ) विशेषतः, निम्नलिखित सभी बातों से या उन में से किसी से संबंधित उपबन्ध होंगे, अर्थात्:-
 - (i) भवन निर्माण के लिए किसी स्थल का भू-खण्डों में विभाजन;
 - (ii) सड़कों, खुले स्थानों, बागों, आमोद-प्रमोद के स्थलों, विद्यालयों, बाजारों और अन्य सार्वजनिक प्रयोजनों के लिए भूमि का आबंटन या आरक्षण;
 - (iii) किसी क्षेत्र का कस्बे या कालोनी के रूप में विकास और वे निर्बन्धन और शर्तें जिनके अधीन रहते हुए ऐसा विकास किया जा सकेगा या क्रियान्वित किया जा सकेगा;
 - (iv) किसी स्थल पर भवनों का परिनिर्माण और भवनों में या उनके चारों ओर रखे जाने वाले खुले स्थान के बारे में निर्बन्धन और शर्तें और भवनों की ऊंचाई और उनका स्वरूप;
 - (v) किसी स्थल पर भवनों का पंक्ति-बन्धन;
 - (vi) किसी स्थल पर निर्मित किये जाने वाले किसी भवन की ऊंचाई या अग्रभाग का स्थापत्य स्वरूप;
 - (vii) किसी प्लॉट या स्थल पर बनाये जाने वाले आवासीय भवनों की संख्या;

- (viii) किसी स्थल या ऐसे स्थल पर बने भवनों के संबंध में उपलब्ध करायी जाने वाली सुख-सुविधाएं जो चाहे भवनों के निर्माण से पूर्व उपलब्ध करायी जायें या उसके पश्चात् और व्यक्ति या प्राधिकारी जिसके द्वारा या जिसके खर्चे पर ऐसी सुख-सुविधाएं उपलब्ध करायी जानी हैं;
- (ix) किसी परिक्षेत्र में विशेष प्रयोजन के लिए परिकल्पित दुकानों, वर्कशापों, भाण्डागारों या कारखानों या विनिर्दिष्ट वास्तुकला संबंधी स्वरूप के भवनों के निर्माण के संबंध में प्रतिषेध या निर्बन्धन;
- (x) दीवारों, बाड़बन्दियों, झाड़बन्दियों या किसी अन्य संरचनात्मक निर्माण या वास्तु संबंधी निर्माणों का रख-रखाव और वह ऊंचाई जहां तक उन्हें बनाये रखना है;
- (xi) किसी स्थल के भवन-निर्माण से भिन्न प्रयोजन के लिए उपयोग किये जाने के संबंध में निर्बन्धन; और
- (xii) कोई अन्य बातें जो जोन या उसके किसी क्षेत्र की योजना के अनुसार समुचित विकास के लिए और ऐसे जोन या क्षेत्र में भवनों के अक्रमिक निर्माण को रोकने के लिए आवश्यक हों।

23. योजना तैयार करने और उसे मंजूर किये जाने के संबंध में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया.- (1) किसी योजना को अन्तिम रूप से तैयार करने के पूर्व प्राधिकरण योजना का एक प्रारूप तैयार करेगा और उसे प्रकाशित करायेगा और उसकी एक प्रति निरीक्षणार्थ उपलब्ध करायेगा और एक नोटिस ऐसे प्रारूप और रीति में प्रकाशित करायेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये और उसके द्वारा किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख के पूर्व, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, योजना के प्रारूप के संबंध में आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे।

(2) प्राधिकरण प्रत्येक स्थानीय प्राधिकारी को भी जिसकी स्थानीय सीमाओं के भीतर स्थित भूमि को योजना स्पर्श करती है, उस योजना की बाबत किसी भी प्रकार का अभ्यावेदन करने का युक्तियुक्त अवसर देगा।

(3) प्राधिकरण उन समस्त आक्षेपों, सुझावों और अभ्यावेदनों पर, जो उसे प्राप्त हों, विचार करने के पश्चात् योजना को अन्तिम रूप देगा।

(4) योजना के आकार और उसकी अन्तर्वस्तु की बाबत और उसके बारे में अपनायी जाने वाली प्रक्रिया की बाबत ऐसी योजना तैयार करने एवं मंजूर करने से संबंधित किसी अन्य मामले में विनियमों द्वारा उपबन्ध किये जा सकेंगे।

(5) उप-धारा (1) से (4) तक में कोई बात होने पर भी उक्त उप-धाराओं में अधिकथित प्रक्रिया का उस मामले में अपनाया जाना अपेक्षित नहीं होगा जब किसी जोन में किसी परियोजना या स्कीम का विकास या उसमें कोई सुधार प्राधिकरण में निहित किसी भूमि पर कार्यान्वित किया जाना हो।

24. योजना के प्रवर्तित होने की तारीख.- प्राधिकरण द्वारा योजना मंजूर किये जाने के तुरन्त पश्चात् वह एक नोटिस ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित हो जिसमें यह कथन होगा कि योजना का अनुमोदन कर दिया गया है और उसमें उस स्थान का भी नाम होगा जहां सभी युक्तियुक्त समयों पर योजना की प्रति का निरीक्षण किया जा सकेगा और उपर्युक्त नोटिस के प्रथम प्रकाशन की तारीख को वह योजना प्रवर्तित हो जायेगी।

25. योजनाओं का पश्चात्पूर्वी उपांतरण.- (1) धारा 24 के उपबन्धों के अनुसार योजना के प्रवर्तित होने के पश्चात् किसी भी समय प्राधिकरण योजना में ऐसे उपांतरण कर सकेगा जो वह उचित समझे, उपांतरण

उसकी राय में ऐसे हों जिनसे योजना के स्वरूप में तात्त्विक परिवर्तन न आने पायें और जो भूमि के उपयोग के विस्तार या जनसंख्या की सघनता के मानकों से संबंधित न हों।

(2) प्राधिकरण राज्य सरकार के अनुमोदन से बीकानेर रीजन के किसी भाग के योजनाबद्ध विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से उन्नयन करने के लिए योजना में कोई अन्य उपान्तरण कर सकेगा।

(3) प्राधिकरण या नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर और नगरपालिका बोर्ड, देशनोक, या कोई भी अन्य निकाय या समिति, जिसे राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किया जाये, बीकानेर रीजन में किसी भाग के योजनाबद्ध विकास का अधिक दक्षतापूर्ण रीति से संप्रवर्तन करने के लिए, ऐसे क्षेत्र की योजना की भूमि के उपयोग में ऐसे उपांतरण कर सकेगी जो राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा विनिर्दिष्ट किये जायें।

(4) योजना में कोई भी उपान्तरण किये जाने से पूर्व प्राधिकरण, नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर और नगरपालिका बोर्ड, देशनोक, या कोई भी अन्य निकाय या, यथास्थिति, समिति एक नोटिस ऐसे प्ररूप और रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगी जिसके द्वारा उस नोटिस में विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व आक्षेप एवं सुझाव आमंत्रित किये जायेंगे और प्राधिकरण, नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर और नगरपालिका बोर्ड, देशनोक, या किसी भी अन्य निकाय या, यथास्थिति, समिति द्वारा प्राप्त समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार किया जायेगा।

(5) इस धारा के उपबन्धों के अधीन किये गये प्रत्येक उपान्तरण को प्रकाशित किया जायेगा और उपान्तरण का प्रवर्तन या तो प्रकाशन की तारीख से होगा या उस तारीख से होगा जो प्राधिकरण, नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर और नगरपालिका बोर्ड, देशनोक, या कोई अन्य निकाय या, यथास्थिति, समिति राजपत्र में प्रकाशित नोटिस द्वारा नियत करे, जिसके उपरान्त उपान्तरित योजना ही इस अधिनियम के समस्त आशयों और समस्त प्रयोजनों के लिए प्रवर्तित होगी।

(6) किसी उपान्तरित योजना का प्रवर्तन होने पर इस अध्याय की पूर्वगामी धाराओं के सिवाय अन्य किसी धारा में मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना के प्रति किसी निर्देश का अर्थ इस धारा के उपबन्धों के अधीन यथा-उपान्तरित मास्टर विकास योजना या जोनल विकास योजना के प्रति निर्देश से लगाया जायेगा।

26. योजना का क्रियान्वयन.- प्राधिकरण किसी योजना का प्रवर्तन होने पर यथाशीघ्र योजना के क्रियान्वयन के लिए ऐसी कार्यवाही करेगा जो इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन रहते हुए आवश्यक समझी जाये।

27. इस अधिनियम से पूर्व तैयार की गयी योजनाएं इस अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी.- इस अधिनियम के प्रारम्भ से पूर्व प्रवृत्त किसी भी अन्य विधि के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी कोई भी मास्टर योजना या जोनल योजना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन तैयार की गयी समझी जायेगी जिस पर मास्टर योजना/मास्टर विकास योजना की स्वीकृति, उपान्तरण और प्रवर्तन से संबंधित पूर्ववर्ती धाराओं के उपबन्ध, यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे:

परन्तु बीकानेर के नगरीय क्षेत्र के लिए विधि के किन्हीं भी अन्य उपबन्धों के अधीन स्वीकृत कोई मास्टर योजना या जोनल योजना इस अधिनियम के उपबन्धों के अधीन किसी योजना के स्वीकृत होते ही प्रवृत्त नहीं रहेगी।

28. योजना का पुनर्विलोकन.- इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी इस अधिनियम के अधीन किसी योजना के प्रवर्तित हो जाने की तारीख से दस वर्ष के भीतर किसी भी समय यदि राज्य सरकार या

प्राधिकरण की यह राय हो कि ऐसी योजना का पुनरीक्षण आवश्यक है तो राज्य सरकार प्राधिकरण को ऐसी योजना का पुनरीक्षण करने का निदेश दे सकेगी, या प्राधिकरण स्वप्रेरणा से, यदि आवश्यक हो, बीकानेर रीजन का नवीन नागरिक सर्वेक्षण करा लेने और वर्तमान में उपयोग में आयी भूमि का नक्शा तैयार करा लेने के पश्चात् उसका पुनरीक्षण कर सकेगा और तब इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्ध, जहां तक वे लागू किये जा सकते हैं, ऐसी योजना के पुनरीक्षण पर उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार कि ये उपबन्ध किसी योजना की तैयारी, प्रकाशन और स्वीकृति पर लागू होते हैं।

अध्याय 6

योजनाओं में सम्मिलित भूमि के विकास और उपयोग का नियंत्रण

29. विकास क्षेत्रों की घोषणाएं.- (1) धारा 24 में यथा-उपबन्धित किसी योजना के प्रवर्तन में आने के पश्चात् प्राधिकरण यथासंभव शीघ्र राजपत्र में अधिसूचना द्वारा बीकानेर रीजन के किसी भी क्षेत्र को इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए विकास क्षेत्र घोषित कर सकेगा।

(2) इस अधिनियम में यथा-उपबन्धित को छोड़कर, प्राधिकरण किसी भी ऐसे क्षेत्र में भूमि के विकास का उत्तरदायित्व नहीं लेगा या उसका विकास नहीं करेगा जो विकास क्षेत्र नहीं है।

(3) राजपत्र में उप-धारा (1) के अधीन प्रकाशित अधिसूचना की तारीख को या उसके पश्चात्, कोई भी व्यक्ति प्राधिकरण या नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर और नगरपालिका बोर्ड, देशनोक, की उनकी अपनी अधिकारिता के भीतर लिखित अनुज्ञा के बिना संबंधित अधिकारिता में की किसी भी भूमि के उपयोग के आरंभ या परिवर्तन या भूमि के विकास का क्रियान्वयन, किसी लोकमार्ग को तोड़कर, खोलने के सिवाय, जिसके लिए बीकानेर यातायात नियंत्रण बोर्ड की लिखित पूर्वानुज्ञा ली जायेगी, नहीं करेगा:

परन्तु निम्नलिखित के लिए ऐसी कोई अनुज्ञा आवश्यक नहीं होगी:-

- (i) किसी भवन के रखरखाव, सुधार या अन्य फेरबदल के ऐसे कार्य के लिए जो केवल भवन के अन्दरूनी भाग को प्रभावित करते हैं या जो उसके बाहरी स्वरूप को तात्त्विक रूप से प्रभावित नहीं करते हैं;
- (ii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी भी प्राधिकारी द्वारा दिये गये आदेश या निदेश के अनुपालन में किये जाने वाले कार्यों के लिए;
- (iii) तत्समय प्रवृत्त किसी भी विधि के अधीन किसी प्राधिकारी द्वारा अपनी शक्तियों का प्रयोग करते हुए किये जाने वाले कार्यों के लिए;
- (iv) केन्द्र या राज्य सरकार या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाने वाले किन्हीं भी कार्यों के लिए जो-
 - (क) किसी राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग के रखरखाव या सुधार के लिए अपेक्षित हों; वे ऐसे कार्य हों जो ऐसे राजमार्ग, सड़क या लोकमार्ग की सीमा में आयी भूमि पर किये गये हों;
 - (ख) किन्हीं नालियों, मलनालियों, मुख्य नालियों, पाइपों, केबलों, टेलीफोनों या अन्य साधित्रों के निरीक्षण, मरम्मत या नवीकरण के प्रयोजन के लिए हों;
- (v) कृषि कार्यों के सामान्य अनुक्रम के दौरान साधारणतः किये गये उत्खनन (कुओं सहित) के लिए;
- (vi) सड़क के संनिर्माण के लिए जो केवल कृषि प्रयोजन के लिए भूमि पर पहुंचने के आशय से हों;

- (vii) उस भूमि के सामान्य उपयोग के लिए जिसका अस्थायी रूप से उपयोग अन्य प्रयोजन के लिए किया जा रहा हो;
- (viii) ऐसी भूमि के मामले में जिसका उपयोग सामान्यतः एक कार्य के लिए होता हो और यदाकदा किसी अन्य प्रयोजन के लिए होता हो तब यदाकदा उस अन्य प्रयोजन के लिए भूमि का उपयोग करने के लिए; और
- (ix) मानव आवास के लिए किसी भवन के उपयोग के आनुषंगिक प्रयोजन के लिए या ऐसे भवन से संलग्न किसी भवन या भूमि के उपयोग के लिए।

30. विकास की अनुज्ञा के प्रतिसंहरण और उपान्तरण की शक्ति.- (1) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि तैयार की गयी या तैयार की जा रही किसी योजना को ध्यान में रखते हुए यह समीचीन है कि इस अधिनियम या किसी अन्य विधि के अधीन किसी भूमि के विकास के लिए दी गयी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण कर दिया जाये तो प्राधिकरण ऐसे प्रतिसंहरण या उपान्तरण के विरुद्ध संबंधित व्यक्ति को सुनवाई का अवसर प्रदान करने के पश्चात् आदेश द्वारा अनुज्ञा का उस सीमा तक प्रतिसंहरण या उपान्तरण कर सकेगा जो उसे आवश्यक प्रतीत हो:

परन्तु-

- (क) जहां विकास किसी भवन या अन्य किसी संक्रिया के निष्पादन से संबंधित हो तो ऐसा कोई भी आदेश ऐसी किन्हीं संक्रियाओं को प्रभावित नहीं करेगा जो पहले ही निष्पादित की जा चुकी हों या आदेश तभी पारित किया जायेगा जबकि इन संक्रियाओं की सारवान् प्रगति हो चुकी हो या संक्रियाएं पूर्ण हो चुकी हों;
- (ख) जहां विकास भूमि के उपयोग में परिवर्तन से संबंधित हो वहां परिवर्तन हो जाने के पश्चात् किसी भी समय ऐसा कोई आदेश पारित नहीं किया जायेगा:

परन्तु यह और कि जहां अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपांतरण लोकहित में आवश्यक हो वहां प्रथम परन्तुक के उपबंध लागू नहीं होंगे।

(2) जहां उप-धारा (1) के अधीन किये गये आदेश द्वारा किसी अनुज्ञा का प्रतिसंहरण या उपान्तरण किया गया हो और कोई भी स्वामी विहित समय में और रीति से ऐसी अनुज्ञा के जो प्रतिसंहरण या उपान्तरण द्वारा बेकार कर दी गयी हो, अनुसरण में किये गये विकास में हुए व्यय के लिए प्रतिकर का दावा करे तो प्राधिकरण स्वामी को उसकी सुनवाई ऐसे अधिकारी द्वारा जिसे उसने इस निमित्त नियुक्त किया है, की जाने का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् और उसकी रिपोर्ट पर विचार करने के पश्चात् ऐसे प्रतिकर का निर्धारण करेगा और स्वामी को समुचित प्रतिकर देने का प्रस्ताव करेगा।

(3) यदि स्वामी यह प्रतिकर स्वीकार नहीं करता है और अपनी इन्कारी का नोटिस तीस दिन के भीतर देता है तो प्राधिकरण इस मामले को न्याय निर्णयन के लिए अधिकरण को भेजेगा और अधिकरण का विनिश्चय उक्त स्वामी और प्राधिकरण के लिए आबद्धकर होगा।

31. अप्राधिकृत विकास या योजना के अनुरूप से अन्यथा उपयोग के लिए शास्ति.- (1) कोई व्यक्ति जो स्वप्रेरणा से या किसी अन्य व्यक्ति की प्रेरणा पर ऐसा कोई विकास प्रारम्भ करता है, विकास का दायित्व लेता है या उसे कार्यान्वित करता है या किसी भूमि के उपयोग का ऐसा प्रारम्भ या परिवर्तन करता है जो-

- (क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना किया जाता है; या
- (ख) जो मंजूर की गयी किसी अनुज्ञा के अनुसरण में नहीं है या जो किसी ऐसी शर्त के उल्लंघन में है जिसके अधीन ऐसी अनुज्ञा मंजूर की गयी थी; या

(ग) विकास की अनुज्ञा का सम्यक् रूप से प्रतिसंहरण करने के पश्चात् किया जाता है; या

(घ) उस अनुज्ञा के उल्लंघन में है जिसका सम्यक् रूप से उपान्तरण किया गया है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध के जारी रहने पर ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रतिदिन एक सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(2) कोई भी व्यक्ति जो धारा 17 के अधीन ऐसा करने के लिए अनुज्ञात किये बिना किसी योजना के उपबन्धों के उल्लंघन में किसी भवन या भूमि का उपयोग जारी रखता है या अनुज्ञात करता है या जहां ऐसे उपयोग को जारी रखना उस धारा के अधीन अनुज्ञात किये जाने पर ऐसा उपयोग उस कालावधि के पश्चात् भी जारी रहता है जिसके लिए यह अनुज्ञात किया गया था, या उन निबन्धनों और शर्तों का अनुपालन किये बिना जिनके अधीन ऐसे उपयोग का जारी रखना अनुज्ञात किया गया है, उसका उपयोग जारी रखता है तो दोषसिद्धि पर, उसे ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा; और अपराध जारी रहने पर ऐसे जुर्माने से और दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के लिए दोषसिद्धि के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

32. अप्राधिकृत विकास को हटाने की अपेक्षा करने की शक्ति.- (1) जहां धारा 31 की उप-धारा (1) में उपदर्शित के अनुसार भूमि का कोई विकास किया गया हो वहां प्राधिकरण, इस धारा के उपबन्धों के अधीन रहते हुए, ऐसे विकास के दस वर्षों के भीतर स्वामी को नोटिस दे सकेगा जिसमें उससे अपेक्षा की जायेगी कि वह नोटिस की तामील के पश्चात् उसमें विनिर्दिष्ट ऐसी कालावधि के भीतर जो एक मास से अधिक की नहीं होगी, निम्नलिखित ऐसे कदम उठाये जो नोटिस में विनिर्दिष्ट हों-

(क) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (क) या (ग) में विनिर्दिष्ट मामलों में भूमि को उसी स्थिति में प्रत्यावर्तित करना जो उसकी स्थिति उक्त विकास के होने के पहले थी;

(ख) धारा 31 की उप-धारा (1) के खण्ड (ख) या (घ) में विनिर्दिष्ट मामलों में शर्तों या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन सुनिश्चित करना:

परन्तु जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग को रोकना अपेक्षित हो, वहां प्राधिकरण अधिभोगी पर भी नोटिस की तामील करायेगा।

(2) विशिष्टतः, ऐसे नोटिस में उप-धारा (1) के प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जायेगी कि-

(i) किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिया जाये या उसमें फेरबदल किया जाये;

(ii) भूमि पर किसी भवन का निर्माण या अन्य संक्रियाएं की जायें; या

(iii) भूमि के किसी उपयोग को रोक दिया जाये।

(3) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति नोटिस में विहित कालावधि के भीतर और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से भूमि पर किसी भवन या संकर्म के प्रतिधारण के लिए या भूमि के किसी उपयोग को जारी रखने के लिए जिससे नोटिस संबंधित है, धारा 17 के अधीन अनुज्ञा के लिए आवेदन कर सकेगा और आवेदन का अन्तिम रूप से अवधारण होने या उसे वापस ले लिये जाने के दौरान भवनों या संकर्मों के प्रतिधारण या ऐसे उपयोग को जारी रखने पर केवल नोटिस का कोई प्रभाव नहीं होगा।

(4) इस अध्याय के पूर्ववर्ती उपबन्ध, जहां तक ये लागू हों, उप-धारा (3) के अधीन किये गये आवेदन पर लागू होंगे।

(5) आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर कर ली जाती है तो नोटिस प्रत्याहृत माना जायेगा; किन्तु ऐसी आवेदित अनुज्ञा यदि मंजूर नहीं की जाती है तो नोटिस यथावत बना रहेगा या यदि अनुज्ञा केवल कुछ भवनों या

संकर्मों के प्रतिधारण के लिए या भूमि के केवल किसी भाग के उपयोग को जारी रखे जाने के लिए दी गयी हो तो नोटिस ऐसे भवनों या संकर्मों या भूमि के ऐसे भाग के संबंध में प्रत्याहृत माना जायेगा किन्तु अन्य भवनों या संकर्मों या भूमि के अन्य भागों, जैसी भी स्थिति हो, के संबंध में यथावत बना रहेगा और तब स्वामी से अपेक्षा की जायेगी कि वह ऐसे अन्य भवनों, संकर्मों या भूमि के भागों के संबंध में उप-धारा (1) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कदम उठाये।

(6) यदि नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या उप-धारा (4) के अधीन आवेदन के निपटारे के पश्चात् उसी कालावधि के भीतर नोटिस का, जितना भी यह यथावत रहता है, अनुपालन नहीं किया जाता है तो प्राधिकरण-

- (क) नोटिस का अनुपालन न करने पर स्वामी का और जहां नोटिस में भूमि के किसी उपयोग के जारी न रखे जाने की अपेक्षा की गयी हो वहां किसी अन्य व्यक्ति का भी, जो भूमि का उपयोग करता है या नोटिस के उल्लंघन में भूमि का उपयोग कराता है या उसकी अनुज्ञा देता है, अभियोजन कर सकेगा; और
- (ख) जहां नोटिस में किसी भवन या संकर्म को तोड़ दिये जाने या उसमें परिवर्तन करने या किसी भवन अथवा अन्य संक्रियाओं के निष्पादन की अपेक्षा की गयी हो वहां पर स्वयं विकास होने के पहले वाली स्थिति का प्रतिधारण करायेगा और अनुज्ञा की शर्तों या यथा उपान्तरित अनुज्ञा का अनुपालन कराने हेतु किसी भवन या संकर्म को तोड़ने या उसमें परिवर्तन करने अथवा किसी भवन या अन्य संक्रियाओं के निष्पादन सहित ऐसे कदम उठायेगा जो प्राधिकरण आवश्यक समझे और इस निमित्त उसके द्वारा खर्च की गयी रकम स्वामी से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा।

(7) उप-धारा (6) के खण्ड (क) के अधीन अभियोजित कोई व्यक्ति दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और अपराध जारी रहने के दौरान इस प्रकार जारी रखने के लिए दोषसिद्धि पर उसे ऐसे और जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो प्रथम बार के अपराध के पश्चात् प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

33. अप्राधिकृत विकास रोकने की शक्ति.- (1) जहां धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा-उपदर्शित भूमि का विकास किया जा रहा हो किन्तु पूर्ण नहीं हुआ हो तो वहां प्राधिकरण स्वामी पर और विकास करने वाले व्यक्ति पर एक नोटिस तामील करायेगा जिसमें अपेक्षा की जायेगी कि भूमि का विकास नोटिस की तामील के समय से बन्द कर दिया जाये और तब धारा 32 की उप-धारा (3), (4), (5) और (6) के उपबन्ध, जहां तक ये लागू हो सकें, ऐसे नोटिस के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे धारा 32 के अधीन नोटिस के संबंध में लागू होते हैं।

(2) कोई भी व्यक्ति, जो ऐसे नोटिस के तामील हो जाने के पश्चात्, चाहे अपने लिए या चाहे स्वामी अथवा किसी अन्य व्यक्ति के लिए भूमि का विकास जारी रखता है तो वह दोषसिद्धि पर ऐसे जुर्माने से दण्डित किया जायेगा जो पांच हजार रुपये तक का हो सकेगा और यदि उसका अननुपालन जारी रखा जाता है तो वह ऐसे और जुर्माने से भी दण्डित किया जायेगा जो नोटिस की तामील की तारीख के पश्चात् अननुपालन किये जाने या अननुपालन जारी रखे जाने के दौरान प्रतिदिन पांच सौ रुपये तक का हो सकेगा।

(3) इस अध्याय में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के अधीन नोटिस प्राप्त करने के पश्चात् अनधिकृत विकास जारी रखता है, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन, प्रारम्भ किये जा सकने वाले किसी भी अभियोजन या

अन्य कार्यवाहियों या कार्रवाई के अतिरिक्त, किसी भी पुलिस अधिकारी से उस व्यक्ति को जिसके द्वारा भवन का परिनिर्माण जारी रखा जाता है और उसके समस्त सहायकों और कर्मकारों को, ऐसे समय के भीतर जो अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट किया जाये, अनधिकृत विकास के स्थान से हटाने की अपेक्षा करने के लिए सशक्त होगा और ऐसा पुलिस अधिकारी अध्यपेक्षा का तदनुसार अनुपालन करेगा। व्यक्तियों के ऐसे हटाये जाने के अतिरिक्त प्राधिकरण ऐसी निर्माण सामग्री, औजारों, आदि को अधिहृत भी कर सकेगा जिसे ऐसा व्यक्ति अनधिकृत विकास के लिए उपयोग में ला रहा था।

(4) उप-धारा (3) के अधीन के अध्यपेक्षा आदेश का अनुपालन हो जाने के पश्चात् कोई भी व्यक्ति या उसके सहायक और कर्मकार, जो बाद में अनधिकृत विकास जारी रखते हैं, दोषसिद्धि पर, उप-धारा (3) के अधीन की कार्रवाई के अतिरिक्त, इस अधिनियम की धारा 69 के अधीन दण्डनीय होंगे।

(5) ऐसे किसी भी नुकसान के लिए किसी भी व्यक्ति द्वारा प्रतिकर का कोई दावा नहीं किया जायेगा जिसे वह अनधिकृत विकास के, इस अधिनियम के अधीन बंद किये जाने के परिणामस्वरूप उठाये।

34. अप्राधिकृत विकास का प्रशमन.- इस अध्याय में इसके पूर्व किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी, जहां किसी भी व्यक्ति ने स्थायी प्रकृति का कोई भी विकास या भूमि के उपयोग का परिवर्तन,-

(क) इस अधिनियम के अधीन अपेक्षित अनुज्ञा के बिना, या

(ख) जो किसी प्रदत्त अनुज्ञा के अनुसार नहीं है या किन्हीं भी ऐसी शर्तों के उल्लंघन में है जिनके अध्यधीन रहते हुए कोई भी अनुज्ञा दी गयी है, या

(ग) प्रदत्त या सम्यक् रूप से उपांतरित किसी भी अनुज्ञा के उल्लंघन में,

कर लिया है वहां ऐसा विकास या भूमि के उपयोग का परिवर्तन प्राधिकरण द्वारा, ऐसे निबंधनों पर और ऐसी फीस तथा प्रभारों के, जो राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर विहित किये जायें, संदाय पर प्रशमित किया जा सकेगा।

35. संक्षिप्त प्रक्रिया से अप्राधिकृत अस्थायी विकास को हटाना या बन्द करना.- (1) इस अध्याय में इससे पूर्व किसी बात के होते हुए भी, जहां किसी व्यक्ति ने धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा-उपदर्शित अस्थायी प्रकार का विकास अप्राधिकृत रूप से कर लिया है तो प्राधिकरण, लिखित आदेश द्वारा, उस व्यक्ति को आदेश प्राप्त के पन्द्रह दिन के भीतर किसी परिनिर्मिति या निर्माण कार्य को हटाने या भूमि का यथापूर्वोक्त अप्राधिकृत उपयोग बन्द करने का निदेश दे सकेगा और यदि उसके पश्चात् वह व्यक्ति उक्त कालावधि के भीतर आदेश का अनुपालन नहीं करता है तो प्राधिकरण या इसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत कोई भी अधिकारी संक्षिप्त प्रक्रिया से ऐसे निर्माण कार्य को हटा सकेगा या आदेश में यथानिर्देशित उपयोग को बिना किसी नोटिस के संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा बन्द करा सकेगा और अप्राधिकृत रूप से फिर से किया गया कोई विकास इसी प्रकार संक्षिप्त प्रक्रिया द्वारा यथापूर्वोक्त कोई आदेश जारी किये बिना हटा दिया या बन्द कर दिया जायेगा:

परन्तु खड़ी फसलों को संक्षिप्त प्रक्रिया से नहीं हटाया जायेगा और सम्बन्धित व्यक्ति को फसल काटने और एकत्र करने के लिए प्राधिकरण द्वारा छह मास से अनधिक की समुचित कालावधि अनुज्ञात की जायेगी।

(2) अस्थायी प्रकार का विकास क्या है, इस प्रश्न पर प्राधिकरण का विनिश्चय अंतिम होगा।

36. अप्राधिकृत विकास को सील करने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण, धारा 32 या धारा 33 या धारा 35 के अधीन किसी विकास को हटाने या बंद करने के लिए आदेश देने से पूर्व या पश्चात् किसी भी समय, इस अधिनियम के उपबंधों को कार्यान्वित करने के प्रयोजन के लिए या ऐसे विकास की प्रकृति और विस्तार के बारे में

किसी भी विवाद का निवारण करने के लिए ऐसे विकास को विहित रीति से सील किये जाने का निदेश देते हुए आदेश दे सकेगा।

(2) जहां किसी विकास को सील कर दिया गया हो, वहां प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी, राज्य सरकार या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी की पूर्व अनुज्ञा से, ऐसे विकास को हटाने या रोकने के प्रयोजन के लिए, उस सील को हटाये जाने का आदेश दे सकेगा।

(3) कोई भी व्यक्ति ऐसी सील को-

(क) उप-धारा (2) के अधीन पारित किसी आदेश द्वारा; या

(ख) अधिकरण के किसी आदेश द्वारा,

के सिवाय नहीं हटायेगा।

(4) कोई भी व्यक्ति जो उप-धारा (3) के उपबंधों का उल्लंघन करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे जुर्माने से जो पच्चीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दंडित किया जायेगा।

37. प्राधिकृत विकास या उपयोग को हटाये जाने की अपेक्षा करने की शक्ति.- (1) यदि प्राधिकरण को यह प्रतीत हो कि तैयार की गयी योजना को ध्यान में रखते हुए इसके क्षेत्रों (सुख-सुविधाओं सहित) को उपयुक्त रूप से योजनाबद्ध करने के लिए यह समीचीन है,-

(क) कि भूमि के किसी उपयोग को बन्द कर देना चाहिए; या

(ख) कि उसके जारी रखने पर कोई शर्तें अधिरोपित की जानी चाहिए; या

(ग) कि किसी भवन या निर्माण-कार्य को परिवर्तित कर दिया या हटा दिया जाना चाहिए, तो प्राधिकरण स्वामी पर नोटिस तामील करवाकर-

(i) उस उपयोग को बंद किये जाने की अपेक्षा कर सकेगा; या

(ii) उसे जारी रखे जाने के लिए ऐसी शर्तें अधिरोपित कर सकेगा जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जायें; या

(iii) नोटिस की तामील के पश्चात्, यथास्थिति, किन्हीं भवनों या संकर्मों को हटाने या उनमें फेरबदल करने के ऐसे कदम, उसमें विनिर्दिष्ट एक मास से अन्यून की ऐसी अवधि में उठाने की अपेक्षा कर सकेगा जैसे नोटिस में विनिर्दिष्ट किये जायें।

(2) ऐसे नोटिस से व्यथित कोई भी व्यक्ति उक्त कालावधि के भीतर और विहित रीति से अधिकरण को अपील कर सकेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन दायर की गयी किसी अपील पर अधिकरण अपीलार्थी और प्राधिकरण को सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर प्रदान करने के पश्चात् अपील खारिज कर सकेगा या नोटिस को अभिखंडित करते हुए या उसमें फेरफार करते हुए, जैसा भी वह ठीक समझे, अपील मंजूर कर सकेगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति,-

(i) जिसे नोटिस के अनुपालन के परिणामस्वरूप उस भूमि में, जिसका वह हकदार है, किसी हित के अवक्षयण द्वारा या भूमि के उपयोग में विघ्न द्वारा या अन्यथा नुकसान हुआ है; या

(ii) जिसने नोटिस के अनुपालन में कोई निर्माण कार्य कराये हैं, विहित समय में और रीति से प्राधिकरण से उस नुकसान या नोटिस के अनुपालन के लिए अपने द्वारा युक्तियुक्त रूप से किये गये खर्चों के संबंध में प्रतिकर का दावा किया है तो ऐसे दावे के संबंध में धारा 30 की उप-धारा (2) और (3) के उपबन्ध उसी प्रकार लागू होंगे जिस प्रकार वे इन उपबन्धों के अधीन प्रतिकर के दावों पर लागू होते हैं।

38. भूखण्ड के उप-विभाजन या निजी मार्ग बनाने की मंजूरी.- (1) प्रत्येक व्यक्ति, जो धारा 23 के अधीन राजपत्र में प्रारूप योजना के प्रकाशन की तारीख को या उसके पश्चात् अपनी भूमि या भूखण्ड को उप-विभाजित करने का या ऐसी भूमि या भूखण्ड पर निजी मार्ग बनाने या उसका अभिन्यास करने का आशय रखता है, ऐसे प्रयोजन के लिए आशयित प्रारूप अभिन्यास विनियमों या सरकार के आदेशों द्वारा अवधारित विशिष्टियों और ऐसी फीस सहित, मंजूरी के लिए प्राधिकरण को पेश करेगा।

(2) प्राधिकरण, विनियमों में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर या तो बिना उपान्तरणों के या ऐसे उपान्तरणों या शर्तों के अधीन, जो वह समीचीन समझे, ऐसी योजना को मंजूर कर सकेगा या यदि प्राधिकरण की यह राय हो कि इस प्रकार उप-विभाजित किया जाना या मार्ग का बनाया जाना योजना के प्रस्तावों से किसी भी रूप में संगत नहीं है तो मंजूर करने से इन्कार कर सकेगा।

(3) किसी मंजूरी की इन्कारी के लिए या मंजूरी में अधिरोपित उपान्तरण या शर्तों के लिए कोई भी प्रतिकर संदेय नहीं होगा।

(4) यदि कोई व्यक्ति उप-धारा (1) के उल्लंघन में या उप-धारा (2) के अधीन दी गयी मंजूरी में किन्हीं उपान्तरणों या शर्तों के उल्लंघन में या उक्त उप-धारा (2) के अधीन मंजूरी से इन्कारी के बावजूद भी कोई निर्माण कार्य करता है तो प्राधिकरण लिखित नोटिस द्वारा ऐसे व्यक्ति को चालू निर्माण कार्य को रोकने का निदेश दे सकेगा और विनियमों द्वारा अवधारित रीति से जांच करने के पश्चात् किसी भी निर्माण कार्य को हटा सकेगा या गिरा सकेगा या भूमि को उसकी मूल स्थिति में ला सकेगा।

39. किये गये खर्चों की वसूली.- प्राधिकरण द्वारा धारा 32, 33, 35, 37, और 38 के अधीन किया गया खर्च इस अधिनियम के अधीन व्यतिक्रमी द्वारा या भूमि अथवा भूखण्ड के स्वामी द्वारा प्राधिकरण को देय राशि होगी और वह भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल की जायेगी।

अध्याय 7

परियोजनाएं और स्कीमें

40. परियोजनाओं और स्कीमों का बनाया जाना और उनकी अन्तर्वस्तु.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन रहते हुए, प्राधिकरण किसी भी योजना में प्रस्तावों के क्रियान्वयन के लिए बीकानेर रीजन अथवा उसके किसी भाग के एकीकृत विकास हेतु ऐसी परियोजनाएं और स्कीमें बना सकेगा जो आवश्यक हों।

(2) किसी परियोजना या स्कीम में निम्नलिखित समस्त या इनमें से किन्हीं भी मामलों के लिए उपबन्ध किया जा सकेगा, अर्थात्:-

- (i) धारा 21 और 22 में विनिर्दिष्ट किन्हीं भी मामलों के लिए;
- (ii) लोक उपयोगिताओं, जैसे सड़कों, मार्गों, खुली जगहों, पार्कों, उद्यानों, मनोरंजन और खेल-मैदानों, अस्पतालों, औषधालयों, शिक्षण-संस्थाओं, हरित-पट्टियों, दुग्ध शालाओं, आवासन विकास, बाजारों का विकास, शापिंग सेंटरों, वाणिज्यिक काम्प्लेक्सों, सांस्कृतिक केन्द्रों, प्रशासनिक केन्द्रों, परिवहन सुविधाओं और समस्त प्रकार के लोक प्रयोजनों के लिए भूमि के अर्जन, विकास, आरक्षण और विक्रय या उसे पट्टे पर देने के लिए;
- (iii) खाली भूमि या पहले से निर्मिति वाली भूमि का अर्जन, अभिन्यास या पुनः अभिन्यास गलत ढंग से अंकित या गन्दी बस्तियों या कच्ची बस्तियों के रूप में विकसित या विकृत ऐसे क्षेत्रों का पुनः निर्माण या पुनः स्थापन, नीचे, दलदली अथवा अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों की भूमियों को भरना या काम में लाने योग्य बनाना या भूमियों को समतल बनाने के लिए;

- (iv) वाणिज्यिक, औद्योगिक, परिवहन, कृषि-मंडियों और अन्य समान प्रयोजनों के लिए क्षेत्रों का अर्जन और विकास करने के लिए;
 - (v) सड़कें बिछाने या मार्गों की प्रणाली को नया रूप देने के प्रयोजन के लिए भूमि का अर्जन और विकास, नये मार्गों या सड़कों को बिछाने, मार्गों और सड़कों के संनिर्माण, मोड़े जाने, विस्तारण, परिवर्तन, सुधार, बन्द किये जाने और संचार रोक दिये जाने के लिए;
 - (vi) भवनों, सड़कों, जल निकास, मलवहन, सतही और अधोमृदा जल निकास, मल निर्वर्तन सहित और ऐसी ही अन्य सुविधाओं के प्रयोजन के लिए भू-खण्डों का पुनः संनिर्माण करने के लिए;
 - (vii) भवनों, पुलों और अन्य निर्मितियों के संनिर्माण, परिवर्तन और हटाये जाने के लिए;
 - (viii) प्रकाश व्यवस्था एवं जल प्रदाय के लिए;
 - (ix) ऐतिहासिक या राष्ट्रीय अभिरुचि या प्राकृतिक सौंदर्य की वस्तुओं और उन भवनों के परिरक्षण के लिए जिनका वास्तव में धार्मिक प्रयोजन के लिए उपयोग किया जाता है;
 - (x) अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों, पिछड़े वर्गों और समाज के कमजोर तबकों के सदस्यों के लिए आवास स्थान उपलब्ध कराने हेतु किसी स्कीम में उस सीमा तक भूमि का आरक्षण करने के लिए जैसाकि विनियमों द्वारा उपबंधित हो;
 - (xi) भवनों के चारों तरफ रखी जाने वाली जगहों के, भूखण्ड के लिये भवन निर्माण क्षेत्र के प्रतिशत के, विनिर्दिष्ट क्षेत्रों में अनुज्ञात भवनों की संख्या, आकार, ऊंचाई और स्वरूप के, उन प्रयोजनों के, जिनके लिए भवन या विनिर्दिष्ट क्षेत्र विनियोजित किये जायें या न किये जायें, भू-खण्डों के उप-विभाजन के लिए विनिर्दिष्ट कालावधियों में किसी क्षेत्र में भूमियों के आक्षेपणीय उपयोगों को बन्द करने के, पार्किंग स्थानों के लिए किसी भी भवन के, लदाई तथा उतराई की जगह के और निकले हुए भागों, विज्ञापन संकेतों और विज्ञापन-पट्टों के आकार, या अवस्थापन के संबंध में शर्तों और निबन्धनों के अधिरोपण;
 - (xii) तत्समय प्रवृत्त ऐसी किसी विधि के अधीन जिसे बनाने के लिए राज्य विधान-मण्डल सक्षम हो, बनाये गये किसी नियम, उप-विधि, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या आदेश को स्कीम के समुचित क्रिया न्वयन के लिए निलम्बित करने के लिए, जहां तक ऐसा करना आवश्यक हो:
परन्तु इस खण्ड के अधीन किया गया कोई निलम्बन स्कीम के प्रत्याहरण की दशा में या अन्तिम स्कीम के लागू हो जाने पर प्रवृत्त नहीं रहेगा;
 - (xiii) इस प्रकार के अन्य कार्य के लिए जो पर्यावरणीय सुधार लाये और जो प्राधिकरण द्वारा हाथ में लिये जायें और अन्य ऐसे समस्त मामलों के लिए जो इस अधिनियम के उद्देश्यों से असंगत न हों।
- (3) प्रारूप परियोजना या स्कीम में निम्नलिखित विशिष्टियां होंगी, अर्थात्:-
- (क) प्रत्येक मूल भूखण्ड का क्षेत्रफल, स्वामित्व और भूधृति;
 - (ख) उप-धारा (2) के खण्ड (ii) के अधीन आबंटित या आरक्षित भूमि की विशिष्टियां साथ ही उन उपयोगों के साधारण संकेत जिनके लिए ऐसी भूमि रखी जानी है और वे निबन्धन और शर्तें जिनके अधीन ऐसी भूमि ऐसे उपयोगों के लिए रखी जानी है;
 - (ग) वह परिसीमा जहां तक मूल भू-खण्डों की सीमाओं को परिवर्तित किया जाना प्रस्तावित है;
 - (घ) समुचित प्राधिकारी द्वारा वहन की जाने वाली स्कीम की शुद्ध लागत का प्राक्कलन;
 - (ङ) उप-धारा (2) के अधीन स्कीम के ब्यौरे का पूर्ण वर्णन जो कि लागू हो;

- (च) उस भूमि का अभिन्यास या पुनः अभिन्यास जो या तो खाली हो या जिस पर पहले से ही कोई निर्माण किया हुआ हो;
- (छ) निचले, दलदली, या अस्वास्थ्यकर क्षेत्रों का भरा जाना या सुधार करना या भूमि को समतल करना; और
- (ज) अन्य विशिष्टियां जो विनियमों द्वारा अवधारित की जायें।

41. परियोजनाओं और स्कीमों का तैयार किया जाना.- (1) प्राधिकरण, संकल्प द्वारा, किसी विकास क्षेत्र में धारा 40 में यथा उपबंधित के अनुसार परियोजना या स्कीम तैयार करने के अपने आशय की घोषणा कर सकेगा।

(2) ऐसी परियोजना या स्कीम बनाने के आशय की घोषणा की तारीख से तीस दिन के भीतर प्राधिकरण घोषणा को राजपत्र में और ऐसी अन्य रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, प्रकाशित करेगा।

(3) उप-धारा (2) के अधीन घोषणा के प्रकाशन की तारीख से दो वर्ष के भीतर प्राधिकरण परियोजना या स्कीम का प्रारूप तैयार करेगा और इसे एक नोटिस के साथ, जिसमें विनिर्दिष्ट तारीख से पूर्व उक्त परियोजना या स्कीम के प्रारूप के संबंध में किसी भी व्यक्ति से ऐसी तारीख से पूर्व, जो नोटिस के प्रकाशन की तारीख से तीस दिन से पूर्व की नहीं होगी, आक्षेप और सुझाव आमंत्रित किये गये हों ऐसे रूप में और ऐसी रीति से प्रकाशित करेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(4) प्राधिकरण उप-धारा (3) के अधीन नोटिस में विनिर्दिष्ट कालावधि के भीतर प्राप्त होने वाले समस्त आक्षेपों और सुझावों पर विचार करेगा और उससे प्रभावित और सुनवाई के लिए इच्छुक ऐसे व्यक्तियों को समुचित अवसर प्रदान करने के पश्चात् यथा प्रकाशित प्रारूप परियोजना या स्कीम को अनुमोदित करेगा या उसमें ऐसे उपान्तरण करेगा जो वह ठीक समझे।

(5) उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या स्कीम का उपान्तरणों सहित या रहित अनुमोदन किये जाने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण राजपत्र में और ऐसी रीति से, जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, अंतिम परियोजना या स्कीम प्रकाशित करेगा और वह तारीख विनिर्दिष्ट करेगा जिसको यह प्रवर्तित होगी।

(6) पूर्ववर्ती उप-धाराओं में किसी बात के होने पर भी, उनमें अधिकथित प्रक्रिया का पालन करने की अपेक्षा उन मामलों में नहीं की जायेगी जबकि परियोजना या स्कीम का क्रियान्वयन किसी ऐसी भूमि पर करना हो जो प्राधिकरण में निहित हो और किसी भवन का तोड़ना या उसमें रहने वाले व्यक्तियों का हटाया जाना इसके निष्पादन में अन्तर्गस्त न हो।

42. किसी स्कीम की घोषणा के पश्चात् भूमि के उपयोग और विकास पर निर्बन्धन.- (1) उस तारीख को या उसके पश्चात् जिसको धारा 41 के अधीन प्रारूप स्कीम प्रकाशित हुई है, कोई भी व्यक्ति परियोजना या स्कीम में सम्मिलित क्षेत्र के भीतर किसी भवन या भूमि के उपयोग का तब तक प्रारम्भ नहीं करेगा या उसे नहीं बदलेगा या किसी विकास को क्रियान्वित नहीं करेगा जब तक कि ऐसे व्यक्ति ने ऐसा करने के लिए इस निमित्त बनाये गये विनियमों के अनुसरण में आवश्यक अनुज्ञा प्राप्त करने के लिए प्राधिकरण को आवेदन न किया हो और उसे प्राप्त न कर लिया हो:

परन्तु ग्राम आबादी परिसीमाओं के भीतर किसी व्यक्ति के लिए ऐसा विकास स्थानीय पंचायत द्वारा दी गयी अनुज्ञा के अनुसार उस सीमा तक करना विधिपूर्ण होगा जहां तक ऐसी अनुज्ञा ऐसी प्रारूप स्कीम या स्कीमों से संगत हो।

(2) धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम के लिए अध्याय 6 के उपबंध यथावश्यक परिवर्तनों सहित लागू होंगे।

43. स्कीम का व्यपगत होना.- यदि प्राधिकरण धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित किसी परियोजना या स्कीम को उसके धारा 41 की उप-धारा (5) के अधीन प्रकाशित हो जाने की तारीख से पांच वर्ष की कालावधि के भीतर कार्यान्वित करने में विफल रहता है तो यह परियोजना या स्कीम पांच वर्ष की उक्त कालावधि की समाप्ति पर व्यपगत हो जायेगी।

44. परियोजना या स्कीम का उपान्तरण या प्रत्याहरण.- (1) प्राधिकरण की राय, यदि उसके द्वारा ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह उचित समझे, यह हो कि ऐसा किया जाना आवश्यक या समीचीन है तो वह राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना द्वारा यह घोषणा कर सकेगा कि धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन अनुमोदित परियोजना या स्कीम का प्रत्याहरण कर लिया गया है और ऐसी घोषणा करने पर ऐसी परियोजना या स्कीम के संबंध में आगे कोई कार्यवाहियां नहीं की जायेंगी।

(2) यदि प्राधिकरण धारा 41 की उप-धारा (4) के अधीन किसी परियोजना या स्कीम के अनुमोदन के पश्चात् उसमें किसी भी समय कतिपय उपान्तरण करना आवश्यक समझे, जो उसकी राय में परियोजना या स्कीम के स्वरूप में सारवान् परिवर्तन नहीं करते हैं, तो वह उसमें उपयुक्त उपान्तरण कर सकेगा।

45. किसी परियोजना या स्कीम की व्यावृत्ति.- इस अधिनियम के किन्हीं उपबंधों या इसके अधीन स्वीकृत किसी योजना में किसी बात के होते हुए भी, प्राधिकरण, उक्त योजना में समाविष्ट न की गयी ऐसी कोई परियोजना या स्कीम बनाने और उसको क्रियान्वित करने के लिए स्वतंत्र होगा जिसको क्रियान्वित किया जाना प्राधिकरण की राय में लोकहित में आवश्यक या समीचीन हो, और उक्त योजना उस सीमा तक उपान्तरित समझी जायेगी।

अध्याय 8

भूमि का अर्जन और निपटारा

46. करार द्वारा क्रय करने या पट्टे पर देने की शक्ति.- प्राधिकरण किसी ऐसी भूमि को क्रय करने, पट्टे पर देने या विनिमय करने के लिए किसी भी व्यक्ति से करार कर सकेगा जिसे प्राधिकरण अर्जित करने या ऐसी भूमि में कोई हित रखने के लिए प्राधिकृत है।

47. भूमि अर्जित करने की राज्य सरकार की शक्ति.- जहां प्राधिकरण द्वारा किये गये किसी अभ्यावेदन पर राज्य सरकार को यह प्रतीत हो कि अपने किन्हीं कृत्यों के निर्वहन, किन्हीं कर्तव्यों के पालन या अपनी किन्हीं शक्तियों का प्रयोग करने में या अपनी किन्हीं परियोजनाओं या स्कीमों या विकास कार्यक्रम को क्रियान्वित करने में समर्थ बनाने के लिए यह आवश्यक है कि बीकानेर रीजन के किसी भाग में कोई भी भूमि अर्जित की जानी चाहिए तो राज्य सरकार, भूमि अर्जन, पुनर्वास और पुनर्व्यवस्थापन में उचित प्रतिकर और पारदर्शिता का अधिकार अधिनियम, 2013 (2013 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 30) के अधीन और अनुसरण में इस भूमि का अर्जन कर सकेगी।

48. प्राधिकरण को कब्जा उपलब्ध कराया जाना.- जहां कोई भूमि कब्जे में ली जाये, वहां राज्य सरकार, वह भूमि प्राधिकरण को उसके कृत्यों का पालन करने, उसके कर्तव्यों का निर्वहन करने और उसकी शक्तियों का प्रयोग करने के लिए उपलब्ध करा देगी।

49. भूमि का प्राधिकरण में निहित होना और उसका व्ययन.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) में किसी बात के होने पर भी, उस अधिनियम की धारा 103 में यथा-परिभाषित भूमि, उक्त धारा के खण्ड (क) के उप-खण्ड (ii) में विनिर्दिष्ट भूमि को और बीकानेर रीजन में उस अधिनियम की धारा 102-क के अधीन ऐसे स्थानीय प्राधिकारी के पास रखी गयी नजूल भूमि को छोड़कर, इस अधिनियम की धारा 3 के अधीन प्राधिकरण के स्थापित होने के तुरन्त पश्चात् प्राधिकरण को सौंपी गयी और

उसमें निहित हुई समझी जायेगी जो उस भूमि को राज्य सरकार के लिए और उसके निमित्त ग्रहण करेगा और उसका इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए उपयोग कर सकेगा और उसका आबंटन, नियमितीकरण या नीलाम के रूप में व्ययन ऐसी शर्तों तथा निर्बन्धनों के अधीन रहते हुए जैसा कि राज्य सरकार समय-समय पर अधिकथित करे, और ऐसी रीति से कर सकेगा जैसा कि यह समय-समय पर विहित करे:

परन्तु प्राधिकरण किसी भी ऐसी भूमि का व्ययन-

(क) उस पर कोई विकास किये बिना या कराये बिना; या

(ख) ऐसा विकास किये या कराये जाने के पश्चात् जो वह ठीक समझे, ऐसे व्यक्ति को ऐसी रीति से और ऐसी प्रसविदा और शर्तों के अधीन रहते हुए कर सकेगा जो वह योजना के अनुसार विकास सुनिश्चित करने के लिए समीचीन समझे।

(2) प्राधिकरण के द्वारा या उसके नियंत्रण और पर्यवेक्षण के अधीन के सिवाय किसी भूमि का विकास किया या कराया नहीं जायेगा।

(3) यदि प्राधिकरण में निहित किसी भूमि की किसी भी समय नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर या नगरपालिका बोर्ड, देशनोक द्वारा अपने कृत्यों के पालन के लिए, या राज्य सरकार द्वारा किसी भी अन्य प्रयोजन के लिए अपेक्षा की जाये तो राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, ऐसी भूमि नगर निगम, बीकानेर, नगरपालिका बोर्ड, नापासर और नगरपालिका बोर्ड, देशनोक, या राज्य सरकार के किसी विभाग को, ऐसे निबंधनों और शर्तों पर सौंप सकेगी, जो उचित समझी जायें।

(4) प्राधिकरण द्वारा अर्जित, या राज्य सरकार द्वारा अर्जित और प्राधिकरण को अन्तरित समस्त भूमियों का व्ययन प्राधिकरण द्वारा उसी रीति से किया जायेगा जो कि उप-धारा (1) में भूमि के लिए विहित की जाये।

50. कतिपय भूमियों का आबंटन, नियमितीकरण आदि.- (1) राजस्थान भू-राजस्व अधिनियम, 1956 (1956 का अधिनियम सं. 15) की धारा 90-क के अधीन प्राधिकरण के व्ययनाधीन रखी गयी समझी गयी कोई भूमि, प्राधिकरण द्वारा, उस धारा में विनिर्दिष्ट किये गये व्यक्ति या, यथास्थिति, व्यक्तियों को, उस धारा के अधीन विहित निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए, और उद्ग्रहणीय और वसूलीय नगरीय निर्धारण या प्रीमियम या दोनों का प्राधिकरण को संदाय किये जाने पर आबंटन या नियमितीकरण के लिए उपलब्ध होगी।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल किये गये प्रभार राज्य की समेकित निधि में और प्राधिकरण की निधि में, जैसाकि राज्य सरकार द्वारा अवधारित किया जाये, जमा किये जायेंगे।

51. अन्तरण का पूर्ण स्वामित्व या पट्टाधृति आधार पर होना- (1) धारा 49 या धारा 50 के अधीन भूमि का प्रत्येक अन्तरण या तो पूर्ण स्वामित्व आधार पर या पट्टाधृति आधार पर होगा।

(2) पट्टाधृति आधार पर विक्रीत, आबंटित, नियमित या अन्यथा अन्तरित किसी भी भूमि को ऐसे निबंधनों और शर्तों के अधीन रहते हुए और ऐसे संपरिवर्तन प्रभारों के संदाय पर, जो विहित किये जायें, पूर्ण स्वामित्व भूमि के रूप में संपरिवर्तित किया जा सकेगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजनों के लिए "पूर्ण स्वामित्व भूमि" से विरासत और अन्य संक्रामण के अधिकार सहित शाश्वत भूधृति अभिप्रेत है।

52. आबंटन का प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख का रद्दकरण.- (1) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अंतर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अध्याय के अधीन, या तो पट्टाधृति आधार पर या पूर्ण स्वामित्व आधार पर व्ययनित भूमि के संबंध में पट्टा विलेख के निष्पादित और रजिस्ट्रीकृत किये जाने से पूर्व या पश्चात्, यदि, किसी भी समय, न्यास के पास यह विश्वास करने के कारण हैं कि तथ्यों के

दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के भूमि का आबंटन प्राप्त किया गया है और पट्टा विलेख निष्पादित किया गया है तो वह, कारण दर्शित करने के लिए कि भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश क्यों नहीं कर दिया जाना चाहिए, इसमें इसके पश्चात् उपबंधित रीति से लिखित नोटिस जारी करेगा।

(2) नोटिस में-

(क) वे आधार विनिर्दिष्ट होंगे जिन पर भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दिया जाना प्रस्तावित है; और

(ख) ऐसे संबंधित समस्त व्यक्तियों से, अर्थात् उन समस्त व्यक्तियों से जो भूमि के अधिभोगी हों या हो सकते हों या उसमें हित का दावा करते हों या कर सकते हों, ऐसी तारीख को या उससे पूर्व जो नोटिस में विनिर्दिष्ट की जाये, जो उसके जारी होने की तारीख से सात दिवस से पूर्व की तारीख न हो, प्रस्तावित आदेश के विरुद्ध कारण, यदि कोई हो, दर्शित करने की अपेक्षा की जायेगी।

(3) यदि, उप-धारा (1) के अधीन नोटिस के अनुसरण में किसी व्यक्ति द्वारा दर्शित किया गया कारण, यदि कोई हो, और ऐसा कोई साक्ष्य, जो वह उसके समर्थन में पेश करे, पर विचार करने के पश्चात् और उसे सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर देने के पश्चात्, प्राधिकरण का यह समाधान हो जाता है कि पट्टा तथ्यों के दुर्व्यपदेशन द्वारा या मिथ्या दस्तावेजों के आधार पर या दुस्संधि कर के या विधि का उल्लंघन कर के प्राप्त किया गया है तो प्राधिकरण, भूमि के आबंटन के प्रतिसंहरण और पट्टा विलेख के रद्दकरण का आदेश दे सकेगा और उसमें लेखबद्ध कारणों से, यह निदिष्ट करते हुए कि भूमि, उन समस्त व्यक्तियों द्वारा, जो उसके या उसके किसी भाग के अधिभोगी हों या हो सकते हों, खाली कर दी जाये, बेदखली का आदेश भी दे सकेगा और आदेश की एक प्रति भूमि के बाहरी द्वार पर या किसी अन्य सहजदृश्य भाग पर लगवायेगा।

53. कतिपय भूमियों में अधिकारों के अभ्यर्पण की स्वीकृति और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जाना.-

(1) कोई व्यक्ति जो प्राधिकरण की अधिकारिता के भीतर, प्राधिकरण द्वारा जारी किसी पट्टे या अनुज्ञप्ति के अधीन से अन्यथा गैर-कृषि भूमि धारित करता है तो वह प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में, विहित रीति से, अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा।

(2) कोई व्यक्ति जो किसी अन्य विधि के अधीन जारी कोई आदेश या पट्टा धारित करता है तो वह भी प्राधिकरण से पूर्ण स्वामित्व अधिकारों को अभिप्राप्त करने के प्रयोजन के लिए ऐसी भूमि में अपने अधिकारों का प्राधिकरण के पक्ष में अभ्यर्पण कर सकेगा, प्राधिकरण ऐसे अधिकारों को स्वीकार कर सकेगा और पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी कर सकेगा। यदि ऐसी भूमि पट्टाधृति आधार पर है तो एकबारीय पट्टा राशि, जो विहित की जाये, जमा कराये जाने पर पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी किया जायेगा।

(3) उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों के स्वीकार कर लिये जाने पर, उक्त भूमि में धारक के समस्त अधिकार प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और प्राधिकरण, इस अधिनियम के अन्य

उपबंधों और तदधीन बनाये गये नियमों के अधीन रहते हुए और धारक द्वारा, ऐसी फीस या प्रभारों के संदाय पर, जो राज्य सरकार द्वारा अवधारित किये जायें, उक्त भूमि के धारक को पूर्ण स्वामित्व पट्टा जारी करेगा।

(4) उप-धारा (3) के अधीन जारी पूर्ण स्वामित्व पट्टा उन समस्त प्रसंविदाओं और विल्लंगमों के अधीन होगा जो भूमि से संलग्न थे और उप-धारा (1) और (2) के अधीन प्राधिकरण द्वारा अधिकारों की स्वीकृति से तुरन्त पूर्व विद्यमान थे।

अध्याय 9

वित्त, बजट और लेखे

54. प्राधिकरण की निधियां.- (1) प्राधिकरण की अपनी निधि होगी जो "बीकानेर रीजन विकास निधि" (जिसे इसमें इसके पश्चात "निधि" कहा गया है) कहलायेगी, जिसमें प्राधिकरण द्वारा प्राप्त समस्त धनराशियां जमा होंगी और जिसमें निम्नलिखित भी सम्मिलित होंगे-

- (क) अभिदाय की ऐसी रकम जो राज्य सरकार द्वारा वार्षिक या प्रत्येक वर्ष में ऐसी किस्तों में, जो राज्य की योजना में सम्मिलित स्कीमों के अनुसार अवधारित की जाये और इस निमित्त सम्यक् रूप से किये गये विनियोग के अधीन दी जाती है, ऐसे अभिदाय का उपयोग प्राधिकरण द्वारा बीकानेर रीजन के विकास के लिए किया जायेगा;
- (ख) ऐसे अन्य धन जो कि राज्य सरकार, केन्द्रीय सरकार या किसी अन्य प्राधिकारी या अभिकरण द्वारा अनुदान, उधार, अग्रिम या अन्यथा प्राधिकरण को संदत्त किये जायें;
- (ग) खाली भूमि के द्वितीय और पश्चात्तर्वी विक्रय के प्रीमियम से व्युत्पन्न आय;
- (घ) रिक्त भूमि पर उद्ग्रहण से आय;
- (ङ) इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन प्राधिकरण द्वारा प्राप्त की गयी समस्त फीस, लागतें और प्रभार;
- (च) प्राधिकरण द्वारा भूमि, भवन और अन्य सम्पत्ति, जंगम और स्थावर के व्ययन से तथा पट्टे की धनराशि नगर निर्धारण, विकास प्रभार और भूखण्ड धारकों से वसूले गये ऐसे ही प्रभारों को सम्मिलित करते हुए अन्य संव्यवहारों से प्राप्त समस्त धन;
- (छ) वित्तीय संस्थानों से लिये गये उधार को सम्मिलित करते हुए प्राधिकरण द्वारा उधार लिया गया समस्त धन;
- (ज) प्राधिकरण द्वारा किराये और लाभ के रूप में या किसी अन्य रीति से अथवा किसी अन्य स्रोत से प्राप्त समस्त धन; और
- (झ) प्राधिकरण द्वारा प्राप्त किये जाने वाले समस्त दान।

(2) प्राधिकरण किसी अनुसूचित बैंक या किसी सहकारी या इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित अन्य बैंक में चालू खाता या जमा खाता रख सकेगा, इस निधि में से ऐसी धनराशि, जो प्राधिकरण द्वारा अवधारित की जाये और उक्त राशि से अधिक कोई धन राशि ऐसी रीति से विनिहित की जायेगी जो कि विनियमों द्वारा विहित की जाये।

(3) ऐसे खातों का संचालन बीकानेर विकास आयुक्त द्वारा या प्राधिकरण के ऐसे अन्य अधिकारी द्वारा किया जायेगा जो कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा उसके द्वारा प्राधिकृत किया जाये।

55. उधार निधि.- (1) निधि के भागरूप में, प्राधिकरण विभिन्न बैंक खातों में (क) उधार लेने वालों द्वारा उधार पर ब्याज के संदाय के साथ-साथ उधार की किस्तों के प्रति संदायों को सम्मिलित करते हुए उसके

द्वारा उधार लिये गये समस्त धन को प्राप्त करने, (ख) प्राधिकरण द्वारा स्थानीय प्राधिकारियों और अन्य प्राधिकारियों या व्यक्तियों को उधार अथवा अग्रिम के रूप में उपलब्ध करवाने के लिए समस्त धन का प्रबन्ध करने, (ग) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा लिये गये उधारों का प्रतिसंदाय करने और (घ) परियोजनाओं और स्कीमों पर व्यय करने के प्रयोजनों के लिए एक उधार निधि स्थापित करेगा।

(2) उधार निधि से संबंधित समस्त मामले इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा विनियमित होंगे।

56. आरक्षित और अन्य निधियां.- (1) प्राधिकरण आरक्षित निधि के लिए उपबन्ध करेगा और अन्य विशिष्टतः अंकित मूल्य निधियों के लिए उपबन्ध कर सकेगा, जैसा वह उचित समझे।

(2) उप-धारा (1) में निर्दिष्ट निधियों का प्रबंध और उधार के लिए समय-समय पर अन्तरित होने वाली रकम और उसमें समाविष्ट होने वाले धन का उपयोगन प्राधिकरण द्वारा अवधारित किया जायेगा।

57. निधियां इत्यादि का उपयोगन.- प्राधिकरण में निहित समस्त सम्पत्ति निधियां और अन्य आस्तियां उसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए और इसके उपबन्धों के अधीन रहते हुए धारित की जायेंगी और उपयोजित की जायेंगी।

58. प्राधिकरण की उधार लेने की शक्ति.- प्राधिकरण इस अधिनियम के प्रयोजन को कार्यान्वित करने के लिए या इसके द्वारा अभिप्राप्त उधार के शोधन के लिए राज्य सरकार के पूर्व अनुमोदन से ऐसी दरों पर और ऐसी शर्तों पर जो, कि राज्य सरकार धन उधार लेते समय अवधारित करे, कोई भी धन उधार ले सकेगा।

59. परियोजना और स्कीमों को वित्त और उनके लिए शर्तें अधिरोपित करने की प्राधिकरण की शक्ति.- प्राधिकरण किसी स्थानीय प्राधिकारी या बीकानेर रीजन में अन्य प्राधिकारी या किसी सरकारी विभाग या व्यक्ति को धारा 16 के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए अनुदान, अग्रिम या उधार देने के लिए या उनके व्ययों में हिस्सा लेने के लिए सक्षम होगा और तत्समय प्रवृत्त किसी विधि में किसी बात के होने पर भी ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, सरकारी विभाग या किसी व्यक्ति के लिए, ऐसे निबन्धनों और शर्तों के अधीन रहते हुए ऐसे अनुदानों, अग्रिमों या उधारों या व्ययों में हिस्से स्वीकार करना विधिपूर्ण होगा जो प्राधिकरण समय-समय पर, ऐसे स्थानीय प्राधिकारी, अन्य प्राधिकारी, सरकारी विभाग या, यथास्थिति, किसी व्यक्ति के परामर्श से विनिर्दिष्ट करे।

60. प्राधिकरण द्वारा लिये गये या दिये गये उधारों पर राज्य की प्रत्याभूति.- राज्य सरकार, प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों के लिए, लिये गये या दिये गये या इसको अन्तरित किये गये किसी उधार के मूलधन और उस पर ब्याज के प्रतिसंदाय की प्रत्याभूति ऐसी शर्तों के अधीन रहते हुए दे सकेगी जिन्हें राज्य सरकार अधिरोपित करना उचित समझे।

61. लेखे और संपरीक्षा.- (1) प्राधिकरण ऐसे प्ररूप में और ऐसी रीति से लेखे रखेगा जो कि इस निमित्त बनाये गये विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

(2) प्राधिकरण के लेखे, परीक्षक, स्थानीय निधि संपरीक्षा द्वारा राजस्थान स्थानीय निधि संपरीक्षा अधिनियम, 1954 (1954 का अधिनियम सं. 28) के उपबंधों के अनुसार संपरीक्षा किये जाने के अध्यक्षीन होंगे।

(3) प्राधिकरण संपरीक्षा के लिए ऐसे प्रभारों का संदाय करेगा जो विहित किये जायें।

62. बजट.- (1) प्राधिकरण का वित्त निदेशक ऐसे प्ररूप में और ऐसे समय पर, जो विनियमों द्वारा अवधारित किया जाये, प्राधिकरण की प्राक्कलित प्राप्तियों और संवितरणों को बीकानेर विकास आयुक्त को दिखाते हुए, आगामी वित्तीय वर्ष के लिए प्रतिवर्ष बजट तैयार करेगा जो ऐसे उपान्तरण करने के पश्चात्, जैसाकि वह उचित समझे, प्राधिकरण को अनुमोदन के लिए प्रस्तुत करेगा।

(2) बीकानेर विकास आयुक्त प्राधिकरण द्वारा अनुमोदित बजट की प्रतियां राज्य सरकार को अग्रेषित करेगा।

63. वार्षिक रिपोर्ट.- प्राधिकरण पूर्व वर्ष के दौरान किये गये अपने क्रियाकलापों की प्रत्येक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् (31 मार्च की समाप्ति पर) रिपोर्ट तैयार करेगा और उसे 30 सितम्बर के पूर्व राज्य सरकार को प्रस्तुत करेगा। राज्य सरकार लेखा विवरण सहित ऐसी वार्षिक रिपोर्ट राज्य विधान-मण्डल के सदन के पटल पर रखवायेगी।

अध्याय 10

कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्ति

64. कतिपय प्रभारों के उद्ग्रहण की शक्ति.- प्राधिकरण राज्य सरकार द्वारा राजपत्र में अधिसूचना द्वारा निर्दिष्ट दर और तारीख से और ऐसी रीति से, जो इस निमित्त राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये, निम्नलिखित प्रभारों का उद्ग्रहण करेगा, अर्थात्:-

- (क) बीकानेर रीजन में रिक्त भूमि के द्वितीय या पश्चात्वर्ती विक्रय पर प्रीमियम;
- (ख) बीकानेर रीजन में रिक्त भूमि पर वार्षिक उद्ग्रहण; और
- (ग) आवासीय प्रयोजन से वाणिज्यिक प्रयोजन या अन्य प्रयोजन के लिए भूमि के उपयोग के संपरिवर्तन के लिए संपरिवर्तन प्रभार।

स्पष्टीकरण.- इस अध्याय में प्रयुक्त की गयी अभिव्यक्ति "रिक्त भूमि" से ऐसी समस्त भूमि अभिप्रेत है जो राज्य सरकार, प्राधिकरण या किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टाधृति आधार पर आबंटित की गयी है या बेची गयी है या जो भूमि अन्यथा स्वामित्वाधीन अथवा धारित है और जिस पर कोई भवन संनिर्मित नहीं किया गया है या यदि किसी भवन का संनिर्माण किया गया है तो आच्छादित क्षेत्र भूमि के कुल क्षेत्र के 1/5 से कम हो।

65. प्राधिकरण की निधि में जमा किया जाने वाला नगरीय निर्धारण (भू-किराया).- (1) प्राधिकरण, राज्य सरकार या किसी अन्य स्थानीय प्राधिकारी द्वारा पट्टाधृति आधार पर बेची गयी भूमि या भूखण्ड के धारकों से नगरीय निर्धारण या भू-किराया ऐसी दरों पर और ऐसी रीति से वसूल करेगा जो विहित की जाये।

(2) उप-धारा (1) के अधीन वसूल किया गया नगरीय निर्धारण या भू-किराया प्राधिकरण की निधि में जमा किया जायेगा।

66. कतिपय अनुज्ञप्तियों या अनुज्ञा के लिए प्राधिकरण फीस प्रभारित कर सकेगा.- जब इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण द्वारा कोई अनुज्ञप्ति प्रदान की जाती है या इसके द्वारा इस अधिनियम के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए कोई अनुज्ञा दी जाती है तो प्राधिकरण ऐसी अनुज्ञप्ति या अनुज्ञा के लिए ऐसी फीस प्रभारित कर सकेगा जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये।

अध्याय 11

अभियोजन, वाद और पुलिस की शक्तियां

67. अप्राधिकृत बाधाओं के लिए शास्ति.- जो कोई -

- (i) धारा 83 के अधीन उस धारा में वर्णित प्रयोजनों के लिए बीकानेर रीजन के किसी भाग में किसी भूमि पर या भवन में प्रवेश करने के लिए सशक्त किसी व्यक्ति के प्रवेश में बाधा पहुंचाता है; या
- (ii) ऐसे प्रवेश के पश्चात् यथापूर्वोक्त ऐसे व्यक्ति को उत्पीड़ित करता है; या

- (iii) प्राधिकरण के किसी सदस्य या कर्मचारी का या सरकार के किसी कर्मचारी का उस समय प्रतिरोध करता है, उसे बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जबकि वह प्राधिकरण या सरकार या ऐसे सदस्य या प्राधिकरण के कर्मचारी या सरकार के किसी कर्मचारी को प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग या किसी कर्तव्य का पालन या किसी कृत्य का निर्वहन कर रहा होता है; या
- (iv) किसी भी ऐसे व्यक्ति को बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जिसके साथ प्राधिकरण या राज्य सरकार या राज्य के किसी अधिकारी ने संविदा की है या प्राधिकरण के किसी ऐसे कर्मचारी को बाधा पहुंचाता है या उत्पीड़ित करता है जो प्राधिकरण के या सरकार के या इस अधिनियम के अधीन उसके द्वारा नियुक्त किसी अधिकारी के कर्तव्यों के पालन या कृत्यों के निर्वहन के सम्बन्ध में किसी भी बात को करने में विधिपूर्ण तौर पर लगा है,

ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक हो सकेगा, या कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

68. किसी भी कार्य के निष्पादन के प्रयोजन के लिए खड़ी की गयी बाड़ इत्यादि को हटाने के लिए शास्ति.- यदि कोई भी व्यक्ति बिना विधिपूर्ण प्राधिकार के-

- (क) इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत कोई कार्य करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा किसी भवन, दीवार या अन्य वस्तु को आधार लगाने या सहारा देने हेतु उपयोग में ली गयी किसी भी बाड़ या किसी भी काष्ठ को हटाता है या किसी भी प्रकाश को बुझाता है जो ऐसे किसी भी स्थान पर किया गया है जहां गली या अन्य जमीन को प्राधिकरण द्वारा खोला गया है या तोड़ा गया है; या
- (ख) ऐसे किसी भी चिह्न को हटाता है जो इस अधिनियम के अधीन प्राधिकृत किसी भी कार्य के निष्पादन में कोई सतह या दिशा उपदर्शित करने के प्रयोजन के लिए खड़ा करना आवश्यक है; या
- (ग) दिये गये किसी भी आदेश का अतिलंघन करता है या इस अधिनियम के अधीन किसी भी कार्य के निष्पादन के दौरान यातायात के लिए किसी भी गली को बन्द करने के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण द्वारा नियत किसी भी शलाका, जंजीर या चौकी को हटाता है,

तो वह जुर्माने से, जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डनीय होगा।

69. अध्यपेक्षा की अवज्ञा करने और मिथ्या सूचना इत्यादि देने के कारण शास्ति.- जो कोई भी.-

- (क) जानबूझकर या बिना किसी भी युक्तियुक्त कारण के, इस अधिनियम के अधीन या इसके किन्हीं भी उपबन्धों के अनुसरण में जारी किसी भी अध्यपेक्षा या अन्य विधिपूर्ण आदेश या निदेश की अवज्ञा करता है; या
- (ख) इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी के भी अधीन कोई विवरणी या कोई सूचना देने की अपेक्षा किये जाने पर मिथ्या विवरणी या मिथ्या सूचना देता है,

वह इतने जुर्माने से जो तीन हजार रुपये तक का हो सकेगा, या इतनी अवधि के कारावास से जो कि तीन मास तक की हो सकेगी, या दोनों से, दण्डनीय होगा।

70. सार्वजनिक भूमि पर अतिक्रमण या बाधा.- (1) जो कोई ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, अतिक्रमण करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास से कम का नहीं होगा, किन्तु जो दो वर्ष तक का हो सकेगा और ऐसे जुर्माने से,

जो बीस हजार रुपये तक का हो सकेगा, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु न्यायालय किन्हीं भी पर्याप्त और विशेष कारणों से, जिनका निर्णय में उल्लेख किया जाये, एक मास से कम की अवधि के कारावास का दण्डादेश अधिरोपित कर सकेगा।

(2) जो कोई भी ऐसी किसी भी भूमि या स्थान पर, जो कि निजी सम्पत्ति नहीं है, चाहे ऐसी भूमि या स्थान प्राधिकरण का हो या नहीं या उसमें निहित हो या नहीं, किसी भी सार्वजनिक मार्ग में नालियों के ऊपर बनायी गयी सीढ़ियों के सिवाय, बाधा उत्पन्न करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो दो हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(3) प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी भी अधिकारी को ऐसी किसी बाधा या अतिक्रमण को हटाने की शक्ति होगी और ऐसे हटाये जाने का व्यय उस व्यक्ति द्वारा संदत्त किया जायेगा जिसने उक्त बाधा या अतिक्रमण कारित किया है।

(4) जो कोई भी इस निमित्त सम्यक् रूप से प्राधिकृत न होते हुए, पूर्वोक्त किसी भी भूमि या स्थान से मिट्टी, रेत या अन्य सामग्री हटाता है, दोषसिद्धि पर, ऐसे कारावास से जो छह मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो दस हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा।

(5) पूर्वगामी उपबन्धों में किसी बात के होने पर भी, प्राधिकरण या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत अधिकारी को, इस धारा में यथा उपबंधित की गयी कार्यवाई के अतिरिक्त इस धारा में निर्दिष्ट भूमि या स्थान पर पायी गयी या, यथास्थिति, ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न या ऐसी भूमि या स्थान से संलग्न किसी चीज से स्थायी रूप से जकड़ी हुई सम्पत्ति का अभिग्रहण करने या उसे कुर्क करने की शक्ति भी होगी।

(6) जहां प्राधिकरण द्वारा प्राधिकृत किसी अधिकारी द्वारा कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है, वहां वह प्राधिकरण को ऐसे अभिग्रहण या कुर्क की रिपोर्ट तत्काल करेगा।

(7) प्राधिकरण, अधिहरण की कार्यवाहियों के निष्कर्ष के लंबित रहते, अभिगृहीत या कुर्क सम्पत्ति की समुचित अभिरक्षा के लिए ऐसे आदेश कर सकेगा जो वह उचित समझे और यदि सम्पत्ति शीघ्रतया और प्रकृत्या क्षयशील हो या ऐसा करना अन्यथा समीचीन हो तो प्राधिकरण उसे विक्रीत या अन्यथा व्ययनित किये जाने के आदेश दे सकेगा।

(8) यदि पूर्वोक्त रूप से कोई सम्पत्ति विक्रीत की जाती है तो उसके विक्रयागम का संदाय ऐसे किसी विक्रय के व्ययों या उससे संबंधित अन्य आनुषंगिक व्ययों की कटौती करने के पश्चात्-

(क) जहां प्राधिकरण द्वारा अधिहरण का कोई आदेश अन्ततोगत्वा पारित नहीं किया गया हो; या

(ख) जहां अपील में पारित आदेश के द्वारा ऐसा अपेक्षित हो,

उसके स्वामी को या उस व्यक्ति को किया जायेगा जिससे वह अभिगृहीत की गयी है।

(9) जहां उप-धारा (5) के अधीन कोई सम्पत्ति अभिगृहीत या कुर्क की जाती है वहां प्राधिकरण ऐसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश दे सकेगा।

(10) उप-धारा (9) के अधीन किसी सम्पत्ति के अधिहरण का आदेश तब तक नहीं किया जायेगा जब तक कि ऐसी सम्पत्ति के स्वामी या उस व्यक्ति को जिससे कि वह अभिगृहीत या कुर्क की गयी है -

(क) उन आधारों की उसे सूचना देने वाला एक लिखित नोटिस, जिन पर सम्पत्ति का अधिहरण प्रस्तावित है;

(ख) अधिहरण के आधारों के विरुद्ध ऐसे युक्तियुक्त समय के भीतर-भीतर, जो नोटिस में विनिर्दिष्ट किया जाये, एक लिखित अभ्यावेदन करने का अवसर; और

(ग) मामले में सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर,

नहीं दे दिया जाये।

(11) इस धारा के अधीन अधिहरण का कोई भी आदेश ऐसे किसी दण्ड के अधिरोपण को नहीं रोकेगा जिससे अधिहरण से प्रभावित व्यक्ति इस अधिनियम के अधीन दण्डनीय है।

(12) जब कभी कोई सम्पत्ति इस धारा के अधीन अधिहरण के लंबित रहते अभिगृहीत या कुर्क की जाये तब ऐसी सम्पत्ति के कब्जे, परिदान, व्ययन, निर्मुक्ति या वितरण के संबंध में आदेश करने की अधिकारिता प्राधिकरण या इस अधिनियम की धारा 80 के अधीन गठित अधिकरण को होगी और तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में अन्तर्विष्ट किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, किसी न्यायालय, अन्य अधिकरण या अन्य प्राधिकारी को नहीं होगी।

(13) जहां कोई व्यक्ति उप-धारा (1) या उप-धारा (2) के अधीन किसी अपराध के लिए अभियोजित होता है, तो साबित करने का भार कि उसने अपराध कारित नहीं किया है, स्वयं उस पर होगा।

(14) इस धारा के अधीन दण्डनीय अतिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने के कर्तव्य से विशेष रूप से न्यस्त जो कोई भी प्राधिकरण का कर्मचारी ऐसे अतिक्रमण या बाधा को बन्द करने या रोकने में जान-बूझकर या जानते हुए उपेक्षा करता है या जान-बूझकर लोप करता है, दोषसिद्धि पर, ऐसी अवधि के सादा कारावास से, जो एक मास तक का हो सकेगा, या ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा, या दोनों से, दण्डित किया जायेगा:

परन्तु कोई भी न्यायालय, प्राधिकरण की पूर्व मंजूरी के सिवाय, ऐसे कर्मचारी के विरुद्ध इस धारा के अधीन दण्डनीय अपराध का संज्ञान नहीं लेगा।

(15) इस धारा के अधीन के किसी अपराध का कोई भी अन्वेषण पुलिस उप-अधीक्षक की रैंक से नीचे के किसी अधिकारी के द्वारा नहीं किया जायेगा।

71. अपराधों के दण्ड के लिए सामान्य उपबन्ध.- जो कोई इस अधिनियम के उपबन्धों में से किसी भी उपबन्ध या उसके अधीन बनाये गये किसी नियम या विनियमों या किसी स्वीकृत योजना, परियोजना या स्कीम का उल्लंघन करता है, यदि ऐसे उल्लंघन के लिए कोई भी अन्य शास्ति उपबन्धित नहीं की गयी है तो वह—

(क) प्रथम अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से जो एक हजार रुपये तक का हो सकेगा; और

(ख) द्वितीय या पश्चात्त्वर्ती अपराध के लिए ऐसे जुर्माने से, जो दो सौ पचास रुपये से कम और पांच हजार रुपये से अधिक नहीं होगा,

दण्डनीय होगा।

72. कंपनियों द्वारा अपराध.- (1) इस अधिनियम के अधीन अपराध करने वाला व्यक्ति यदि कोई कम्पनी है तो प्रत्येक व्यक्ति, जो अपराध किये जाने के समय उस कम्पनी के कारबार के संचालन के लिए उस कम्पनी का प्रभारी और उसके प्रति उत्तरदायी था, और साथ ही वह कम्पनी भी उस अपराध के दोषी समझे जायेंगे और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने के भागी होंगे:

परन्तु इस उप-धारा की कोई भी बात इस अधिनियम में उपबन्धित किसी भी दण्ड के लिए ऐसे व्यक्ति को भागी नहीं बनायेगी यदि वह यह साबित कर देता है कि अपराध उसकी जानकारी के बिना किया गया था या उसने ऐसे अपराध के किये जाने को निवारित करने के लिए समस्त सम्यक् तत्परता बरती थी।

(2) उप-धारा (1) में किसी बात के होते हुए भी, जहां इस अधिनियम के अधीन कोई अपराध किसी कम्पनी द्वारा किया गया है और यह साबित हो जाता है कि वह अपराध कम्पनी के किसी निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी की सहमति या मौनानुकूलता से किया गया है या उसकी उपेक्षा के फलस्वरूप किया

गया है तो ऐसा निदेशक, प्रबन्धक, सचिव या अन्य अधिकारी भी उस अपराध का दोषी समझा जायेगा और तदनुसार अपने विरुद्ध कार्यवाही किये जाने और दण्डित किये जाने का भागी होगा।

स्पष्टीकरण.- इस धारा के प्रयोजन के लिए-

(क) “कंपनी” से कोई निगमित निकाय अभिप्रेत है और इसमें फर्म या व्यक्तियों का अन्य संगम सम्मिलित है; और

(ख) फर्म के संबंध में “निदेशक” से फर्म का भागीदार अभिप्रेत है।

73. अपराधों का संज्ञान.- कोई न्यायालय इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम, विनियम या आदेश के अधीन दण्डनीय किसी अपराध का संज्ञान प्राधिकरण द्वारा या उस निमित्त प्राधिकरण द्वारा स्पष्टतः प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा अपराध के तथ्यों की लिखित शिकायत पर किये जाने के सिवाय नहीं करेगा:

परन्तु कोई भी व्यक्ति, जिसका उसकी स्वयं की सम्पत्ति के उपयोग का अधिकार धारा 31 की उप-धारा (1) में यथा दर्शित अनधिकृत विकास से प्रतिकूलतः प्रभावित होता है, ऐसे व्यक्ति या व्यक्तियों के विरुद्ध जिन्होंने उक्त अनधिकृत विकास का दायित्व लिया है, इसी रीति से शिकायत भी कर सकेगा:

परन्तु यह और कि ऐसी कार्यवाहियों का सम्यक् नोटिस प्राधिकरण को भी दिया जायेगा और यदि प्राधिकरण एक युक्तियुक्त कालावधि के भीतर कार्यवाही के हेतुक को हटा देता है तो न्यायालय की कार्यवाहियों का, किसी भी ऐसी अन्य कार्यवाही या कार्यवाहियों पर कोई प्रतिकूल प्रभाव डाले बिना जिन्हें प्राधिकरण ने प्रारम्भ किया हो या उसके पश्चात् कर सकता हो, उपशमन हो जायेगा।

74. जुर्माना वसूल हो जाने पर प्राधिकरण को उसका संदाय किया जाना.- इस अधिनियम के अधीन अभियोजन के संबंध में वसूल किये गये समस्त जुर्माने प्राधिकरण को संदत्त किये जायेंगे।

75. विधिक मामलों में प्राधिकरण की शक्ति.- प्राधिकरण,-

(क) किसी भी विधिक कार्यवाही को संस्थित कर सकेगा, उसका प्रतिवाद कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा;

(ख) इस अधिनियम के विरुद्ध किसी अपराध का शमन कर सकेगा; और

(ग) किसी भी विधिक कार्यवाही में या अन्यथा किये गये किसी दावे को स्वीकार कर सकेगा, उसका शमन कर सकेगा या उसे वापस ले सकेगा:

परन्तु इस अधिनियम के अधीन किसी अपराध का अभियोजन न्यायालय की अनुमति के सिवाय वापस नहीं लिया जा सकेगा।

76. प्राधिकरण की उन्मुक्ति.- प्राधिकरण के विरुद्ध या प्राधिकरण या उसकी कार्यकारी समिति या अन्य समितियों या किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय के अध्यक्ष, सदस्य या किसी अधिकारी या कर्मचारी के निदेशाधीन कार्य करने वाले किसी अन्य व्यक्ति के विरुद्ध ऐसी किन्हीं बातों में कोई दावा, अभियोजन या अन्य विधिक कार्यवाही ग्राह्य नहीं होगी जो इस अधिनियम के अधीन विधितः और सद्भावपूर्वक और सम्यक् सावधानी और सतर्कता से की गयी हैं।

77. प्राधिकरण के विरुद्ध वाद का नोटिस.- (1) इस अधिनियम या तदधीन किये गये किसी आदेश, बनाये गये किसी नियम या विनियम के अनुसरण में प्राधिकरण या उसके किसी सदस्य के या उसके किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के विरुद्ध या प्राधिकरण या उसकी कार्यकारी समिति, उसके किसी कृत्यकारी बोर्ड, अधिकरण, किसी समिति या उसके किसी निकाय के किसी सदस्य, किसी अधिकारी या अन्य कर्मचारी के निदेशाधीन किसी व्यक्ति द्वारा किये गये या किये जाने के लिए तात्पर्यित किसी कार्य के बारे में उसके विरुद्ध

कोई वाद उस तारीख से दो मास की समाप्ति के पूर्व संस्थित नहीं किया जायेगा जिसको उस व्यक्ति के, जिसके विरुद्ध वाद लाया जाना है, कार्यालय या निवास स्थान पर एक लिखित नोटिस छोड़ा गया है जिसमें कि वाद हेतुक का, इच्छित अनुतोष के प्रकार का, दावाकृत प्रतिकर की रकम का और संभाव्य वादियों के नाम और निवास स्थान का स्पष्ट कथन हो और जब तक कि ऐसे वाद में यह कथन न किया जाये कि ऐसा नोटिस छोड़ा या परिदत्त किया जा चुका है।

(2) उप-धारा (1) में वर्णित ऐसा कोई वाद, जब तक कि वह स्थावर सम्पत्ति के प्रत्युद्धरण या उसके स्वत्व की घोषणा के लिए न हो, ऐसी तारीख से एक वर्ष की समाप्ति के पश्चात् संस्थित नहीं किया जायेगा जिसको वाद हेतुक उत्पन्न होता है।

(3) उप-धारा (1) में अन्तर्विष्ट कोई बात ऐसे वाद पर लागू नहीं मानी जायेगी जिसमें अनुतोष के रूप में केवल ऐसे व्यादेश की ही मांग की गयी है जिसका उद्देश्य वाद का नोटिस देने या वाद संस्थित किया जाना स्थगित करने पर विफल हो जायेगा।

78. अभिलेख के सबूत की रीति.— प्राधिकरण के कब्जे में की किसी रसीद, आवेदन, योजना, नोटिस, आदेश, रजिस्टर की प्रविष्टि या अन्य दस्तावेज को यदि वह उसके वैध अभिरक्षक द्वारा या बीकानेर विकास आयुक्त द्वारा या उसके द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत किसी व्यक्ति द्वारा सम्यक् रूप से प्रमाणित किया गया है तो वह उस प्रविष्टि या दस्तावेज के प्रथम दृष्ट्या साक्ष्य के रूप में प्राप्त किया जायेगा और वह उनसे प्रत्येक में अभिलिखित मामलों और संव्यवहारों के साक्ष्य के रूप में उसी सीमा तक ग्राह्य होगा जहां तक ऐसे मामले को प्रमाणित करने के लिए मूल प्रविष्टि या दस्तावेज ग्राह्य होता यदि वह प्रस्तुत किया गया होता।

79. प्राधिकरण के कर्मचारियों को दस्तावेज पेश करने के लिए समन करने पर प्रतिबन्ध.— प्राधिकरण के किसी सदस्य, अधिकारी या कर्मचारी से किसी भी विधिक कार्यवाही में जिसमें प्राधिकरण पक्षकार नहीं है, कोई रजिस्टर या दस्तावेज, जिसकी अन्तर्वस्तु प्रमाणित प्रतिलिपि द्वारा पूर्ववर्ती धारा के अधीन साबित की जा सकती है, पेश करने की और उसमें अभिलिखित मामलों एवं संव्यवहारों को साबित करने के लिए साक्षी के रूप में हाजिर होने की अपेक्षा नहीं की जायेगी, जब तक कि विशेष कारण से न्यायालय आदेश न दे।

अध्याय 12

प्रकीर्ण

80. अधिकरण का गठन.— (1) इस अधिनियम के प्रयोजन के लिए राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, एक अधिकरण का गठन करेगी।

(2) अधिकरण में एक व्यक्ति होगा जो कि राज्य सरकार का अधिकारी होगा, और उसे ऐसा वेतन और भत्ते दिये जायेंगे, जो राज्य सरकार अवधारित करे।

(3) राज्य सरकार, अधिकरण की सहायता के लिए प्राधिकरण को इतनी संख्या में और ऐसे संवर्ग के कर्मचारियों की नियुक्ति करने का निदेश दे सकेगी, जो वह आवश्यक समझे।

(4) अधिकरण के व्यय प्राधिकरण द्वारा वहन किये जायेंगे।

(5) इस अधिनियम के अधीन अधिकरण को निर्दिष्ट अपीलों या विवादों के विनिश्चय में अधिकरण द्वारा अपनायी जाने वाली प्रक्रिया वह होगी, जो विहित की जाये।

(6) अधिकरण को उसे निर्दिष्ट अपील या किसी विवाद की सुनवाई या विनिश्चय के सम्बन्ध में वे ही शक्तियां होंगी, जो सिविल प्रक्रिया संहिता, 1908 (1908 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 5) के अधीन सिविल न्यायालय को हैं।

(7) यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय, इस अधिनियम के किसी उपबन्ध से उत्पन्न विवाद प्राधिकरण द्वारा अधिकरण को निर्दिष्ट किया जा सकेगा। अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा और उसके समस्त पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

(8) यथा अन्यथा उपबन्धित के सिवाय,—

- (क) प्राधिकरण के किसी आदेश या नोटिस से व्यथित कोई व्यक्ति, उसे ऐसे आदेश या नोटिस से संसूचित किये जाने से तीस दिन के भीतर-भीतर अधिकरण में अपील फाइल कर सकेगा; और
- (ख) प्राधिकरण की ओर से किसी ऐसे आशंकित कार्य या क्षति से व्यथित कोई भी व्यक्ति, जो उसके अधिकारों को प्रभावित करने वाली हो, ऐसे आशंकित कार्य या क्षति की संसूचना या जानकारी उसे प्राप्त होने से तीस दिन के भीतर विवाद को अधिकरण को निदेशित कर सकेगा;

और अधिकरण का विनिश्चय अन्तिम होगा।

81. निपटारा समिति का गठन.— (1) राज्य सरकार, राजपत्र में अधिसूचना द्वारा, प्राधिकरण और अन्य व्यक्तियों के बीच विवादों को सुलझाने के लिए अध्यक्ष और इतने अन्य सदस्यों से, जितने वह उचित समझे, मिलकर बनने वाली निपटारा समिति का गठन कर सकेगी और ऐसी समिति, संबंधित व्यक्ति द्वारा जब भी निवेदन किया जाये, विवाद को सुलझाने का जिम्मा लेगी।

(2) निपटारा समिति को ऐसी शक्तियां होंगी और वह ऐसी प्रक्रिया अपनायेगी जो राज्य सरकार द्वारा विहित की जाये।

(3) इस प्रयोजन के लिए पूर्व में गठित कोई भी समिति इस अधिनियम के अधीन गठित की हुई समझी जायेगी।

(4) ऐसी समिति द्वारा किया गया विनिश्चय प्राधिकरण पर बाध्यकारी होगा।

82. प्राधिकरण को देय धन की भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली.— जहां कोई रकम (जो प्राधिकरण के किसी परिसर के सम्बन्ध में संदेय किराया न हो) जो चाहे किसी अभिव्यक्त या विवक्षित रूप से किसी करार के अधीन या अन्यथा प्राधिकरण को संदेय हो और निश्चित तारीख पर या इसके पूर्व संदत्त नहीं की गयी है—

(क) तथा दावा विवादग्रस्त नहीं है तो बीकानेर विकास आयुक्त, या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई अधिकारी, प्राधिकरण को देय या प्राधिकरण द्वारा दावाकृत राशि उपदर्शित करते हुए जिला कलक्टर को अपने हस्ताक्षर से ऐसा प्रमाणपत्र भेजेगा जिसमें वह रकम बतायी गयी है जो प्राधिकरण को देय है या जिसका दावा प्राधिकरण द्वारा किया जाता है और तदुपरान्त जिला कलक्टर, देय या दावा की गयी रकम को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा;

(ख) यदि दावा विवादग्रस्त है तो वह अधिकरण को निर्दिष्ट किया जायेगा जो ऐसी जांच करने के पश्चात्, जो वह ठीक समझे, और उस व्यक्ति को, जिसके द्वारा धन का संदेय होना अभिकथित है, सुनवाई का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् मामले का विनिश्चय करेगा और अपने विनिश्चय की संसूचना प्राधिकरण को तुरन्त देगा। अधिकरण के विनिश्चय से व्यथित कोई व्यक्ति ऐसे विनिश्चय की तारीख से तीस दिन के भीतर राजस्व बोर्ड को अपील कर सकेगा। राजस्व बोर्ड का विनिश्चय अन्तिम होगा और किसी भी न्यायालय में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा। तब कलक्टर उस राशि को भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूल करेगा जिसका देय होना अवधारित किया गया है।

83. प्रवेश की शक्ति.— (1) प्राधिकरण का अध्यक्ष और सदस्य, कार्यकारी समिति, किसी अन्य समिति या उसके किसी कृत्यकारी बोर्ड या किसी निकाय का अध्यक्ष या सदस्य, बीकानेर विकास आयुक्त और इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत प्राधिकरण के अधिकारी और कर्मचारी अपने सहायकों या कर्मचारों सहित या उनके बिना किसी भी भूमि या भवन में या उसके ऊपर निम्नलिखित प्रयोजनों के लिए प्रवेश कर सकेगा—

- (क) कोई जांच करने, निरीक्षण करने, मापने या सर्वेक्षण करने या ऐसी भूमि या भवन का लेवल अंकित करने के लिए;
- (ख) निर्माणाधीन कार्यों का निरीक्षण करने और मलनालियों और नालियों का मार्ग सुनिश्चित करने के लिए;
- (ग) अवमृदा को खोदने या बेधने के लिए;
- (घ) निर्माण कार्यों की बाउण्ड्री और आशयित रेखाएं निश्चित करने के लिए;
- (ङ) चिह्न लगाकर और खाईयां खोदकर ऐसे लेवल, बाउण्ड्री और रेखाएं चिह्नित करने के लिए;
- (च) यह अभिनिश्चित करने के लिए कि क्या किसी भी भूमि का विकास किसी योजना के उल्लंघन में या बिना अनुज्ञा के या किसी शर्त के उल्लंघन में किया गया है जिसके अधीन रहते हुए ऐसी अनुज्ञा इस अधिनियम के अधीन स्वीकृत की गयी है; या
- (छ) कोई भी अन्य कार्य करने के लिए जो इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए आवश्यक हो: परन्तु —

- (i) सूर्योदय और सूर्यास्त के बीच के समय के सिवाय और अधिभोगी या यदि कोई अधिभोगी नहीं हो तो भूमि अथवा भवन के स्वामी को कम से कम चौबीस घंटे का युक्तियुक्त नोटिस दिये बिना ऐसा प्रवेश नहीं किया जायेगा;
- (ii) जब भी किसी परिसर में बिना नोटिस के अन्यथा प्रवेश किया जा सके तो भी प्रत्येक बार पर्याप्त नोटिस दिया जायेगा ताकि महिलाओं के लिए रखे गये किसी भाग से महिलाएं परिसर के किसी अन्य भाग में जा सकें जहां उनकी वैयक्ति क एकान्तता में विघ्न न हो; और
- (iii) जिस परिसर में प्रवेश किया जाये उसके अधिभोगियों की सामाजिक और धार्मिक प्रथाओं का, जहां तक कि प्रवेश की आवश्यकताओं से संगत है, सदैव सम्यक् ध्यान रखा जायेगा।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकृत किसी व्यक्ति के लिए निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए किसी दरवाजे, फाटक या अन्य अवरोधों को खोलने या खुलवाने के लिए प्रवेश करना विधिपूर्ण होगा,—

- (क) यदि वह ऐसे प्रवेश, निरीक्षण या तलाशी के प्रयोजन के लिए उसका खोलना आवश्यक समझता है; और
- (ख) यदि स्वामी या अधिभोगी अनुपस्थित है या उपस्थित होने पर वह ऐसे दरवाजे, फाटक या अवरोध को खोलने से इन्कार करता है।

84. इस अधिनियम के अधीन नोटिस की तामील.— (1) वे सब दस्तावेज, जिनमें ऐसे नोटिस या आदेश भी आते हैं जिनका इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये किसी नियम या विनियम द्वारा किसी व्यक्ति पर तामील करवाया जाना अपेक्षित है, इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियम या विनियम में अन्यथा उपबन्धित के सिवाय सम्यक् रूप से तामील हुए समझे जायेंगे,—

- (क) जब ऐसा दस्तावेज किसी विभाग, स्थानीय प्राधिकारी, रेलवे, कम्पनी, सोसायटी या व्यक्तियों के किसी अन्य निकाय, जो चाहे निगमित हो या नहीं, पर तामील किया जाना है, तब यदि दस्तावेज उस विभाग के अध्यक्ष, रेलवे के महाप्रबन्धक, स्थानीय प्राधिकारी, कम्पनी या

सोसायटी या ऐसे ही किसी अन्य निकाय के सचिव या प्रधान अधिकारी को सम्बोधित, उसके प्रधान कार्यालय, उसकी शाखा या स्थानीय या, यथास्थिति, रजिस्ट्रीकृत कार्यालय के पते पर किया गया है और या तो वह –

- (i) रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा ऐसे कार्यालय को भेजा जाता है; या
 - (ii) ऐसे स्थान पर परिदत्त किया जाता है; या
- (ख) वह व्यक्ति, जिस पर तामील करायी जानी है, यदि किसी फर्म का भागीदार है तो, यदि दस्तावेज भागीदारी फर्म के नाम उसके प्रधान व्यवसाय स्थान के पते पर भेजा जाता है जिससे उसके नाम या अभिनाम की पहचान हो जाये जिसमें व्यवसाय चलाया जा रहा है और या तो वह –

- (i) रजिस्ट्रीकृत डाक से भेजा जाता है; या
 - (ii) कारबार के उक्त स्थान पर परिदत्त किया जाता है; या
- (ग) किसी अन्य दशा में, यदि ऐसा दस्तावेज उस व्यक्ति को संबोधित किया गया है जिस पर उसकी तामील करायी जानी है और वह –

- (i) उसे दिया या निविदत्त किया जाता है; या
- (ii) उस व्यक्ति के न मिलने पर उसे उसके निवास स्थान या कारबार के अन्तिम ज्ञात स्थान के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका दिया जाता है या उसके परिवार के किसी वयस्क सदस्य को दिया या निविदत्त किया जाता है या उस भूमि अथवा भवन के किसी सहजदृश्य स्थान पर चिपका दिया जाता है जिससे कि वह संबंधित है; या
- (iii) उस व्यक्ति को रजिस्ट्रीकृत डाक द्वारा भेजा जाता है।

(2) ऐसा कोई दस्तावेज, जिसका किसी भू मि या भवन के स्वामी या अधिभोगी पर तामील कराया जाना अपेक्षित या प्राधिकृत है उस भू मि या भवन के (भूमि या भवन का नाम या वर्णन देते हुए) "स्वामी" या, यथास्थिति, "अधिभोगी" को बिना नाम और वर्णन दिये सम्बोधित किया जायेगा और वह सम्यक् रूप से तामील कराया गया समझा जायेगा,-

- (क) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज उप-धारा (1) के खण्ड (ग) के अनुसार भेजा गया या परिदत्त किया गया है; या
 - (ख) यदि इस प्रकार संबोधित दस्तावेज या इस प्रकार संबोधित उसकी प्रतिलिपि भूमि या भवन पर किसी व्यक्ति को परिदत्त की गयी है।
- (3) जहां कोई दस्तावेज इस धारा के अनुसार भागीदारी फर्म पर तामील कराया गया है वहां दस्तावेज प्रत्येक भागीदार पर तामील कराया गया समझा जायेगा।

(4) किसी दस्तावेज को किसी सम्पत्ति के स्वामी पर तामील कराये जाने को समर्थ बनाने के प्रयोजन के लिए बीकानेर विकास आयुक्त या इस निमित्त उसके द्वारा प्राधिकृत कोई भी अधिकारी, लिखित नोटिस द्वारा उस सम्पत्ति के अधिभोगी से, यदि कोई हो, उसके स्वामी का नाम और पता प्रकट करने की अपेक्षा कर सकेगा।

(5) जहां इस धारा के पूर्ववर्ती उपबन्धों में उपदर्शित रीति से किसी व्यक्ति पर किसी दस्तावेज की तामील कराने का प्रयास असफल हो गया है, वहां यदि तामील किये जाने वाले दस्तावेज का नोटिस किसी प्रमुख दैनिक स्थानीय हिन्दी समाचार-पत्र में प्रकाशित किया जाता है तो वह ऐसे व्यक्ति पर उस दस्तावेज की प्रभावकारी तामील समझी जायेगी।

85. प्राधिकरण के अधिकारियों और अन्य कर्मचारियों का लोक सेवक समझा जाना.- प्राधिकरण का प्रत्येक अधिकारी और अन्य कर्मचारी और प्राधिकरण का प्रत्येक सदस्य उसकी कार्यकारी समिति, अन्य समितियों और उसके कृत्यकारी बोर्ड और इस अधिनियम के अधीन गठित अन्य निकायों का प्रत्येक सदस्य भारतीय न्याय संहिता, 2023 (2023 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 45) की धारा 2 (28) के अर्थान्तर्गत लोक सेवक समझे जायेंगे।

86. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा उद्गृहीत करों के बदले में प्राधिकरण द्वारा एकमुश्त अभिदाय.- (1) ऐसे नियमों, यदि कोई हों, के अधीन रहते हुए जो इस अधिनियम के अधीन बनाये जा सकें और इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि किसी स्थानीय प्राधिकारी की अधिकारिता में आने वाले क्षेत्रों में समस्त या किन्हीं सुख-सुविधाओं का उपबन्ध, जो स्थानीय प्राधिकारी द्वारा किये जाते हैं, प्राधिकरण स्वयं करता है तो प्राधिकरण ऐसे कोई कर जिनमें सम्पत्ति कर, यदि कोई हो, भी आता है, देने का दायी नहीं होगा, किन्तु स्थानीय प्राधिकारी के लिए राज्य सरकार की पूर्व मंजूरी से प्राधिकरण के साथ यह करार करना विधिपूर्ण होगा कि वह समस्त उद्गृहीत करों या किसी भी उद्गृहीत कर या स्थानीय प्राधिकारी द्वारा की गयी सेवाओं के बदले में प्राधिकरण से एकमुश्त अभिदाय प्राप्त करे।

(2) जहां उप-धारा (1) में यथा निर्दिष्ट ऐसा कोई करार नहीं किया जा सके तो मामला राज्य सरकार को निर्दिष्ट किया जा सकेगा और स्थानीय प्राधिकारी और प्राधिकरण को सुने जाने का युक्तियुक्त अवसर दिये जाने के पश्चात् राज्य सरकार ऐसे अभिदाय की रकम का विनिश्चय कर सकेगी। राज्य सरकार का विनिश्चय दोनों पक्षकारों पर बाध्यकारी होगा।

87. कतिपय मामलों में प्राधिकरण के दावों को चुकाने के लिए वेतन या मजदूरी में से कटौती.- (1) प्राधिकरण के साथ संव्यवहार करने वाला कोई व्यक्ति प्राधिकरण के पक्ष में एक करार निष्पादित कर सकेगा जिसमें यह उपबन्ध होगा कि नियोजक द्वारा उसको संदेय वेतन या मजदूरी में से नियोजक ऐसी रकम, जो करार में विनिर्दिष्ट की जाये, काटने और इस प्रकार काटी गयी रकम का संदाय प्राधिकरण को उस व्यक्ति के विरुद्ध प्राधिकरण के किसी उधार या मांग की तुष्टि में करने में सक्षम होगा। ऐसे करार के साथ नियोजक की लिखित सम्मति होगी।

(2) ऐसे करार के निष्पादन पर प्राधिकरण द्वारा लिखित अध्यपेक्षा द्वारा अपेक्षा किये जाने पर नियोजक करार के अनुसार तब तक कटौती करेगा जब तक कि प्राधिकरण ऐसे सारे ऋण या मांग के संदत्त किये जा चुकने की सूचना नहीं देता, और ऐसी काटी गयी रकम का संदाय प्राधिकरण को करेगा मानो कि वह मजदूरी संदाय अधिनियम, 1936 (1936 का केन्द्रीय अधिनियम सं. 4) के अनुसार नियोजक द्वारा संदेय वेतन या मजदूरी का भाग उस तारीख को है जिस पर नियोजक संदाय करता है।

(3) पूर्वगामी उप-धारा के अधीन की गयी अध्यपेक्षा की प्राप्ति के पश्चात् यदि नियोजक ऐसे व्यक्ति को संदेय वेतन या मजदूरी में से अध्यपेक्षा में विनिर्दिष्ट रकम को काटने में किसी भी समय असफल हो जाता है या काटी हुई रकम को प्राधिकरण को भेजने में चूक करता है तो नियोजक उसका भुगतान करने के लिए व्यक्तिगत रूप से दायी होगा और प्राधिकरण की ओर से ऐसी रकम नियोजक से भू-राजस्व की बकाया के रूप में वसूली होगी।

88. राज्य सरकार द्वारा नियंत्रण.- (1) प्राधिकरण अपनी शक्तियों का प्रयोग तथा कर्तव्यों का पालन इस अधिनियम के अधीन बीकानेर रीजन के क्षेत्रों के विकास के लिए राज्य सरकार द्वारा समय-समय पर बनायी गयी नीति और अधिकथित मार्गदर्शन के अनुसार करेगा।

(2) प्राधिकरण ऐसे निदेशों का अनुपालन करने के लिए बाध्य होगा जो राज्य सरकार द्वारा इस अधिनियम के दक्षतापूर्ण प्रशासन के लिए समय-समय पर जारी किये जायें।

(3) यदि प्राधिकरण के इस अधिनियम के अधीन शक्तियों के प्रयोग और कर्तव्यों के पालन के संबंध में प्राधिकरण और राज्य सरकार के बीच, कोई विवाद उत्पन्न हो जाता है तो मामले का विनिश्चय राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा और उसका विनिश्चय अंतिम होगा।

89. स्थानान्तरण करने की शक्ति.- प्राधिकरण के किसी भी अधिकारी या कर्मचारी को धारा 95 के अधीन बनाये गये नियमों के अनुसार राज्य सरकार द्वारा राजस्थान आवासन बोर्ड या किसी भी नगर सुधार न्यास या किसी भी नगरपालिका में ऐसे पद पर स्थानान्तरित किया जा सकेगा जिसका वेतनमान स्थानान्तरित किये जाने वाले अधिकारी या कर्मचारी के वेतनमान से निम्नतर नहीं हो:

परन्तु इस प्रकार से स्थानान्तरित अधिकारी या कर्मचारी का धारणाधिकार प्राधिकरण में बना रहेगा और जब कभी प्राधिकरण में उसके कांडर में के उच्चतर पद पर पदोन्नति के लिए विचार किया जाये, तब आगे पदोन्नति के लिए उस पर विचार किया जायेगा।

90. प्राधिकरण की विवरणियां, रिपोर्टें आदि मंगवाने की शक्ति.- प्राधिकरण को बीकानेर रीजन में के किसी स्थानीय प्राधिकारी से या अन्य प्राधिकारी से या किसी अन्य व्यक्ति से जिससे इस अधिनियम या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन इसकी शक्तियों के प्रयोग और इसके कर्तव्यों के पालन करने की इसके द्वारा अपेक्षा की जाये, कोई विवरणी, लेखों का विवरण, रिपोर्ट, आंकड़े या अन्य सूचना मंगवाने की शक्ति होगी और ऐसा प्राधिकारी या व्यक्ति ऐसी सूचना देने के लिए बाध्य होगा।

91. अधिनियम का अन्य विधियों पर अभिभावी होना.- इस अधिनियम के उपबंध तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात से असंगत होने पर भी प्रभावी होंगे।

92. शक्तियों का प्रत्यायोजन.- (1) राज्य सरकार इस अधिनियम द्वारा या इसके अधीन उसे प्रदत्त नियम बनाने की शक्ति से भिन्न अपनी समस्त या किन्हीं शक्तियों का प्रत्यायोजन अपने अधीनस्थ किसी अधिकारी को राजपत्र में अधिसूचना द्वारा कर सकेगी।

(2) कोई मास्टर विकास योजना, जोनल विकास योजना या विनियम बनाने की अपनी शक्ति को छोड़कर प्राधिकरण इस अधिनियम या इसके अधीन के विनियमों द्वारा प्रयोक्तव्य अपनी शक्तियों और कृत्यों में से किसी का प्रत्यायोजन सरकार के किसी अधिकारी को, बीकानेर रीजन में कार्य कर रहे किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या निकाय को या कार्यकारी समिति या किसी कृत्यकारी बोर्ड को या बीकानेर विकास आयुक्त को या उसके अधीनस्थ किसी अधिकारी को एक संकल्प द्वारा इस संकल्प में विनिर्दिष्ट शर्तों और निर्बंधनों के अधीन कर सकेगा:

परन्तु सरकार के किसी अधिकारी को, स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या निकाय को इस उप-धारा के अधीन शक्तियों और कृत्यों का प्रत्यायोजन, राज्य सरकार या स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी या, यथास्थिति, निकाय की सम्मति से किया जायेगा।

93. अभिलेख मंगवाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस निमित्त प्राधिकृत शासन सचिव से अनिम्न रैंक का कोई अधिकारी, इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण या उसकी किसी समिति या अधिकारी द्वारा पारित या पारित किये गये तात्पर्यित किसी आदेश या संकल्प के सही होने, उसकी वैधता या औचित्य के बारे में समाधान के प्रयोजन के लिए सुसंगत अभिलेख मंगवा सकेगा, और ऐसा करने में, निदेश दे सकेगा कि ऐसे अभिलेख की परीक्षा होने तक ऐसा आदेश या संकल्प प्रास्थगित रखा जायेगा और उसे अग्रसर करने के लिए कोई भी कार्रवाई तब तक नहीं की जायेगी जब तक कि राज्य सरकार या राज्य सरकार द्वारा इस

निमित्त प्राधिकृत अधिकारी द्वारा ऐसी परीक्षा नहीं कर ली जाये और उप-धारा (2) के अधीन आदेश पारित न कर दिया जाये:

परन्तु किसी आदेश या संकल्प से संबंधित कोई भी अभिलेख, ऐसे आदेश या संकल्प की तारीख से तीन वर्ष की समाप्ति के पश्चात् इस उप-धारा के अधीन नहीं मंगवाया जायेगा।

(2) अभिलेख की परीक्षा करने के पश्चात्, राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी ऐसे आदेश या संकल्प को विखंडित कर सकेगा, उलट सकेगा या उपांतरित कर सकेगा और राज्य सरकार या यथापूर्वोक्त प्राधिकृत अधिकारी का आदेश अंतिम होगा और प्राधिकरण और उसके अधिकारियों और समितियों पर आबद्ध कर होगा।

94. स्थानीय प्राधिकारियों द्वारा निरन्तर कर्तव्यों का पालन करना.- (1) इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी बीकानेर रीजन में समस्त स्थानीय प्राधिकारी, अपनी शक्तियों का प्रयोग, अपने कृत्यों का निर्वहन और अपने कर्तव्यों का पालन जो प्राधिकरण की किसी योजना, परियोजना या स्कीम से अंसगत न हो, निरन्तर करते रहेंगे।

(2) किसी स्थानीय प्राधिकारी की ओर से किसी योजना, स्कीम, परियोजना या इस अधिनियम के अधीन दिये गये किसी निदेश की क्रियान्विति किये जाने में विफल रहने की दशा में प्राधिकरण, बीकानेर रीजन के विकास के लिए यदि उचित समझे तो राज्य सरकार की मंजूरी से और राजपत्र में प्रकाशित ऐसे आदेश द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी द्वारा प्रयोक्तव्य शक्तियों, कृत्यों और कर्तव्यों को ऐसी तारीख से, जो आदेश में विनिर्दिष्ट की जाये, ग्रहण कर सकेगा और उस दशा में ऐसा स्थानीय प्राधिकारी तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि में किसी बात के अन्तर्विष्ट होने पर भी उक्त तारीख से ऐसी शक्तियों, कृत्यों, और कर्तव्यों का प्रयोग करना बन्द कर देगा।

95. नियम बनाने की शक्ति.- (1) राज्य सरकार, साधारणतया इस अधिनियम के उपबन्धों को क्रियान्वित करने के प्रयोजन के लिए और तद्दीन किसी ऐसे विशिष्ट मामले को विनियमित करने के लिए जिसका विहित किया जाना अपेक्षित है या जिसके संबंध में नियम बनाये जाने अपेक्षित हैं या बनाये जा सकते हैं, समय-समय पर नियम बना सकेगी।

(2) राज्य सरकार, सेवा की सदस्य संख्या, वेतन, शर्तें और परिलब्धियां, भर्ती, छुट्टी मंजूर करने, प्राधिकरण की सेवाओं में के किसी कर्मचारी की अवचार के लिए परिनिन्दा करने, अवनत करने, निलम्बित करने, या पदच्युत करने, उन्हें सेवाओं से अभिमुक्त करने और किसी अन्य कारण के लिए के लिए, धारा 9 के अधीन नियम बना सकेगी।

(3) इस अधिनियम के अधीन राज्य सरकार द्वारा बनाये गये समस्त नियम राजपत्र में प्रकाशित किये जायेंगे।

(4) इस धारा के अधीन बनाये गये समस्त नियम, उनके इस प्रकार बनाये जाने के पश्चात् यथाशक्य शीघ्र राज्य विधान-मण्डल के सदन के समक्ष जब कि वह सत्र में हो, चौदह दिवस से अन्यून की कालावधि के लिए जो एक सत्र में अथवा दो उत्तरोत्तर सत्रों में समाविष्ट हो सकेगी, रखे जायेंगे और यदि उस सत्र जिसमें वे इस प्रकार रखे गये हैं या ठीक पश्चात्पूर्वी सत्र की समाप्ति के पूर्व राज्य विधान-मण्डल का सदन ऐसे नियमों में से किसी नियम में कोई उपान्तरण करता है या यह संकल्प करता है कि ऐसा कोई नियम नहीं बनाया जाना चाहिए तो ऐसा नियम तत्पश्चात् केवल ऐसे उपा न्तरित रूप में ही प्रभावी होगा या, यथास्थिति, उसका कोई प्रभाव नहीं होगा, तथापि, ऐसा उपान्तरण या बातिलकरण उसके अधीन पूर्व में की गयी किसी बात की विधिमान्यता पर कोई प्रतिकूल प्रभाव नहीं डालेगा।

96. विनियम बनाने की शक्ति.- (1) प्राधिकरण समय-समय पर विनियमों द्वारा इस अधिनियम के अधीन उपबंधित किये जाने वाले समस्त या किन्हीं मामलों के लिए और सामान्यतः अन्य समस्त मामलों के लिए विनियम बना सकेगा जिनके लिए प्राधिकरण की राय में इस अधिनियम के अधीन इसकी शक्तियों का प्रयोग और कृत्यों और कर्तव्यों का निर्वहन करने के लिए उपबंध आवश्यक है।

(2) उप-धारा (1) के अधीन प्राधिकरण द्वारा बनाया गया कोई भी विनियम तब तक प्रभावी नहीं होगा जब तक कि यह राजपत्र में प्रकाशित नहीं हो गया हो।

(3) राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा किसी भी समय प्राधिकरण द्वारा बनाये गये विनियम को पूर्णतः या भागतः निरसित या उपान्तरित कर सकेगी परन्तु इस उप-धारा के अधीन कार्रवाई करने से पूर्व राज्य सरकार प्राधिकरण को वे आधार संसूचित करेगी जिन पर ऐसा किया जाना वह प्रस्तावित करती है, और प्राधिकरण के लिए प्रस्ताव के विरुद्ध कारण बताने के लिए युक्तियुक्त कालावधि नियत करेगी, और प्राधिकरण के स्पष्टीकरण और आक्षेपों, यदि कोई हों, पर विचार करेगी।

(4) किसी विनियम का निरसन या उपान्तरण, यदि उसमें कोई तारीख विनिश्चित नहीं की गयी है तो राजपत्र में प्रकाशित अधिसूचना की तारीख से प्रभावी होगा और ऐसी तारीख के पूर्व की गयी, लोपित की गयी या होने दी गयी कोई बात उससे प्रभावित नहीं होगी।

97. नियमों की सर्वोच्चता और विद्यमान विनियमों का निरसन.- (1) तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि या विनियम में किसी प्रतिकूल बात के होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बनाये गये नियमों का अध्यारोही प्रभाव होगा और वे प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना पर, तब तक अभिभावी होंगे जब तक, ऐसे विनियम, उपविधि या अधिसूचनाएं इस अधिनियम या तदधीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत न हों।

(2) इस अधिनियम का प्रारंभ होने पर और तद्दीन नियमों के प्रवर्तन पर, प्राधिकरण द्वारा जारी कोई विनियम, उपविधि या अधिसूचना, जो इस अधिनियम या तद्दीन बनाये गये नियमों के उपबंधों से असंगत है, ऐसी असंगति के विस्तार तक निरसित होगी।

(3) इस अधिनियम के प्रारंभ से पूर्व प्राधिकरण द्वारा जारी किसी विनियम, उपविधि या अधिसूचना के अधीन की गयी कोई कार्रवाई या किया गया विनिश्चय, जब तक कि इस अधिनियम के अधीन विरचित नियमों द्वारा उसे अभिव्यक्त रूप से अविधिमान्य न कर दिया जाये, विधिमान्य रहेगा।

98. कठिनाइयों के निराकरण की शक्ति.- यदि इस अधिनियम के उपबंधों को प्रभावी बनाने में कोई कठिनाई उत्पन्न होती है तो राज्य सरकार, जब भी अवसर हो लेकिन वह उस तारीख से जिसको प्राधिकरण की स्थापना हुई है दो वर्ष पश्चात् नहीं हो, आदेश द्वारा कोई भी ऐसी बात कर सकेगी जो कि इस अधिनियम के उद्देश्यों और प्रयोजनों से असंगत नहीं हो और जो कठिनाई के निराकरण के प्रयोजन के लिए उसे आवश्यक या समीचीन प्रतीत होती हो।

99. प्राधिकरण का विघटन.- (1) जहां राज्य सरकार का समाधान हो जाये कि वे प्रयोजन, जिनके लिए इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण की स्थापना की गयी थी, सारवान् रूप से पूरे किये जा चुके हैं जिसके कारण राज्य सरकार की राय में प्राधिकरण का अस्तित्व में बना रहना आवश्यक नहीं रह गया है, वहां राज्य सरकार राजपत्र में अधिसूचना द्वारा घोषणा करेगी कि प्राधिकरण ऐसी तारीख से विघटित हो जायेगा जो अधिसूचना में विनिर्दिष्ट की गयी है और प्राधिकरण तदनुसार विघटित हुआ समझा जायेगा।

(2) उक्त तारीख से –

- (क) समस्त आस्तियां, सम्पत्तियां, निधियां जो प्राधिकरण में निहित थीं और बकाया जो उसके द्वारा वसूलीय हैं, राज्य सरकार में निहित होंगी या उसके द्वारा वसूलीय होंगी;
- (ख) प्राधिकरण में निहित, उससे संबंधित या उसके व्ययनाधीन सम्पूर्ण भूमि राज्य सरकार को प्रतिवर्तित हो जायेगी;
- (ग) समस्त देयताएं, जो प्राधिकरण के विरुद्ध प्रवर्तनीय हैं, राज्य सरकार के विरुद्ध प्रवर्तनीय होंगी; और
- (घ) किसी विकास के निष्पादन के प्रयोजन के लिए जो प्राधिकरण द्वारा पूर्णतः निष्पादित नहीं किया गया है और खण्ड (क) में निर्दिष्ट आस्तियों, सम्पत्तियों, निधियों और बकायाओं की वसूली के प्रयोजन के लिए प्राधिकरण के कृत्यों का निर्वहन राज्य सरकार द्वारा किया जायेगा।

100. सिविल न्यायालय की अधिकारिता का वर्जन.- (1) इस अधिनियम में अन्यथा उपबंधित के सिवाय, कोई भी सिविल न्यायालय ऐसे मामले का संज्ञान नहीं करेगा जिसका इस अधिनियम के अधीन प्राधिकरण, कार्यकारी समिति, बीकानेर विकास आयुक्त, कृत्यकारी बोर्ड, उसके किसी निकाय, अधिकरण या राज्य सरकार द्वारा विनिश्चित किया जाना या किया जा सकना अपेक्षित है।

(2) इस अधिनियम में अभिव्यक्त रूप से जैसा अन्यथा उपबन्धित है उसके सिवाय, राज्य सरकार द्वारा पारित आदेश, या प्राधिकरण को दिया गया निदेश या प्राधिकरण द्वारा इस अधिनियम के अधीन पारित आदेश या जारी किया गया नोटिस अन्तिम होगा और किसी वाद या अन्य विधिक कार्यवाही में प्रश्नगत नहीं किया जायेगा।

101. नगर सुधार न्यास, बीकानेर का विघटन और व्यावृत्तियां.- (1) राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35), जिसे इसमें इसके पश्चात् "उक्त अधिनियम" कहा गया है और उसके अधीन बनाये गये नियमों, विनियमों, और उप-विधियों में कोई बात होते हुए भी, इस अधिनियम के अधीन बीकानेर रीजन के लिए प्राधिकरण के गठन की तारीख से, जिसे इसमें इसके पश्चात् ऐसा गठन कहा गया है,—

- (क) बीकानेर का नगरीय क्षेत्र नगर सुधार न्यास, बीकानेर (जिसे इसमें इसके पश्चात् न्यास कहा गया है) में निहित नहीं रहेगा तथा न्यास उस क्षेत्र में अधिकारिता का प्रयोग करना या कृत्य करना बंद कर देगा;
- (ख) बीकानेर के नगरीय क्षेत्रों में आने वाले क्षेत्र में कार्य करने वाला न्यास ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व विघटित हो जायेगा;
- (ग) ऐसे गठन के पूर्व बीकानेर के नगरीय क्षेत्र में स्थित और ऐसे क्षेत्र के विकास अथवा सुधार करने या कराने के प्रयोजन के लिए न्यास में निहित समस्त भूमि, भवन और अन्य स्थावर सम्पत्तियां (उसमें हर प्रकार के और किस्म के समस्त हितों सहित) इस प्रकार गठित प्राधिकरण को चली जायेंगी, और उसमें निहित हो जायेंगी;
- (घ) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार करने या कराने के प्रयोजन के लिए न्यास से संबंधित उसके द्वारा धारित समस्त स्टोर, वस्तुएं या अन्य जंगम सम्पत्तियां इस प्रकार स्थापित प्राधिकरण को चली जायेंगी और उसमें निहित हो जायेंगी;
- (ङ) ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व या ऐसे क्षेत्र के संबंध में न्यास द्वारा किये गये समस्त निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन जहां तक इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं हैं वहां तक

बने रहेंगे और जब तक वे प्राधिकरण द्वारा किये गये निर्धारण, मूल्यांकन, माप या विभाजन द्वारा अतिष्ठित नहीं किये जायेंगे तब तक इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन बनाये गये समझे जायेंगे;

- (च) बीकानेर के नगरीय क्षेत्र के रूप में घोषित किये गये किसी क्षेत्र के विकास या सुधार के लिए और उक्त अधिनियम के अधीन तैयार की गयी समस्त योजनाएं, स्कीमें, जहां तक वे इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत हों, इसके अधीन तैयार की गयी समझी जायेंगी और ऐसी कोई योजना या स्कीम जो इस अधिनियम के प्रारम्भ के तुरन्त पूर्व प्रवृत्त हुई थी, वह प्रवृत्त रहेगी जहां तक कि उसका निर्वाह इस अधिनियम के अधीन अन्यथा किया गया है;
- (छ) न्यास से संबद्ध और ऐसे क्षेत्र के विकास या सुधार और इससे संबंधित योजनाओं और स्कीमों और कागजातों को सम्मिलित करते हुए जो कि खण्ड (च) में निर्दिष्ट किये गये हैं, समस्त अभिलेख और कागजात प्राधिकरण में निहित होंगे और इसको अन्तरित हो जायेंगे;
- (ज) ऐसा गठन होने के तुरन्त पूर्व के न्यास के अधीन सेवारत प्रत्येक अधिकारी या कर्मचारी ऐसा गठन होने पर और गठन के समय प्राधिकरण को छह मास की कालावधि के लिए अस्थायी तौर पर स्थानान्तरित समझे जायेंगे जिस कालावधि के भीतर जब तक कि वह अन्यथा बढ़ायी न जाये, प्राधिकरण उनके ऐसी रीति से स्क्रीनिंग के पश्चात् जो विनियमों द्वारा अवधारित की जाये, उनको ऐसे पदों तथा ऐसे पदनामों पर जो कि प्राधिकरण अवधारित करे, सेवा में आमेलित करेगा। प्राधिकरण की सेवा में इस प्रकार आमेलित अधिकारी और कर्मचारी ऐसी पदावधि तक, ऐसे पारिश्रमिक पर और सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर पद धारण कर सकेंगे जैसाकि वह उस समय धारण करते यदि प्राधिकरण गठित नहीं होता, और इस प्रकार तब तक निरन्तर धारण करते रहेंगे जब तक कि ऐसी पदावधि, पारिश्रमिक और निबंधन और शर्तें प्राधिकरण द्वारा सम्यक् रूप से परिवर्तित नहीं कर दी जाती हैं। ऐसे अधिकारियों और कर्मचारियों में से वे जो प्राधिकरण द्वारा इसकी सेवा में आमेलित नहीं किये जाते हैं, न्यास के अधिशेष अधिकारी और कर्मचारी समझे जायेंगे और राज्य सरकार द्वारा किसी स्थानीय प्राधिकारी या अन्य प्राधिकारी की सेवा में जिन्हें राज्य सरकार ठीक समझे, ऐसे पदों पर, ऐसे पदनामों पर, ऐसे वेतन तथा भत्तों पर, सेवा के ऐसे निबंधनों और शर्तों पर, जो विहित की जायें, आमेलित किये जायेंगे किन्तु उन्हें पदों पर ऐसे निबंधनों पर आमेलित नहीं किया जायेगा जो वेतन और भत्तों के मामले में उनके लिए कम लाभप्रद हों:

परन्तु –

- (i) ऐसे गठन के पूर्व इस प्रकार आमेलित किसी अधिकारी या कर्मचारी द्वारा की गयी कोई सेवा प्राधिकरण के अधीन की गयी सेवा समझी जायेगी; और
- (ii) इस प्रकार आमेलित न किये गये अधिशेष अधिकारी और कर्मचारी प्राधिकरण की सेवा में बने रहेंगे और उनके वेतन और भत्ते प्राधिकरण की निधि से तब तक संदत्त किये जायेंगे जब तक कि वे उपर्युक्त प्रकार से राज्य सरकार द्वारा आमेलित न कर लिये जायें;
- (झ) उक्त अधिनियम के अधीन की गयी कोई बात या किया गया कोई कार्य जिसमें की गयी कोई नियुक्ति, प्रत्यायोजन, आदेश, बनायी गयी स्कीम, नियम, उप-विधियां, विनियम या जारी की गयी अधिसूचना या स्वीकृत की गयी अनुज्ञा आती है, जहां तक वह इस अधिनियम के उपबंधों से असंगत नहीं है, वह प्रवृत्त रहेगी और इस अधिनियम के उपबंधों के अधीन की गयी समझी

जायेगी जब तक कि वह उक्त उपबंधों के अधीन की किसी बात या किसी कार्यवाई द्वारा अतिष्ठित नहीं कर दी जाती है;

- (ज) ऐसे गठन के ठीक पूर्व उस क्षेत्र के लिए न्यास द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत समस्त ऋण, बाध्यताएं और देयताएं, उसके द्वारा या उसके साथ ही की गयी समस्त संविदाएं, उसके द्वारा किये गये भूमि के समस्त आबंटन और अंतरण या बीकानेर के नगरीय क्षेत्र में समाविष्ट क्षेत्र में या उसके संबंध में उसके द्वारा बातों और कार्यों का किया जाना ठहराया गया है वे सब प्राधिकरण के द्वारा, उसके साथ या उसके लिए उपगत की गयी या करने के लिए ठहरायी गयी समझी जायेंगी;
- (ट) इस अधिनियम में किसी बात के होने पर भी, ऐसे गठन के पूर्व न्यास के द्वारा या उसकी ओर से की गयी कोई घोषणा, किये गये आवेदन, प्रकाशन, जारी अधिसूचना, नियुक्ति, आदेश, किया गया भूमि का आबंटन, प्रस्ताव, पंचाट, की गयी कार्यवाही, परामर्श, जांच, प्रमाणीकरण, किया गया समझौता, मंजूरी, करार, नोटिस, अनुमोदन, विनिश्चय, विवाद, किसी विधिक कार्यवाही का प्रत्याहरण करना, बनायी गयी किसी अंतिम स्कीम या किये गये कार्य की विधिमान्यता इस प्रकार समझे जायेंगे जैसे वे प्राधिकरण के द्वारा या उसकी ओर से इस अधिनियम के अधीन बनाये गये, जारी किये गये, किये गये या बनायी गयी थीं;
- (ठ) किसी विधिक कार्यवाही, किसी प्रशमनीय अपराध या किसी स्वीकृत दावे में या उससे न्यास द्वारा या उसकी ओर से ऐसे गठन के पूर्व, किये गये समस्त समझौते, प्रतिवाद या प्रत्याहरण, प्राधिकरण द्वारा या उसकी ओर से किये गये समझे जायेंगे और प्राधिकरण के द्वारा या विरुद्ध उसी प्रकार प्रभावी हो सकेंगे जैसे कि वे गठन के पूर्व न्यास द्वारा उसके विरुद्ध प्रवृत्त होते थे;
- (ड) न्यास द्वारा उसके लिए या उसके विरुद्ध संस्थित किये गये समस्त वाद, अभियोजन और अन्य विधिक कार्यवाहियां प्राधिकरण के द्वारा या उसके विरुद्ध जारी रह सकेंगी या संस्थित की जा सकेंगी;
- (ढ) न्यास में निहित समस्त जंगम और स्थावर सम्पत्तियां और किसी सम्पत्ति में समस्त अधिकार, स्वत्व, और हित प्राधिकरण में निहित हो जायेंगे और न्यास के कब्जे में की ऐसी समस्त सम्पत्तियां प्राधिकरण के कब्जे में समझी जायेंगी;
- (ण) न्यास को देय समस्त किराये, फीस और अन्य धनराशियां प्राधिकरण को देय समझी जायेंगी; और
- (त) समस्त राशियां या प्रभार जिनका कि न्यास, ऐसे गठन के तुरन्त पूर्व बीकानेर नगरीय क्षेत्र की किसी भूमि के विकास या सुधार के लिए या उसके संबंध में उद्ग्रहण, निर्धारण और वसूल करने का हकदार था, इस अधिनियम के तत्स्थानी उपबन्धों के अधीन प्राधिकरण द्वारा उद्गृहीत, निर्धारित और वसूल किये जाते रहेंगे।

(2) न्यास के प्रयोजनों में से किसी प्रयोजन के लिए जहां राजस्थान नगर सुधार अधिनियम, 1959 (1959 का अधिनियम सं. 35) या तत्समय प्रवृत्त किसी अन्य विधि के अधीन कोई अर्जन की कार्यवाही प्रारम्भ हो गयी है तो वह उपर्युक्त विधियों के उपबंधों के अधीन और उसके अनुसार जारी रहेगी और पूर्ण की जायेगी।

102. निरसन और व्यावृत्तियां.- (1) बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं. 3) इसके द्वारा निरसित किया जाता है।

- (2) ऐसे निरसन के होते हुए भी, बीकानेर विकास प्राधिकरण अध्यादेश, 2024 (2024 का अध्यादेश सं.
3) के अधीन की गई कोई बात या की गयी कोई कार्रवाई इस अधिनियम के अधीन की गयी समझी जायेगी।

अनुसूची

बीकानेर रीजन में आने वाले शहर, कस्बों, और गांवों की सूची

शहर	
1.	बीकानेर शहर
कस्बा	
2.	देशनोक
3.	नापासर
गांव तहसील- बीकानेर	
4.	अनोपसागर
5.	भोजनशाला
6.	शिवबाड़ी
7.	किसमीदेसर
8.	भीनासर
9.	श्रीरामसर
10.	गंगाशहर
11.	सुजानदेसर
12.	शरहस्वरूपदेसर
13.	करमीसर
14.	नत्थुसर
15.	रघुनाथसर
16.	शरहनथानियां
17.	पेमासर
18.	उदासर
19.	चक 9 बी.एस.एम.
20.	चक 10 बी.एस.एम.
21.	चक 11 बी.एस.एम.
22.	चक 12 बी.एस.एम.
23.	चक 13 बी.एस.एम.
24.	चक 14 बी.एस.एम.
25.	शरहकजाणी
26.	रिड़मलसर पुरोहितान
27.	नैणों का बास

28. रिडमलसर सिपाहियान
29. रायसर
30. हिमतासर
31. चक 15 बी.एस.एम.
32. चक 16 बी.एस.एम.
33. जोड़बीड
34. गाढ़वाला
35. पनपालसर
36. शरहअचारजान
37. चक 5 बी.एस.एम.
38. चक 6 बी.एस.एम.
39. चक 7 बी.एस.एम.
40. चक 8 बी.एस.एम.
41. उदयरामसर
42. हुसंगसर
43. बासी सहजबरदारान
44. चक 1 एच.एस.एम.
45. चक 2 एच.एस.एम.
46. चक 3 एच.एस.एम.
47. चक 1 एन.जी.एम.
48. चक 2 एन.जी.एम.
49. चक 3 एन.जी.एम.
50. चक 486-250 आर.डी.
51. चक 483-500 आर.डी.
52. नौरंगदेसर
53. राणीसर
54. शोभासर
55. शरह भाउव्यास
56. शरह बरडी
57. शरहजाटान
58. खारा
59. चक 1 जे.एम.डी

60. चक 2 जे.एम.डी
61. चक 3 जे.एम.डी
62. चक 4 जे.एम.डी
63. चक 5 जे.एम.डी
64. डाईया
65. चकगर्बी
66. बीछवाल
67. चक 1-2 बी.के.एम.
68. चक 3 बी.के.एम.
69. चक 4 बी.के.एम.
70. चक 5 बी.के.एम.
71. चक 6 बी.के.एम.
72. चक 7 बी.के.एम.
73. चक 1 बी.एस.एम.
74. बस्तीचावड़ान
75. शरहतेलियां
76. कानासर
77. रावतसर कुम्हारान
78. चक 481-500 आर.डी.
79. नगासर
80. चक 496-150 आर.डी.(आर)
81. चक 496 आर.डी. (एल)
82. चक 489 आर.डी. (आर)
83. चक 489 आर.डी. (एल)
84. चक 493 आर.डी. (आर)
85. चक 493 आर.डी. (एल)
86. चक 2 बी.एस.एम.
87. चक 3 बी.एस.एम.
88. चक 4 बी.एस.एम.
89. चक 4 एन.जी.एम.
90. चक 5 एन.जी.एम.
91. चक 6 एन.जी.एम.

92. चक 19 जेएमडी
93. चक 20 जेएमडी
94. चक 21 जेएमडी
95. चक 22 जेएमडी
96. चक 23 जेएमडी
97. बदरासर
98. नालबड़ी
99. नालछोटी
100. चक 24 जेएमडी
101. चक 25 जेएमडी
102. चक 26 जेएमडी
103. चक 27 जेएमडी
104. चक 28 जेएमडी
105. शरहगोलप्रतापसिंह
106. शरह सुथारन माकडान
107. शरह रताणी व्यास
108. शरहगोपलान
109. शरह ब्राह्मणान
110. कावनी
111. कोलासर
112. मेघासर
113. बच्छासर
114. स्वरूपदेसर
115. लालमदेसर
116. भोजुसर
117. बरसिंहसर
118. बासी
119. पलाना
120. सुजासर
121. आम्बासर
122. गीगासर
123. किलचू देवडान

124. किलचू सहलोतान
125. सुरधना चोहनान
126. सुरधना पडिहारान
127. केसरदेसर जाटान
128. केसरदेसर बोहरान
129. केसरदेसर गंगागुरान
130. कल्याणसर अगुणा
131. कल्याणसर उतरादा
132. कल्याणसर बड़ा
133. देवासर
134. सींथल
135. लालसिंहपुरा
136. बेलासर
137. गुसाईंसर
138. शरहबेदाना
139. बम्बलू
140. गौरसर
141. खीचियां
142. जामसर
143. रकबा जलालसर
144. जलालसर
145. 5 केएचएम
146. जालवाली
147. नूरसर
148. 6 जेएमडी
149. 7 जेएमडी
150. 8 जेएमडी
151. 9 जेएमडी
152. 10 जेएमडी
153. शरहरूपायत
154. चक 1 डी.एम.एच
155. चक 2 डी.एम.एच

- 156. 3 डीएचएम
- 157. भरूपावां
- 158. भरूखीरा
- 159. 6 केएचएम
- 160. 7 केएचएम
- 161. 11 जेएमडी
- 162. 12 जेएमडी
- 163. 13 जेएमडी
- 164. 14 जेएमडी
- 165. 15 जेएमडी
- 166. 16 जेएमडी
- 167. 18 जेएमडी
- 168. मेहरासर
- 169. डांडूसर

गांव तहसील- कोलायत

- 170. कोडमदेसर
- 171. गजनेर
- 172. मोडिया मानसर
- 173. सालासर
- 174. शरह कुलेरा
- 175. शरह किराडू
- 176. शरह घेरूलाल
- 177. शरह जुगलदास
- 178. शरह पब्बीब्राहमणी
- 179. शरह भियानीमाणी
- 180. कोटडा
- 181. खेत चांडासर
- 182. चांडासर
- 183. नाईर्यों की बस्ती
- 184. बस्ती चौहानान
- 185. बालाला
- 186. शरहगुजराईत

गांव तहसील- नोखा

187. रासीसर पुरोहितान
188. रासीसर बड़ाबास

ब्रजेन्द्र जैन,
प्रमुख शासन सचिव।

**LAW (LEGISLATIVE DRAFTING) DEPARTMENT
(GROUP-II)**

NOTIFICATION

Jaipur, April 1, 2025

No. F. 2(7)Vidhi/2/2025.- In pursuance of Clause (3) of Article 348 of the Constitution of India, the Governor is pleased to authorise the publication in the Rajasthan Gazette of the following translation in the English language of the Bikaner Vikas Pradhikaran Adhiniyam, 2025 (2025 Ka Adhiniyam Sankhyank 8):-

(Authorised English Translation)

**THE BIKANER DEVELOPMENT AUTHORITY ACT, 2025
(Act No. 8 of 2025)**

(Received the assent of the Governor on the 27th day of March, 2025)

An

Act

for forming Bikaner City and certain contiguous areas into Bikaner Region, to provide for the establishment of an Authority for the purposes of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of the Bikaner Region and of executing plans, projects and schemes for such development and to provide for matters connected therewith.

Whereas, Bikaner City, Napasar and Deshnok and areas contiguous to it are being progressively developed and populated, and the necessity is being increasingly felt for forming these areas into Bikaner Region and for setting up of an Authority for the purpose of planning, co-ordinating and supervising the proper, orderly and rapid development of these areas, in which several government departments, local authorities and other organizations are at present engaged within their own jurisdictions; to provide also that such Authority be enabled either itself or through other authority to formulate and execute plans, projects and schemes for the development of Bikaner Region so that housing, community facilities, civic amenities and other infrastructure are properly created for the population of Bikaner Region in the perspective of 2040 A.D. or thereafter including the intermediate stages, and to provide for matters connected with the purpose aforesaid;